VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव

भाग 1: 2024

अहमदाबाद बेंगलुरु भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

संधान के जरिए पर्सनलाइज्ड तरीके से UPSC प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए

(ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

UPSC प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट देना ही काफी नहीं होता है; बल्कि इसके लिए स्मार्ट तरीके से टेस्ट की प्रैक्टिस भी जरूरी होती है।

अभ्यर्थियों की तैयारी के अलग-अलग स्तरों और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, हमने संधान टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। यह ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत ही एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज है।

संधान की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

प्रश्नों का विशाल संग्रह: इसमें UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों (PYQs) के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्न उपलब्ध हैं।

पर्सनलाइज्ड टेस्ट: अभ्यर्थी अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार कर सकते हैं।

प्रश्नों के चयन में फ्लेक्सिबिलिटी: अभ्यर्थी टेस्ट के लिए Vision IAS द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों या UPSC के विगत वर्षों के प्रश्नों में से चयन कर सकते हैं।

समयबद्ध मूल्यांकन: अभ्यर्थी परीक्षा जैसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय समय-सीमा में टेस्ट के जरिए अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल का मूल्यांकन कर उसे बेहतर बना सकते हैं।

प्रदर्शन में सुधार: टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा।

स्टूडेंट डैशबोर्ड: स्टूडेंट डैशबोर्ड की सहायता से अभ्यर्थी हर विषय में अपने प्रदर्शन और ओवरऑल प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।

संधान के मुख्य लाभ

अपनी तैयारी के अनुरूप प्रैक्टिस: अभ्यर्थी अपनी जरूरतों के हिसाब से विषयों और टॉपिक्स का चयन कर सकते हैं। इससे अपने मजबूत पक्षों के अनुरूप तैयारी करने में मदद मिलेगी।

पर्सनलाइज्ड असेसमेंट: अभ्यर्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार टेस्ट तैयार करने के लिए Vision IAS द्वारा तैयार प्रश्नों या UPSC में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का चयन कर सकते हैं।

कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज: प्रश्नों के विशाल भंडार की उपलब्धता से सिलेबस की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित होगी।

लक्षित तरीके से सुधार: टेस्ट के बाद मिलने वाले फीडबैक से अभ्यर्थियों को यह पता लग सकेगा कि उन्हें किन विषयों (या टॉपिक्स) में सुधार करना है। इससे उन्हें तैयारी के लिए बेहतर रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी।

प्रभावी समय प्रबंधन: तय समय सीमा में प्रश्नों को हल करने से टाइम मैनेजमेंट के लिए कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।

आत्मविश्वास में वृद्धि: कस्टमाइज्ड सेशन और फीडबैक से परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की तैयारी का स्तर तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

यह अपनी तरह की एक इनोवेटिव टेस्ट सीरीज है। संधान के जरिए, अभ्यर्थी तैयारी की अपनी रणनीति के अनुरूप टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे उन्हें UPSC प्रीलिम्स पास करने के लिए एक समग्र तथा टार्गेटेड अप्रोच अपनाने में मदद मिलेगी।

रजिस्ट्रेशन करने और "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज" का ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट कैसे एक परिवर्तनकारी प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है, यह जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद बैंगलोर भोपाल चंडीगढ़ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे राँची

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, हम पहले ही **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं। इसमें उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।
- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।
- यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 1): वर्तमान डॉक्यूमेंट

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 2): इसे अतिशीघ्र जारी किया जाना है।

विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए **QR आधारित स्मार्ट क्विज़** को शामिल किया गया है।

ज्ञानार्जन के लिए शुभकामनाएं!
टीम Vision IAS

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE) 7

1.1. कृषि अवसंरचना कोष 7

1.2. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन 8

1.3. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) 9

1.4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना 11

1.5. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना 12

1.6. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम 14

1.7. एकीकृत बागवानी विकास मिशन 15

1.8. किसान क्रेडिट कार्ड 17

1.9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम 18

1.9.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 20

1.10. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 22

2. आयुष मंत्रालय (MINISTRY OF AYUSH) 27

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन 27

2.2. अन्य योजनाएं/ पहलें 29

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS) 30

3.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 30

3.2. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 32

3.3. महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना 33

3.4. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना 34

3.5. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना 35

3.6.सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता योजना 36

3.7. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना 37

3.8. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 39

4. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION) 41

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना 41

4.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें 42

5. कोयला मंत्रालय (MINISTRY OF COAL) 43

5.1. अन्य योजनाएं/ पहलें 43

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY) 45

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना 45

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया 46

6.3. अन्य योजनाएं/ पहलें 47

7. संचार मंत्रालय (MINISTRY OF COMMUNICATIONS) 51

7.1. भारतनेट 51

7.2. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना 52

7.3. अन्य योजनाएं/ पहलें 53

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION) 56

8.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 56

8.2. अन्य योजनाएं/ पहलें 58

9. सहकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF COOPERATION) 59

9.1. डेयरी सहकार योजना 59

9.2. अन्य योजनाएं/ पहलें 60

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS) 61

10.1. अन्य योजनाएं/ पहलें 61

11. संस्कृति मंत्रालय (MINISTRY OF CULTURE) 62

11.1. अन्य योजनाएं/ पहलें 62

12. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE) 64

12.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना 64

12.2. अग्निपथ योजना 66

12.3. अन्य योजनाएं/ पहलें 67

13. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MINISTRY OF EARTH SCIENCES) 68

13.1. अन्य योजनाएं/ पहलें 68

14. शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION) 70

14.1. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना 70

14.2. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना 72

14.3. अन्य योजनाएं/ पहलें 74

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MeitY).....83

15.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम.....83

15.2. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम.....85

15.3. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन.....86

15.4. आई.टी. हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना.....87

15.5. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना.....88

15.6. अन्य योजनाएं/ पहलें.....89

16. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE) ... 94

16.1. सिक्योर हिमालय (उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी) परियोजना.....94

16.2. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना.....96

16.3. अन्य योजनाएं/ पहलें.....97

17. विदेश मंत्रालय (MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS).....101

17.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं.....101

18. वित्त मंत्रालय (MINISTRY OF FINANCE).....103

18.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन.....103

18.2. सुकन्या समृद्धि खाता.....105

18.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना.....106

18.4. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना.....107

18.5. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना.....108

18.6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली.....109

18.7. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना.....111

18.8 अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....112

19. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING).....116

19.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना.....116

19.2. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना.....117

19.3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि.....119

19.4. नीली क्रांति: समेकित मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन.....121

19.5. राष्ट्रीय गोकुल मिशन.....122

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें.....124

20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES: MOFPI).....126

20.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना.....126

20.2. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना.....127

20.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना.....129

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में कृषि अवसंरचना में मौजूदा अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना तथा निवेश जुटाना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड)।**
- **अवधि:** वर्ष 2032-33 तक।

अन्य उद्देश्य

यह **फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त-पोषण** सुविधा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** कृषि अवसंरचना कोष (AIF) को मई 2020 में केंद्र द्वारा घोषित **आत्मनिर्भर भारत अभियान** के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- **वित्तीय सहायता**
  - इसके तहत **बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ** प्रदान करेंगे।
  - **2 करोड़ रुपये** तक के ऋण के लिए **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी** फंड ट्रस्ट (CGTMSE) के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना।
- **पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना**
  - निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं;
  - सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा** प्रोन्नत परियोजनाएं;
  - **जैविक आगतों का उत्पादन; बायो स्टिमुलैंट्स उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना।**

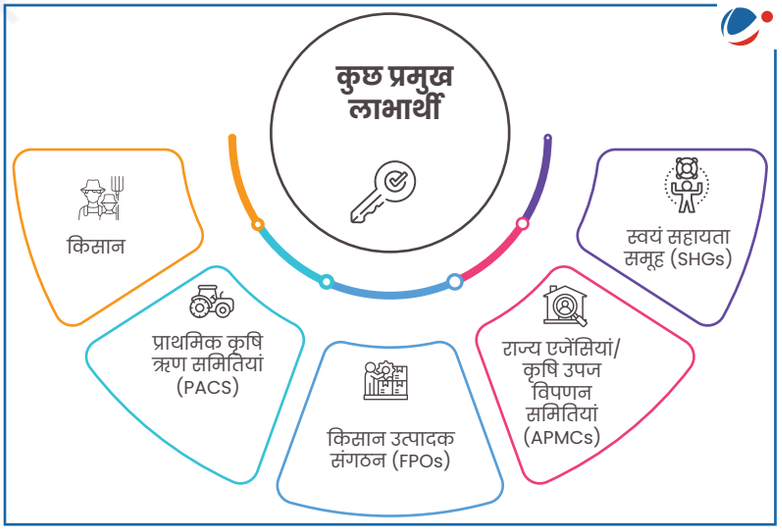

- **प्रबंधन और निगरानी**
  - यह कार्य ऑनलाइन **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) प्लेटफॉर्म** के जरिए संपन्न किया जाता है।
  - **राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां** रियल-टाइम निगरानी एवं प्रभावी फीडबैक प्रदान करती हैं।
- **BHARAT अभियान के बारे में: BHARAT अभियान को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया है-**
  - लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना;
  - कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच **प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार** करना आदि।

1.2. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** सदस्यों के लिए **इकोनॉमी ऑफ़ स्केल** और **बाजार पहुंच** में सुधार करना।
- **लाभार्थी: FPOs के सदस्यों की न्यूनतम संख्या** मैदानी क्षेत्रों में 300 तथा पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी (IAs):** 9 कार्यान्वयन एजेंसियां, FPOs का गठन करने में मदद करेंगी।

अन्य उद्देश्य

वर्ष 2027-28 तक **10,000 नए FPOs का गठन और संवर्धन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **FPO** एक सामान्य नाम है। FPOs में कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत किसान उत्पादक कंपनियां (Farmer Producer Companies: FPCs) तथा साथ ही राज्य सरकारों के सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसान सहकारी समितियां शामिल हैं।
  - इनका गठन कृषि **और संबद्ध क्षेत्रक के उत्पादन व विपणन** लागत में आनुपातिक रूप से बचत करने के माध्यम से **सामूहिक लाभ** के उद्देश्य से किया जाता है।
- **दृष्टिकोण:** FPO का गठन और संवर्धन **उपज क्लस्टर क्षेत्र दृष्टिकोण तथा विशेषीकृत जिंस आधारित दृष्टिकोण** पर आधारित है।
  - क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, उत्पाद में विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए **FPO का गठन "एक जिला एक उत्पाद"** को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

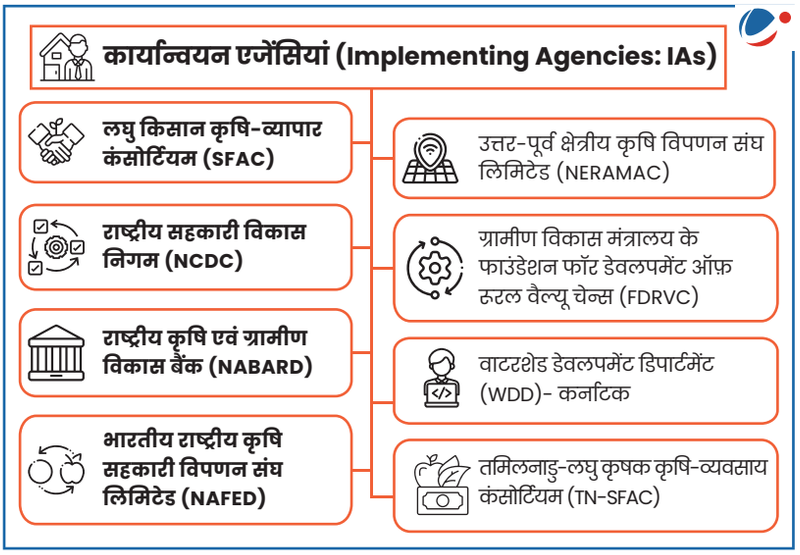

- **FPOs को वित्तीय सहायता:** FPOs को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:
  - FPOs को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति FPO **18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।
  - **15 लाख रुपये प्रति FPO की सीमा** के साथ FPO के प्रति किसान सदस्य को 2,000 रुपये तक के समतुल्य इक्विटी अनुदान सहायता का उल्लेख भी किया गया है।
- FPOs की संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र ऋण देने वाली संस्था से **क्रेडिट गारंटी की सुविधा के साथ प्रति FPO 2 करोड़ रुपये के परियोजना ऋण** का भी प्रावधान किया गया है।
- **FPOs को आरंभिक समर्थन प्रदान करना**
  - प्रत्येक FPO को संगठित करने, उसका पंजीकरण करने और **5 वर्ष की अवधि हेतु पेशेवर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (CBBOs)** को संलग्न किया जाएगा।
- **FPOs का प्रशिक्षण और कौशल विकास**
  - FPOs की क्षमता के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के रूप में चुने गए प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं:
    - **बैंकर्स ग्रामीण विकास संस्थान (BIRD),** लखनऊ
- **लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी** (LINAC), गुरुग्राम।
- **संस्थागत ढांचा**
  - **राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (NPMA)** समग्र परियोजना मार्गदर्शन, समन्वय, FPOs से संबंधित सूचनाओं के संकलन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के रखरखाव और निगरानी के उद्देश्य के लिए अधिदेशित है।
  - **जिला स्तरीय निगरानी समिति (D-MC):** जिले में योजना के कार्यान्वयन का समग्र समन्वय और निगरानी करेगी। यह जिला कलेक्टर/ CEO/ जिला परिषद की अध्यक्षता में होगी।

1.3. प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी.एम.-किसान) (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi: PM-KISAN)

हालिया संदर्भ

हाल ही में, सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पी.एम.-किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपये की **15वीं किस्त** की राशि जारी की।

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** अलग-अलग कृषि आदानों (इनपुट्स) की खरीद के लिए सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लाभार्थी:** कुछ अपवादों को छोड़कर **सभी भूमि-धारक किसान।**
- **योजना के लाभ:** इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष, प्रत्येक चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में **6,000 रुपये** दिए जाते हैं।

अन्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी **पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को आय सहायता** प्रदान करना है। **परिवार** की परिभाषा में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताएं

- **अनिवार्य भूमि अभिलेख/ स्वत्वाधिकार (Land records):** इस योजना का लाभ केवल **उन्हीं कृषक परिवारों को मिलेगा, जिनके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं।** इसके अपवाद हैं- **वन निवासी तथा पूर्वोत्तर राज्य और झारखंड,** जहां भूमि अभिलेखों के लिए अलग प्रावधान हैं।
- **लाभार्थी कृषक परिवारों की पहचान:** इनकी पहचान **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश** सरकार द्वारा की जाती है।
- **स्व-पंजीकरण तंत्र: मोबाइल ऐप, पी.एम. किसान पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) में जाकर।**
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): पी.एम.-किसान के सभी** लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) दिए जाएंगे। **KCC के जरिए समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम 4% ब्याज** के साथ फसल और पशु/ मछली पालन के लिए ऋण दिया जाता है।
- **धन के विचलन या दुरुपयोग की रोकथाम: भौतिक सत्यापन** मॉड्यूल (प्रत्येक वर्ष 5% लाभार्थियों का), **आधार प्रमाणीकरण** और **आयकर दाता सत्यापन।**
- **परियोजना प्रबंधन इकाई (Project Management Unit: PMU):** PMU को केंद्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है। यह योजना की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  - राज्य सरकार योजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए एक **समर्पित PMU** स्थापित करने पर विचार कर सकती है।
- **शिकायत निवारण:** निगरानी और शिकायत निवारण समिति को प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत या प्रतिवेदन को **दो सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।**
- **योजना से बाहर रखे गए किसान:** ऐसे किसान **जिनकी आय अधिक है** वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

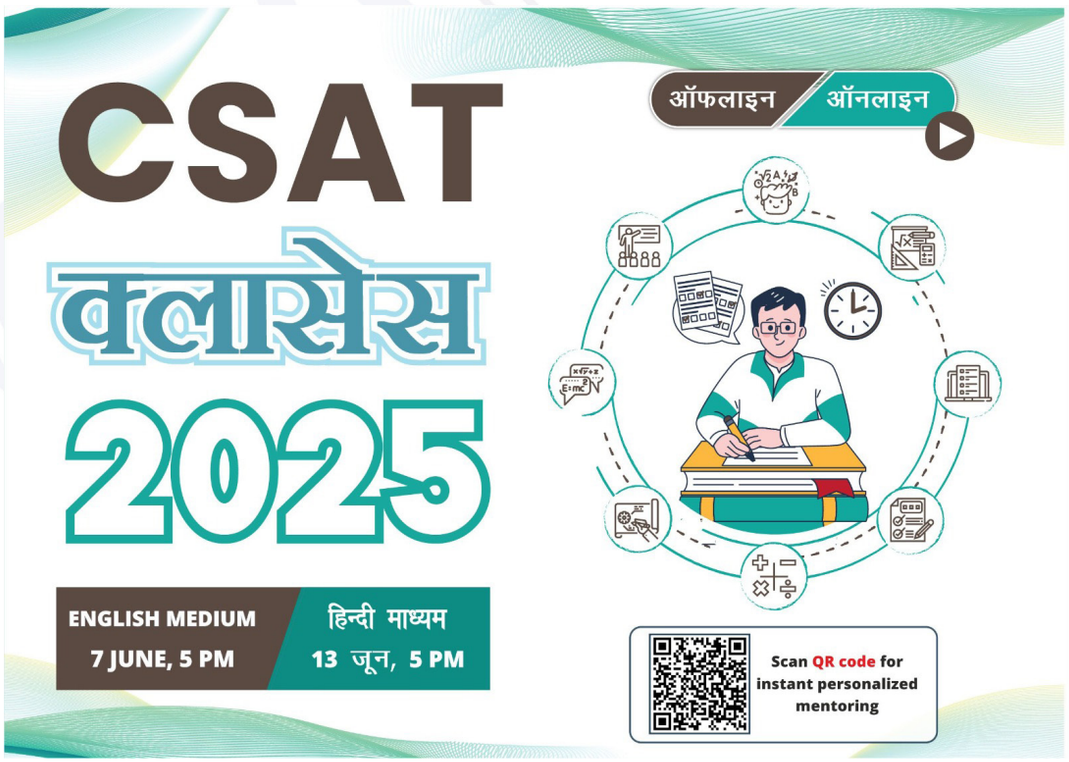

1.4. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: PMFBY)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद की अवधि तक** व्यापक फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह **एक केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **प्रकृति:** यह योजना कर्जदार किसानों सहित सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक होगी।
- **लाभार्थी: बटाईदारों/ काश्तकार किसानों सहित सभी किसान।**

अन्य उद्देश्य

- अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली फसल हानि/ क्षति से पीड़ित **किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनकी आय को स्थिर करना**
- **नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों और फसल विविधीकरण को अपनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित NAIS के स्थान पर** लाया गया है।
  - हालांकि, **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** को जारी रखा गया है।
  - RWBCIS **मौसम संबंधी मापदंडों को फसल की पैदावार के लिए "प्रॉक्सी"** के रूप में उपयोग करता है, ताकि किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके।
- **रबी और खरीफ की कवर की गई फसलें:** सभी अनाज, मिलेट्स, दालें और तिलहन।
- प्रीमियम का भुगतान **बीमित राशि के प्रतिशत या बीमांकिक प्रीमियम दर (Actuarial Premium Rate: APR),** जो भी कम हो, के रूप में किया जाता है।

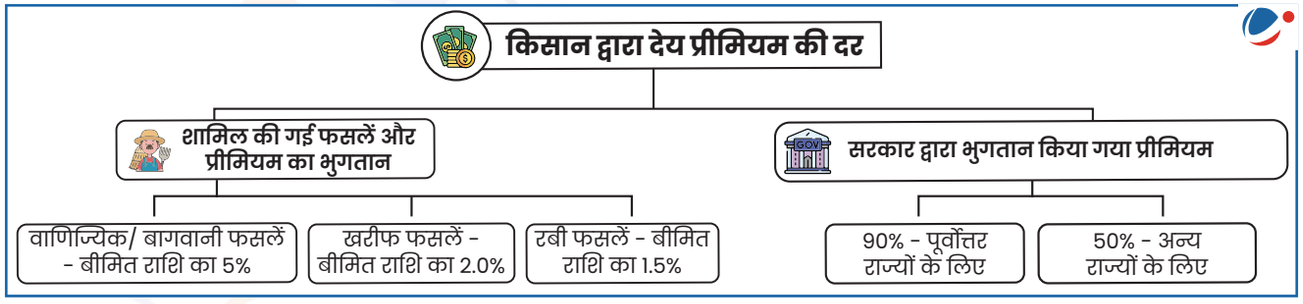

  - APR, **बीमा कंपनियों** द्वारा निर्धारित प्रीमियम दर है।
- **फसलों की बीमित राशि**
  - **MSP वाली फसलें:** राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर **राष्ट्रीय औसत उपज का या तो वित्तीय-मान या जिला स्तर मूल्य का चयन** कर सकते हैं।
  - **बिना MSP वाली फसलें:** जिन फसलों के लिए MSP घोषित नहीं किया जाता है, उन फसलों हेतु **फार्म गेट प्राइस (खेत पर)** ही स्वीकार किया जाएगा।
- **जोखिम का कवरेज और अपवर्जन यानी क्या शामिल नहीं है**
  - **बुनियादी कवरेज (अनिवार्य):** सूखे, शुष्क मौसम, बाढ़, जलप्लावन, व्यापक कीट प्रसार और रोग के हमले, भूस्खलन, वज्रपात के कारण प्राकृतिक दहन, तूफान, ओलावृष्टि एवं चक्रवात जैसे **गैर-निवार्य/ निवारणीय जोखिमों** के कारण क्षेत्र आधारित

दृष्टिकोण के आधार पर **उपज हानि** (बुवाई से लेकर कटाई तक) को कवर करने का प्रावधान करती है।

- **अतिरिक्त कवरेज (Add-On Coverage): (राज्यों के विवेक पर):** बुवाई/ रोपण/ अंकुरण जोखिम आदि के लिए कवरेज।
- **सामान्य अपवर्जन (General Exclusions):** युद्ध और नाभिकीय जोखिमों, दुर्भाविनापूर्ण क्षति एवं अन्य निवारण करने योग्य जोखिमों से होने वाली हानियों को योजना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कवरेज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

- बोली प्रक्रिया के जरिए **बीमा कंपनियों के चयन के लिए अवधि को बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है;**
- **तीन वैकल्पिक जोखिम मॉडल्स को शामिल किया गया है:** लाभ और हानि साझाकरण, कप एंड कैप (60-130), कप एंड कैप (80-110)। इसके तहत **यदि कोई दावा नहीं किया जाता है, तो राज्य द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा राज्य के राजकोष में चला जाएगा।**
- **CROPIC:** फसलों के रियल टाइम पर्यवेक्षण और फोटो का संग्रह।

PMFBY के तहत शुरू की गई अन्य प्रमुख पहलें

- **डिजीक्लेम:** डिजीक्लेम के तहत सभी दावों का बीमा कंपनी की बजाय **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के जरिए आंकलन** किया जाता है। इसके बाद **सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS)** का उपयोग करके **किसानों के खातों में भुगतान** किया जाता है। इसकी निगरानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है।
  - **किसान डिजीक्लेम मॉड्यूल का संचालन नहीं करते हैं।** केवल भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों की ही इस तक पहुंच है।
  - हालांकि, दावों के निपटान पर किसान को एक लिंक के साथ एक SMS भेजा जाता है। इससे किसान अपने दावों के भुगतान की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
- **मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम्स (WINDS) पोर्टल:** यह एक केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म है। यह तालुका/ ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशंस एवं रेन गेजस द्वारा एकत्र किए गए अति स्थानीय **मौसम संबंधी डेटा को होस्ट, मैनेज व प्रोसेस** करता है। यह पोर्टल फसल बीमा में जोखिम आंकलन व निर्णय निर्माण में सुविधा प्रदान करता है।
- **प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) मैनुअल:** यह एक तकनीक संचालित उपज अनुमान प्रणाली है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर उपज का सटीक आकलन करने के लिए विधियां, सर्वोत्तम पद्धतियां और एकीकरण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- **डोर टू डोर नामांकन ऐप AIDE/ सहायक:** इसका उद्देश्य योजना की पहुंच को बढ़ाना है।
- **फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रो-मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्सर्वेशंस (FASAL) परियोजना** शुरू की गई है।
- **कृषि के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGPA):** इसे सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के जरिए कृषि से संबंधित जानकारी तक समय पर पहुंच हेतु आरंभ किया गया है।
- **राष्ट्रीय कृषि सूखा आकलन और निगरानी प्रणाली (NADAMS):** इसे कृषि सूखे के आकलन के लिए शुरू किया गया है।
- **इसरो का भू-प्लेटफॉर्म 'भुवन':** यह प्लेटफॉर्म वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम से संबंधित डेटा प्रदान करता है।

1.5. प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana: PM-KMY)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य: लघु और सीमांत किसानों (SMF)** की वृद्धावस्था में सुरक्षा करना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान (SMF) जो 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं।
- **पेंशन निधि प्रबंधक:** जीवन बीमा निगम (LIC)

अन्य उद्देश्य

इसका उद्देश्य लघु एवं सीमांत वृद्ध कृषकों को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की निरंतर हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभ**
  - **आश्वासित पेंशन:** 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन।
- **स्वैच्छिक और अंशदायी**
  - **मासिक अंशदान:** योजना में **प्रवेश की आयु के आधार पर 55 से 200 रुपये के बीच** पेंशन निधि में अंशदान करना होगा।
  - **समान/ बराबर अंशदान: केंद्र सरकार** अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर ही योगदान करेगी।
- **पारिवारिक पेंशन**
  - **किसान की मृत्यु हो जाने की स्थिति में,** मृतक का/की पति/पत्नी को पेंशन की 50 प्रतिशत राशि का पारिवारिक पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा।
- **दिव्यांगता के लिए प्रावधान**
  - यदि अंशदान करने वाला 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दिव्यांग हो जाता है।
    - **पति या पत्नी** बाद में **इस योजना को जारी रखने** का/ की **हकदार होगा/ होगी।**
    - **पति या पत्नी** बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज **(जो भी अधिक हो)** के साथ अंशदाता के अंशदान के हिस्से के साथ योजना से **बाहर निकल सकता/ सकती है।**

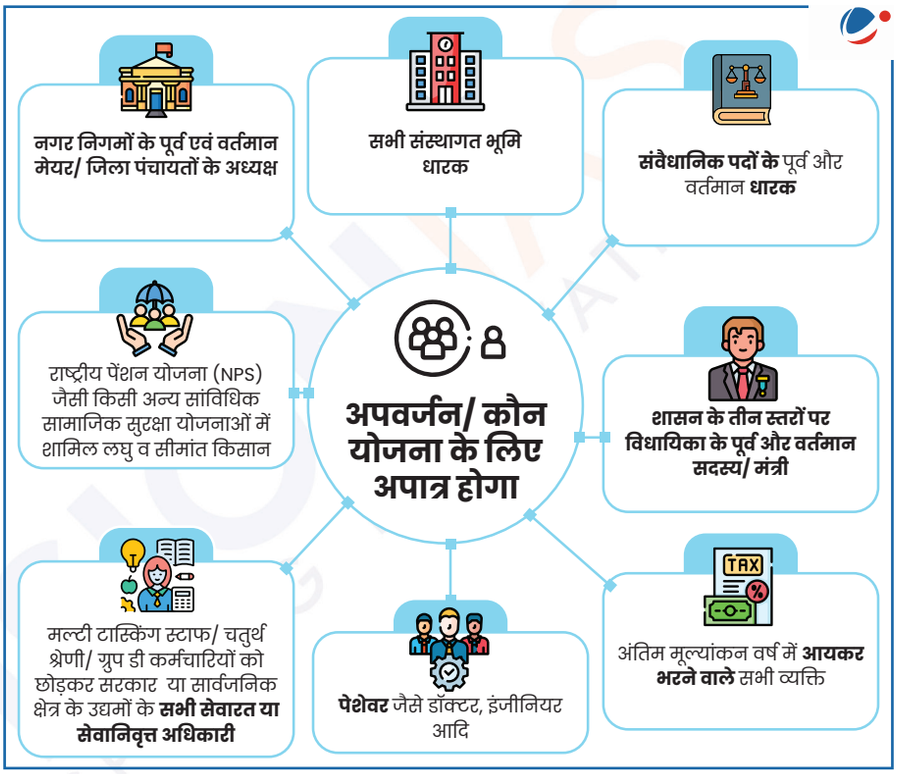

- **बाहर निकलने के प्रावधान**
  - **समय से पूर्व निकास**
    - **योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष के भीतर बाहर निकलना:** अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा।
  - **शामिल होने की तिथि से 10 वर्षों के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने पर:** अंशदाता को बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज **(जो भी अधिक हो) के साथ अंशदान का हिस्सा मिलेगा।**

1.6. खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (National Mission on Edible Oils - Oil Palm: NMEO-OP)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** खाद्य तेलों पर **आयात बोझ को कम** करना।
- **विशेष ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र:** पूर्वोत्तर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।
- **अवधि: वर्ष 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

पाम ऑयल क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके देश में खाद्य तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इस मिशन को 2021 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM-ऑयल पाम प्रोग्राम) के ऑयल पाम विकास कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया।
  - ऑयल पाम **पश्चिम अफ्रीका से उत्पन्न** हुआ है। यह तुलनात्मक रूप से भारत में एक नई फसल है। इसकी **प्रति हेक्टेयर उच्चतम वनस्पति तेल उपज क्षमता** है।
  - यह दो अलग-अलग तेलों अर्थात **ताड़ के तेल और ताड़ की गिरी के तेल** का उत्पादन करता है। इन तेलों का उपयोग **खाद्य के साथ-साथ औद्योगिक उद्देश्यों** के लिए भी किया जाता है। **भारत कुल खाद्य तेल का 57% आयात करता है।**
- **लक्ष्य**
  - **2025-26 तक:**
    - **पाम ऑयल का क्षेत्रफल बढ़ाना: 10 लाख हेक्टेयर तक (अतिरिक्त 6.50 लाख हेक्टेयर जोड़ना- जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 3.22 लाख हेक्टेयर और पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर शामिल है।)**
    - क्रूड पाम ऑयल के उत्पादन में बढ़ोतरी: **11.20 लाख टन तक।**
  - उपभोक्ता की जागरूकता में वृद्धि: **19.00 किग्रा/व्यक्ति/वर्ष का उपभोग स्तर बनाए रखना।**
- **अग्रलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:** रोपण सामग्री, 4 वर्ष की फसल की पक्वनावधि **इंटरक्रॉपिंग (अंतर-फसलन) के लिए इनपुट और रख-रखाव के लिए, बीज उद्यानों,** पौधशालाओं आदि की स्थापना, **बोरवेल/ पंप सेट/ जल संचयन संरचनाओं की स्थापना आदि।**
- **कुशल जल प्रबंधन:** पाम ऑयल में **सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण** को बढ़ावा देना।
- **खेती के लिए क्षेत्र: ICAR- भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (IIOPR)** ने ऑयल पाम की खेती के लिए लगभग 28 लाख हेक्टेयर क्षमता का आकलन किया है।
  - **आंध्र प्रदेश प्रमुख पाम ऑयल उत्पादक राज्य है।** इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि का स्थान है। छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि राज्यों में संभावित जिलों की पहचान की गई है।

1.7. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (Mission for Integrated Development of Horticulture: MIDH)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **उद्देश्य:** देश में बागवानी का समग्र विकास करना।
- **सहायता:** प्रमुख हस्तक्षेपों/ उपायों के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
- **कवरेज:** इसमें सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश कवर किए गए हैं।

अन्य उद्देश्य

- ग्रोवर्स/ प्रोड्यूसर्स के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए **एक समेग्र दृष्टिकोण अपनाना।**
- उत्पादन, कटाई-पश्चात प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिए **अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।**
- विविधीकरण (पारंपरिक फसलों से लेकर बागवानी, फूलों, अंगूर के बागों आदि तक) और किसानों को उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर **क्षेत्रफल, कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि करना।**
- समन्वित दृष्टिकोण अपनाना तथा साझेदारी, कन्वर्जेंस और तालमेल को बढ़ावा देना।

बागवानी उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, किसानों के समूहन (Aggregation) को प्रोत्साहित करना और उनके कौशल विकास का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** यह योजना 2014-15 से लागू की जा रही है।
- **कवर की गई फसलें:** फल, सब्जियां, कंद मूल वाली फसलें, मशरूम, मसाले, पुष्प, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको, बांस।
- **वित्त-पोषण साझेदारी**
  - **पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर सभी राज्य:**
    - **भारत सरकार 60%**
    - **राज्य सरकारें 40%**
  - **पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र के राज्य**
    - **भारत सरकार 90%**
    - **राज्य सरकारें 10%**
  - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), नारियल विकास बोर्ड (CDB), केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड और राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों (NLAs) के मामले में केंद्र 100% योगदान करेगा।
- **उप-योजनाएं**
  - **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):** क्षेत्र आधारित व स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना।

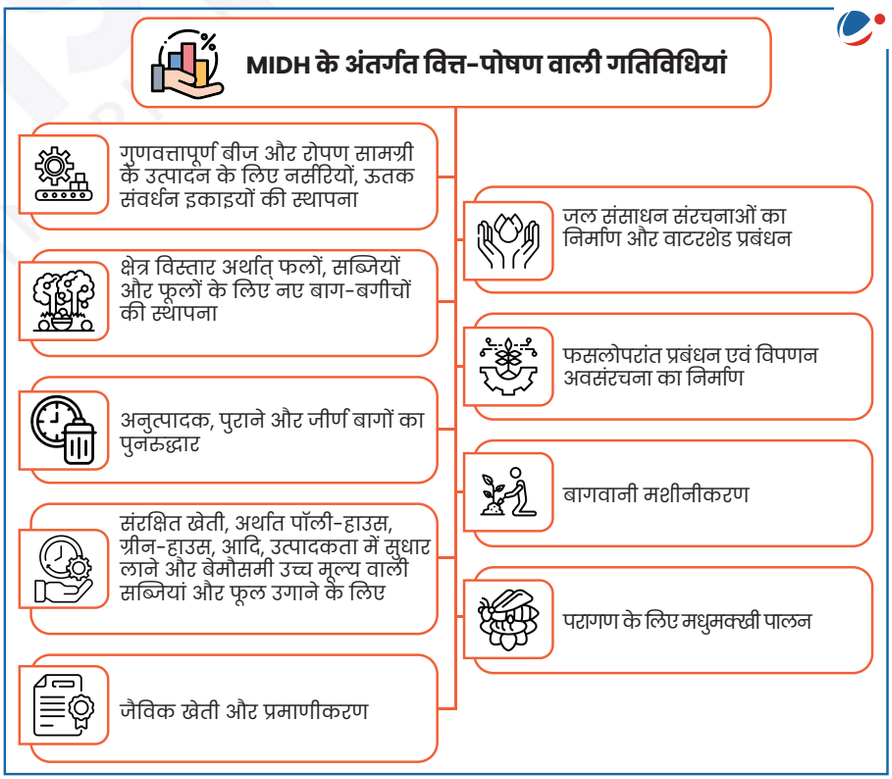

- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH):** यह एक तकनीकी मिशन है, जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर केंद्रित है।
- **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB):** बोर्ड द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
- **नारियल विकास बोर्ड {Coconut Development Board (CDB)}:** नारियल विकास बोर्ड द्वारा देश के सभी नारियल उत्पादक राज्यों में MIDH के तहत विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
- **केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड:** इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसानों और क्षेत्रीय अधिकारियों की क्षमता के निर्माण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था।
- **निगरानी:** सचिव (DAC&FW) की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति मिशन की प्रगति की निगरानी करती है।

MIDH के अधीन अन्य पहलें

- **चमन (CHAMAN) (जियोइंफॉर्मेटिक्स का उपयोग करके समन्वित बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन)**
  - प्रमुख राज्यों (12 राज्यों, 185 जिलों) के चयनित जिलों में **7 प्रमुख बागवानी फसलों** का क्षेत्र मूल्यांकन और उत्पादन पूर्वानुमान।
  - **प्रमुख फसलें:** आम, केला, चकोतरा, आलू, प्याज, मिर्च और टमाटर।
  - कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और रिमोट सेंसिंग डेटा** का उपयोग।
- **हॉर्टनेट (HORTNET)**
  - **हॉर्टनेट** परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वेब सक्षम कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है।
  - **लक्ष्य:** इसे **राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के संपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संचालित** किया गया है। साथ ही, इसके अंतर्गत कार्यप्रवाह की सभी प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है,
    - यथा- ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण, प्रमाणीकरण, तथा
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान आदि।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
A.I.T.S
GS PRELIMS TEST SERIES 2024
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली
30 टेस्ट
5 फंडामेंटल टेस्ट | 15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट
ENGLISH MEDIUM 2024: 16 JUNE
हिन्दी माध्यम 2024: 16 जून
ENGLISH MEDIUM 2025: 16 JUNE
हिन्दी माध्यम 2025: 16 जून
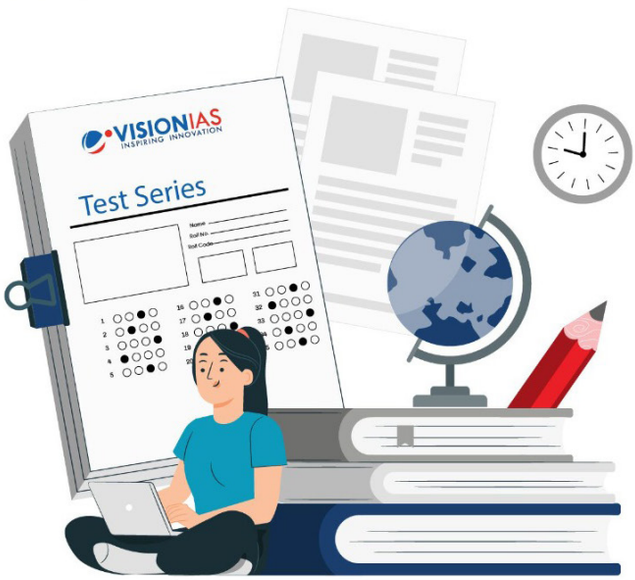

1.8. किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card: KCC)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** खेती के अलग-अलग चरणों में किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।
- **लाभार्थी:** सभी किसान- व्यक्तिगत/ संयुक्त उधारकर्ता जिनके पास भू-स्वामित्व है; काश्तकार किसान, अलिखित पट्टेदार और बटाईदार; काश्तकार किसान, बटाईदार किसान सहित किसानों के स्वयं सहायता समूह (SHGs) या संयुक्त देयता समूह (JLGs) आदि।
- **संबद्ध क्षेत्र कवरेज:** पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित क्षेत्रक।

अन्य उद्देश्य

- निम्नलिखित के लिए के लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल विंडो के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता:
  - फसलों की **कृषि और फसल कटाई के बाद के व्यय के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिए;
  - फसलोपरांत जुड़े व्यय के लिए,
  - कृषि उपज के विपणन हेतु ऋण के लिए,
  - किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए;
  - कृषि परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए,
  - कृषि और संबद्ध गतिविधियों के निवेश संबंधी ऋण की आवश्यकता के लिए।

प्रमुख विशेषताएं

- **अल्पकालिक ऋण**
  - 1.6 लाख रुपये तक का जमानत (संपार्श्विक) रहित ऋण
  - कोई प्रक्रियागत शुल्क नहीं
  - तीन लाख रुपये तक के तात्कालिक उधारकर्ताओं के लिए तीन प्रतिशत तक का **ब्याज अनुदान।**
  - ऋण का प्रीमियम: बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा वहन (क्रमशः 2:1 के अनुपात में)।
- **दीर्घकालीन ऋण**
  - **दीर्घावधि ऋण सीमा अंश:** कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता के लिए।
- **जोखिम कवरेज**
  - KCC धारक को बाहरी, हिंसक और दृश्य साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता।
- **अन्य सुविधाएं**

1.9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया स्कीम {Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Cafetaria Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** राज्यों को **कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित** करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **कवरेज:** सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश RKVY-RAFTAAR के तहत वित्त-पोषण के लिए पात्र हैं।
- **राज्यों को लचीलापन:** राज्य अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और **कृषि-जलवायु आवश्यकताओं** के अनुसार योजना के तहत परियोजनाओं और कार्यक्रमों का चयन कर सकते हैं।

अन्य उद्देश्य

- **फसल-पूर्व एवं फसल कटाई पश्चात की आवश्यक कृषि-अवसंरचना के निर्माण** के माध्यम से किसान के प्रयासों को और मजबूती देना इससे गुणवत्ता आदानों, भंडारण, बाजार सुविधाओं आदि तक पहुंच में वृद्धि होगी तथा यह किसानों को सूचित विकल्प के चयन में भी सक्षम बनाएगी।
- स्थानीय/किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार **योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन के लिए राज्यों को स्वायत्तता एवं लचीलापन** प्रदान करना।
- **मूल्य श्रृंखला संवर्धन से संबंधित उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देना,** जो किसानों को उनकी आय में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने में सहायता भी प्रदान करेगा।
- आय सृजन वाली अतिरिक्त गतिविधियों पर ध्यान देने के साथ-साथ **किसानों के आय जोखिम को कम करना।**
- विविध उप-योजनाओं के माध्यम से **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।**
- **कौशल विकास, नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता** के माध्यम से **युवाओं का सशक्तीकरण करना।**
- **कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता** आधारित कृषि व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना, जिससे वे कृषि की ओर आकर्षित हों।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** RKVY को **2007 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों के समग्र विकास** के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में आरंभ किया गया था।
  - **2017** में इस योजना को **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR)** का नाम दिया गया था।
  - इसे **2022-23 के बाद** से कृषि और किसान कल्याण विभाग की कुछ योजनाओं को विलय करके **RKVY कैफेटेरिया स्कीम के रूप में पुनर्गठित** किया गया।
- **फंड शेयरिंग पैटर्न:**
  - पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, इस योजना के तहत फंड शेयरिंग का पैटर्न **90:10** है;
  - अन्य सभी राज्यों के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग का पैटर्न **60:40** है;
  - केंद्रशासित प्रदेशों के लिए **100% अनुदान** का प्रावधान किया गया है।

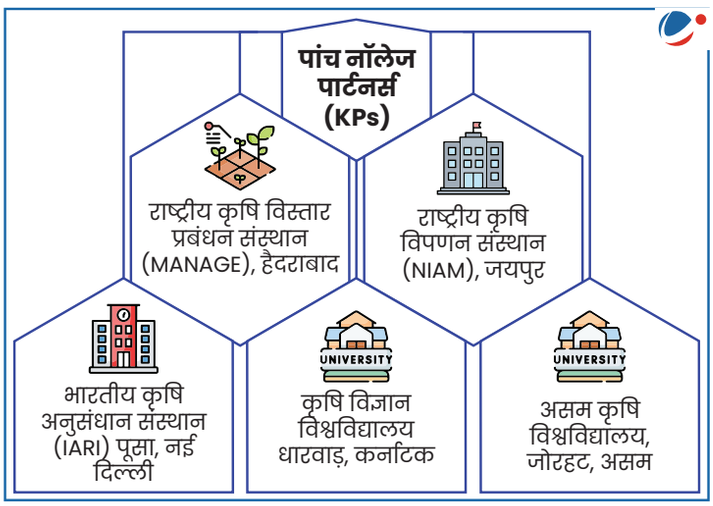

- **राज्य स्तरीय स्वीकृत समिति (SLSC): SLSC** में अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है। गौरतलब है कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव द्वारा SLSC की अध्यक्षता की जाती है।
- **राज्यों के लिए दायित्व:** राज्यों के लिए निम्नलिखित शर्तें अनिवार्य हैं:

- घटकों/ दिशा-निर्देशों से कोई भटकाव नहीं;
- **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला लाभार्थियों के लिए संसाधनों का आवंटन तथा निगरानी एवं डेटाबेस बनाए रखना।**

- **नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता कार्यक्रम:**
  - इसके तहत **कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक के उद्यमियों को अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
    - इस कार्यक्रम के तहत **अनुदान के रूप में आइडिया/ प्री-सीड चरण** में 5 लाख रुपये और **सीड चरण में** 25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं।
    - वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अब तक **1500 से अधिक कृषि-स्टार्टअप को सहायता** दी जा चुकी है।
  - DA&FW ने **देश भर में उत्कृष्टता केंद्र** के रूप में पांच नॉलेज पार्टनर्स (KPs) और **देश भर से 24 RKVY-RAFTAAR एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स (R-ABIs)** का चयन किया है। इन्हें **कृषि-स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए** चुना गया है।

RKVY कैफेटेरिया स्कीम के तहत विलय की गई प्रमुख योजनाएं

- **मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता:** इसके तहत मृदा परीक्षण आधारित एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों और बायो फर्टिलाइजर का एक साथ उपयोग किया जाता है।
- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development):** इसका लक्ष्य बहुफसली, चक्रीय फसल, अंतरफसल और मिश्रित फसल पर बल देते हुए एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):**
  - **वित्तीय सहायता:** इसके तहत राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को **तीन वर्ष के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
    - इसमें से तीन वर्ष के लिए किसानों को ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए 31,000 रुपये प्रति हेक्टेयर **प्रत्यक्ष रूप से डी.बी.टी.** के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
  - **पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम (PGS) प्रमाणीकरण:** इसमें जैविक उत्पादों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसानों को ऑनलाइन PGS प्रमाणीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
    - **राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (National Centre for Organic and Natural Farming: NCONF)** के अधीन एक समर्पित PGS सचिवालय है। यह सचिवालय स्थानीय समूहों को PGS-इंडिया प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए **क्षेत्रीय परिषदों (RCs) को अधिकृत करने संबंधी मामले को देखता है।**
  - **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP):** इसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और रसायन मुक्त खेती करने के लिए व्यापक पैमाने पर किसानों को शामिल करना है।
    - इसके तहत 2023-2024 से 2025-2026 के दौरान **देश भर में 15000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर** करने का प्रस्ताव है।
    - साथ ही, **देश भर में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRC) स्थापित** करने का भी प्रस्ताव है। BRC का काम गाय के गोबर और गोमूत्र आधारित जैव-इनपुट जैसे जीवामृत, बीजामृत और घनजीवामृत आदि की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- **प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop):** इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
  - **इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए** सरकार की ओर से **लघु और सीमांत किसानों के लिए 55 फीसदी की दर से और अन्य किसानों के लिए 45 फीसदी की दर से वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - इसके अलावा, किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को व्यापक पैमाने पर अपनाने हेतु पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए सब्सिडी की गणना हेतु 25% अधिक इकाई लागत और सूक्ष्म सिंचाई की कम पहुंच वाले राज्यों के लिए 15% अधिक इकाई लागत को ध्यान में रखा जाता है।
- **कृषि वानिकी (Agroforestry):** यह कृषि वानिकी पर उप-मिशन (Sub-Mission on Agroforestry: SMAF) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना का नया संस्करण है।
  - **योजनावधि:** 2021-22 से 2025-26 तक
  - **विशेष ध्यान:** प्रमाणित गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (Quality Planting Material: QPM) के उत्पादन पर।
  - **ICAR-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान** QPM के उत्पादन, नर्सरी की स्थापना आदि के संबंध में तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण प्रदान करने वाली नोडल एजेंसी है।
- फसल अवशेषों के प्रबंधन (CRM) सहित कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
- **फसल विविधीकरण कार्यक्रम:** जल गहन धान की फसल के क्षेत्रों में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करना।
- **ग्राम हाट और ग्राम/ GRAAMS**

1.9.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना {Soil Health Card (SHC) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** यह योजना **किसानों को मिट्टी की बेहतर समझ और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) के लिए सुविधा प्रदान** करती है।
- **योजना के उपघटक:** वर्ष 2022-23 में इसे **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)- कैफेटेरिया योजना के तहत "मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक"** के रूप में शामिल कर लिया गया था।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC):** एक खेत के लिए **प्रत्येक 3 साल में एक बार** मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है। यह कार्ड 12 मापदंडों के आधार पर मृदा की स्थिति को व्यक्त करता है।
- **SHC पोर्टल:** एक समान और मानकीकृत प्रारूप में SHCs बनाने की **सुविधा प्रदान** करता है।

अन्य उद्देश्य

- देश के **सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता करना,** ताकि मृदा में पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए एक आधार प्रदान किया जा सके।
- पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए **जिलों में मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को विकसित करना** और **उन्हें बढ़ावा देना।**
- क्षमता निर्माण, कृषि छात्रों की भागीदारी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के साथ प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** SHC योजना को **2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के एक घटक के रूप में शुरू किया गया था।** हालांकि, वर्ष 2022-23 में इसे **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)- कैफेटेरिया योजना के तहत "मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक"** के रूप में शामिल कर लिया गया था।
  - RKVY-कैफेटेरिया योजना एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
  - इसका उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत बनाना, जोखिम कम करना और कृषि-व्यवसाय उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर **खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि** बनाना है।
  - प्रमुख खाद्य एवं चारा फसलों का एकीकृत विकास, कृषि मशीनीकरण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, एकीकृत कीट प्रबंधन योजनाएं, कृषि विस्तार सेवाओं को बढ़ावा देना, आदि।

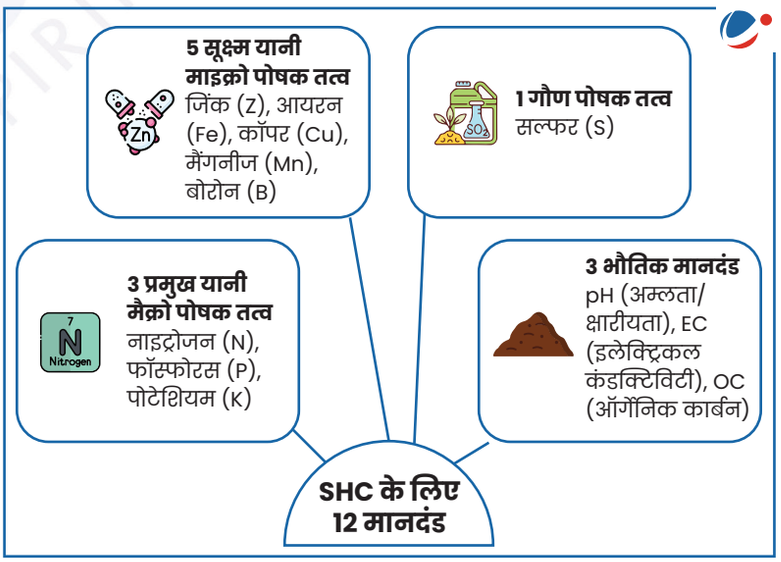

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC):** मृदा स्वास्थ्य कार्ड **12 मापदंडों** के आधार पर मृदा की स्थिति को व्यक्त करता है (इंफोग्राफिक देखें)।
  - साथ ही, यह **अलग-अलग उर्वरकों और मृदा पर किए जाने वाले अन्य संशोधनों की सलाह** भी देता है।
  - इसे **विविध प्रमुख भाषाओं और बोलियों** में प्रिंट किया जा सकता है।
- **मृदा परीक्षण:** मिट्टी के नमूनों का परीक्षण **सभी 12 मापदंडों के लिए अनुमोदित मानकों के अनुसार** किया जाता है। यह परीक्षण निम्नलिखित केंद्रों में किया जाता है-
  - **कृषि विभाग** और उसके स्वयं के **कर्मचारियों या आउटसोर्स एजेंसी के स्वामित्वाधीन STLs में;**

- केंद्रीय विज्ञान केंद्रों (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) सहित **ICAR संस्थानों में;** तथा
- प्रोफेसर/ वैज्ञानिक की देखरेख में छात्रों द्वारा **विज्ञान महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में।**

- **मृदा परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना:** राज्य सरकारों को **एक वर्ष में एकत्रित सभी नमूनों में से 1% को 'रेफरल प्रयोगशाला'** में भेजना अनिवार्य है। ऐसा **प्राथमिक प्रयोगशाला के परिणामों का विश्लेषण और उन्हें प्रमाणित** करने के लिए किया जाता है।
  - **राज्य सरकारों को रेफरल प्रयोगशालाओं की स्थापना** का समर्थन करने की भी आवश्यकता है।
- **ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं या मिनी प्रयोगशालाओं की स्थापना:** स्थान और फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर मिनी प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है।
  - इन्हें **व्यक्तिगत उद्यमियों** यानी ग्रामीण युवाओं और **समुदाय-आधारित उद्यमियों** यानी स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्कूलों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा स्थापित किया जा सकता है।
  - **जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (DLEC)** सरकार के सहयोग से मिनी लैब को संचालित करने के लिए **लाभार्थियों/ उद्यमियों का चयन** करने हेतु जिम्मेदार है।
- **मृदा के प्रत्येक नमूने के लिए भुगतान:** केंद्र, राज्य सरकारों को **मृदा के प्रत्येक नमूने के लिए 190 रुपये** की राशि प्रदान करता है। यह राशि मृदा के नमूने के **संग्रह, उसके परीक्षण, उत्पादन//जेनेरशन और किसान को SHC के वितरण की लागत को कवर** करने के लिए दी जाती है।
  - SHC बनवाने के लिए **किसानों को कोई वित्तीय लागत वहन नहीं** करनी पड़ती है।
- **तकनीकी हस्तक्षेप:**
  - **SHC पोर्टल:** इस पोर्टल को नया रूप दिया गया है और **भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ एकीकृत** किया गया है। इससे परीक्षण के सभी परिणामों को एक मानचित्र पर समाहित कर उन्हें देखा जा सकेगा।
  - **मोबाइल एप्लीकेशन: नमूने के संग्रहण की प्रामाणिकता** और जानकारी की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए, **नमूने की ट्रैकिंग की जाती है तथा SMS के माध्यम से किसानों को अलर्ट** जारी किया जाता है।

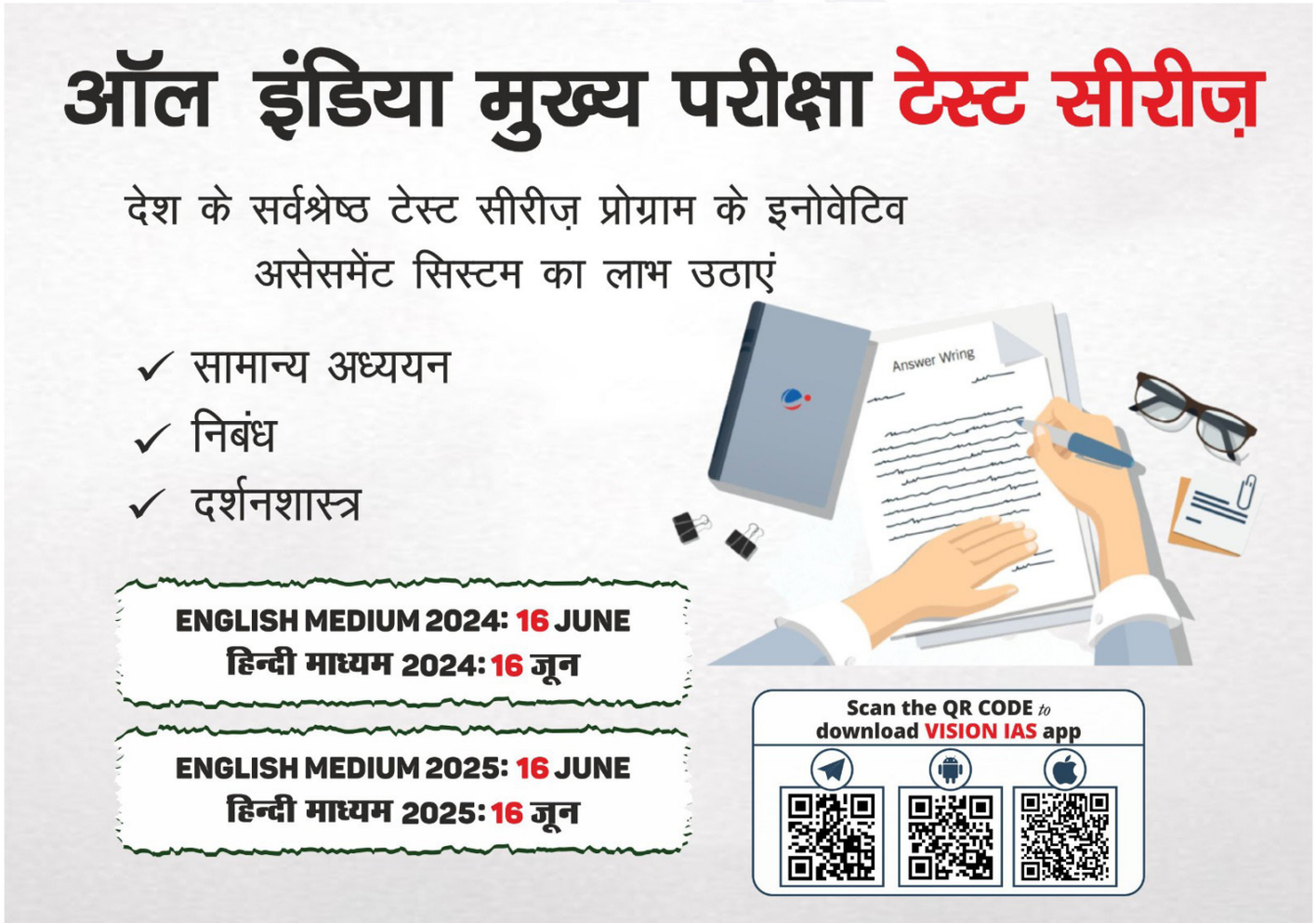

1.10. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) {National Agriculture Market (e-NAM)}

- eNAM, **एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल** है। यह **कृषि जिंसों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार के निर्माण हेतु मौजूदा APMC मंडियों का एक नेटवर्क** बना रहा है।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **वित्त-पोषण का स्रोत:** एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF)।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी: लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), eNAM की क्रियान्वयन एजेंसी है।**
- **प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (POP):**
  - **अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म्स का एकीकरण (इन्फोग्राफिक्स देखें)।**
  - **किसानों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर उपज बेचने की सुविधा प्रदान करता है।**
- **यह e-NWR (नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट) के माध्यम से व्यापार को सुगम** बनाता है।

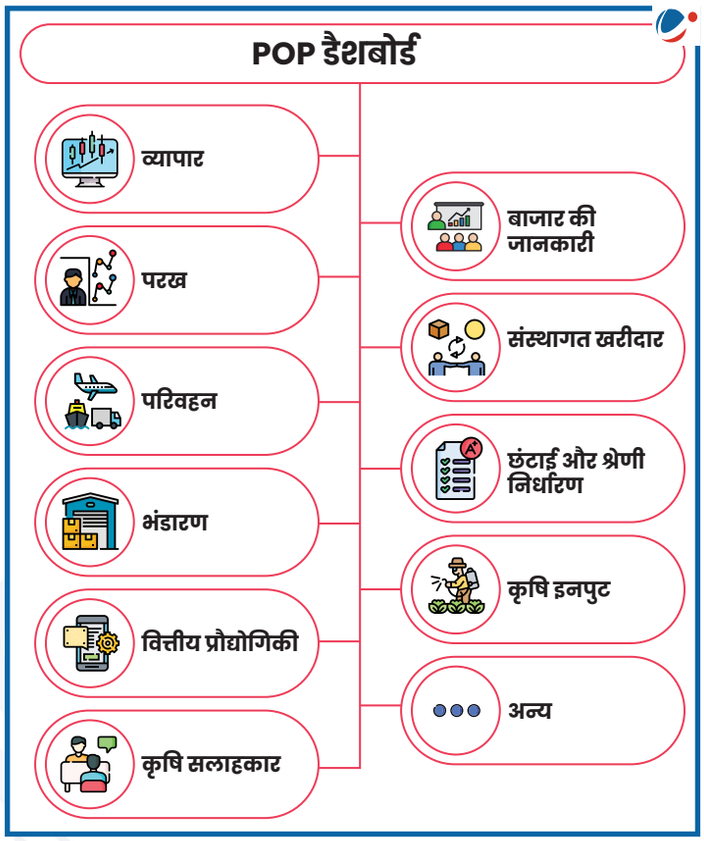

कृषि विपणन योजनाओं के लिए एकीकृत योजना (AGMARKNET/ एगमार्कनेट) पोर्टल {Integrated Scheme for Agricultural Marketing schemes (AGMARKNET) portal}

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** बागवानी और संबद्ध क्षेत्रकों सहित कृषि क्षेत्रक के विपणन योग्य अधिशेष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कृषि विपणन बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- यह एक **सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए एक G2C (सरकार से नागरिक) ई-गवर्नेंस पोर्टल** है।
- यह देश भर के कृषि उपज बाज़ारों में दैनिक आमद और वस्तुओं की कीमतों के बारे में वेब-आधारित सूचना प्रवाह को सुगम बनाती है।
- इसमें दो कार्यान्वयन एजेंसियों के तहत **5 घटक** शामिल हैं।
  - **विपणन और निरीक्षण निदेशालय या DMI (मंत्रालय का एक प्रभाग)**
    - कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM) की नई कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) उप-योजना
    - विपणन सूचना नेटवर्क (MRIN)
    - एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को मजबूत बनाना (SAGF)
  - **लघु कृषक कृषि व्यापार संघ या SFAC (एक स्वायत्त संगठन)**
    - उद्यम पूंजी सहायता (VCA) और परियोजना विकास सुविधा (PDF) के माध्यम से कृषि-व्यवसाय विकास (ABD)
    - चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET) {National Mission on Agricultural Extension and Technology (NMAET)}	• **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
	• **उद्देश्य:** प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए **नई संस्थागत व्यवस्थाओं** के माध्यम से **विस्तार प्रणाली को किसान आधारित और किसानों के प्रति जवाबदेह** बनाना।
	• इसे **कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के तहत प्रारंभ** किया गया है।
	• **इसमें उचित रूप से निम्नलिखित शामिल हैं-**
	  • **सूचना प्रसार के लिए व्यापक भौतिक पहुंच और प्रसार के इंटरैक्टिव तरीके,** ICT का उपयोग, मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए संस्थान को मजबूत करना, तथा
	  • किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन के लिए **किसानों को हित समूहों (FIGs) में एकजुट करने के प्रयास करना।**
	• **मुख्य घटक**
	  • **कृषि विस्तार पर उप मिशन (SMAE):** यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों में जागरूकता निर्माण तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।
	  • **कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM):** इसमें 'कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs)' और 'हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
	  • **बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन (SMSP):** यह बीज ग्राम कार्यक्रम, बीज प्रसंस्करण-सह-बीज भंडारण गोदामों, राष्ट्रीय बीज रिज़र्व आदि की स्थापना के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन और आपूर्ति करेगा।
	  • **पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप मिशन (SMPP):** यह जैव-सुरक्षा को विदेशी प्रजातियों के हमले और उसके प्रसार से बचाने के लिए विनियामक, निगरानी तथा क्षमता निर्माण से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेगा।

फार्म्स-ऐप (फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस-ऐप) {FARMS-app (Farm Machinery Solutions-app)}	• **उद्देश्य:** इस ऐप के माध्यम से किसानों की व्यक्तिगत रूप से मदद की जाएगी। वे इस ऐप से **कृषि मशीनरी और उपकरण किराए पर ले सकेंगे तथा साथ ही, वे पुरानी कृषि मशीनरी को बेच एवं खरीद भी सकेंगे।**
प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) {Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA)}	• **उद्देश्य: किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना।** • **इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं।** • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पूरे राज्य के लिए एक खरीद सीजन में **मूल्य समर्थन योजना (PSS) या मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) को लागू करने का विकल्प** है। वे इन्हें **विशेष रूप से अधिसूचित तिलहन की फसलों के संबंध में लागू** कर सकते हैं। **नोट:** हाल ही में, केंद्र सरकार ने तीन प्रकार की दालों **(तुअर, उड़द और मसूर)** पर 2023-24 के लिए 40% की खरीद सीमा को समाप्त कर दिया है। ऐसा मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत किया गया है। सरकार ने यह कदम दलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। • इस निर्णय के तहत किसानों से बिना किसी सीमा के **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर इन दालों की खरीद का आश्वासन** दिया गया है। • **इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं:** **मूल्य समर्थन योजना (PSS)** इस योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी) की भौतिक खरीद की जाती है। इस खरीद का व्यय और खरीद के कारण होने वाले नुकसान का वहन केंद्र सरकार करती है। **मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS)** 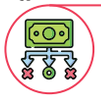 इस योजना में उन सभी तिलहनी फसलों को कवर किया जाता है, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार किसानों को MSP और बिक्री मूल्य में अंतर का सीधा भुगतान किया जाता है। **मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS)** खरीद परिचालनों में निजी क्षेत्रक की प्रायोगिक आधार पर भागीदारी की जाएगी। तिलहनों के मामले में राज्यों के लिए प्रायोगिक आधार पर PPPS आरंभ करने का विकल्प होगा।

जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (National Innovations on Climate Resilient Agriculture: NICRA) {National Innovations on Climate Resilient Agriculture (NICRA)}	• इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** ने प्रारंभ किया था। • उद्देश्य: रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु संबंधी सुभेद्यता के प्रति **भारतीय कृषि को लोचशील** बनाना। 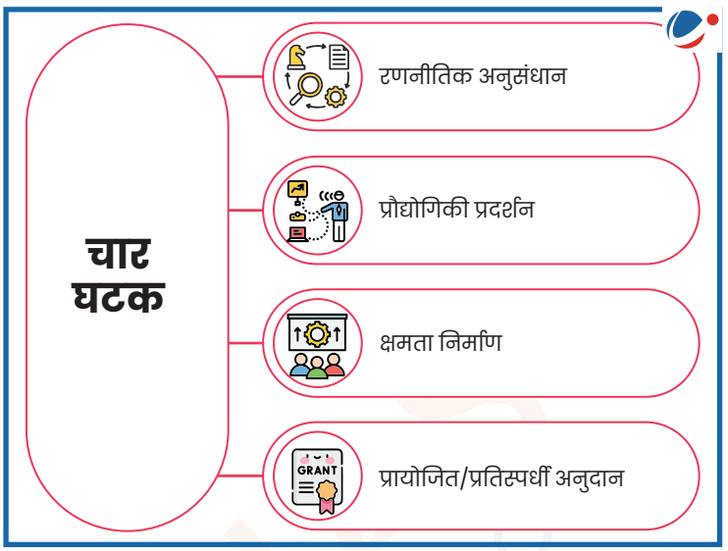
कृषि में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना (Attracting and Retaining of Youth in Agriculture: ARYA)	• **उद्देश्य:** विविध कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्रक उद्यमों की शुरुआत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को आकर्षित व सशक्त करना। इस प्रकार वे चयनित जिलों में सतत आय और लाभकारी रोजगार अर्जित कर सकेंगे। • इसका कार्यान्वयन **प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र** कर रहा है। • इसके **प्रौद्योगिकी भागीदार** कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान हैं। • प्रत्येक जिले में, **200-300 ग्रामीण युवाओं की उद्यमशीलता गतिविधियों में उनके कौशल विकास** और संबंधित सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए पहचान की जाती है।

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) ज्ञान नेटवर्क {Krishi Vigyan Kendra (KVK) Knowledge Network}	• यह **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) का एक अभिन्न अंग है।**
	• **उद्देश्य:** कृषि और संबद्ध उद्यमों में **स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल्स का आकलन** करना।
	• **वित्त-पोषण: केंद्र सरकार 100 प्रतिशत** वित्त-पोषण करेगी।
	• **KVKs निम्नलिखित के लिए स्वीकृत हैं-**
	  - कृषि विश्वविद्यालय,
	  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) संस्थान,
	  - संबंधित सरकारी विभाग और
	  - कृषि में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन (NGOs)।
	• **KVKs द्वारा की जाने वाली गतिविधियां**
	  - कृषि प्रौद्योगिकियों का **खेत स्तर पर परीक्षण**
	  - **अग्रिम पंक्ति** के तकनीकी प्रदर्शन
	  - सूचना व संचार तकनीक और अन्य मीडिया माध्यमों का उपयोग करके **कृषि सलाह प्रदान करना**
	  - विस्तार कर्मियों और किसानों की **क्षमता का निर्माण करना**
	  - कृषि प्रौद्योगिकियों के **संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य** करना

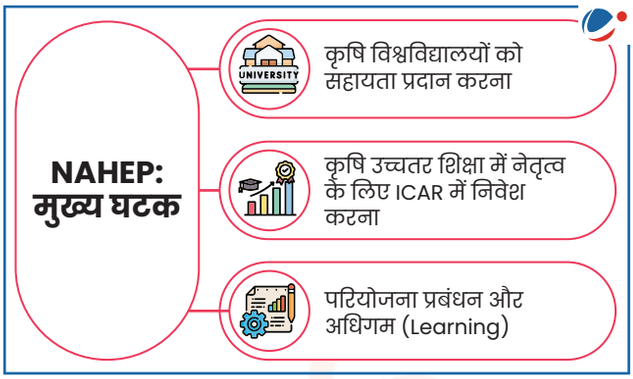

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (NAHEP) {National Agricultural Higher Education Project (NAHEP)}	• **उद्देश्य:**
	  ◦ **बुनियादी ढांचे, संकाय (faculty) और छात्र उन्नति के समर्थन** के लिए संसाधन एवं तंत्र विकसित करना, तथा
	  ◦ **कृषि विश्वविद्यालयों के बेहतर गवर्नेंस और प्रबंधन** के लिए साधन उपलब्ध कराना।
	• **बाहरी समर्थन:** इस परियोजना के लिए **विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में लागत साझाकरण** किया जाएगा।
	• इस परियोजना को **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के शिक्षा प्रभाग** में लागू किया गया है।

फार्मर फर्स्ट/FIRST (खेत, नवाचार, संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी) {Farmer FIRST (FARM, Innovations, Resources, Science and Technology)}	• इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने शुरू** किया है। • **उद्देश्य:** प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए **किसान-वैज्ञानिक इंटरफ़ेस को बढ़ाना।** • नवाचार, प्रौद्योगिकी, फीडबैक, बहु-हितधारकों की भागीदारी, बहु-पद्धति दृष्टिकोण और आजीविका हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना।
एग्री उड़ान (Agri Udan)	• इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी (ICAR-NAARM) और भारतीय प्रबंधन संस्थान-अहमदाबाद (IIM-A) के इनक्यूबेटर केंद्रों** द्वारा प्रारंभ किया गया है। • **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम सख्त निगरानी, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों को आकर्षित कर खाद्य व कृषि-व्यवसाय स्टार्ट-अप्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। सरकार अब कृषि में स्नातकों को स्टार्ट-अप प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।
मेरा गांव मेरा गौरव (Mera Gaon Mera Gaurav)	• **उद्देश्य:** इसके माध्यम से **लैब टू लैंड प्रक्रिया में तेजी लाने** के लिए किसानों के साथ वैज्ञानिकों के सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। • इसके लिए **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने पंद्रह गांवों की पहचान** की है। • चयनित गांवों के किसानों को एक निश्चित समय सीमा में **तकनीकी एवं अन्य संबंधित पहलुओं पर जानकारी उपलब्ध** करायी जाएगी।

एग्री-मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AMIF) {Agri-Market Infrastructure Fund (AMIF)}	• इसे **2000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष** के साथ लॉन्च किया गया था।
	• **उद्देश्य:** यह कोष **22000 ग्रामीण कृषि बाजारों (GrAMs) और 585 कृषि उपज बाजार समितियों** (APMCs) में कृषि विपणन अवसंरचना का विकास और उन्नयन करेगा।
	  ◦ इन GrAMs में, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके **भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत** किया जाएगा।
	  ◦ **GrAMs को ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार** से जोड़ा जाएगा। साथ ही, उन्हें **APMC विनियमों से छूट** प्रदान की जाएगी।
	  ◦ GrAMs से यह उम्मीद की जा रही है कि ये **किसानों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के माध्यम से उपभोक्ताओं और थोक खरीदारों को सीधे बिक्री करने** की सुविधा प्रदान करेंगे।
	• **मांग आधारित योजना:** इसके तहत निधि का राज्यवार और वर्षवार आवंटन नहीं होता है।
	• राज्य भी **हब एंड स्पोक मोड और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड** सहित नवोन्मेषी एकीकृत बाजार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए AMIF का उपयोग कर सकते हैं।

ई-कृषि संवाद (E-Krishi Samvad)	• **उद्देश्य:** यह एक **ऑनलाइन इंटरफेस** प्रदान करेगा। इसके माध्यम से किसान और अन्य **हितधारक सीधे ICAR से संपर्क** कर सकते हैं। इस प्रकार वे ICAR के समक्ष अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते हैं। • किसान विशेषज्ञों से तुरंत निदान और उपचारात्मक उपायों को प्राप्त करने के लिए **रोगग्रस्त फसलों, जानवरों या मछलियों की तस्वीरें भी अपलोड** कर सकते हैं। • विशेषज्ञों द्वारा **उचित समाधान SMS या वेब के माध्यम से** प्रदान किया जाएगा।
ई-राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी (e-RAKAM) {e-Rashtriya Kishan Agri Mandi (e-RAKAM)}	• यह **MSTC लिमिटेड और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी** की ओर से एक संयुक्त पहल है। **MSTC लिमिटेड** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम (PSU) है। • उद्देश्य: यह किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक **नीलामी मंच** प्रदान करता है। इस प्रकार बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त करता है। • इसके माध्यम से **किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान** किया जाता है।
हॉर्टिनेट-किसान कनेक्ट ऐप (Hortinet – Farmer Connect App)	• **यह खोज करने में सक्षम एक एकीकृत प्रणाली है।** • इसे **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने विकसित** किया है। • **उद्देश्य:** यह मानकों के अनुपालन के साथ भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर, अनार और सब्जियों के फार्म्स के पंजीकरण, परीक्षण व प्रमाणन की सुविधा हेतु इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है।

मेघदूत ऐप (Meghdoot app)	• इसे **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से कृषि मंत्रालय** ने लॉन्च किया है।
	• **इसे निम्नलिखित संस्थानों ने विकसित किया है:**
	  ◦ भारत मौसम विज्ञान विभाग;
	  ◦ भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान; तथा
	  ◦ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
	• **उद्देश्य:** यह किसानों को **स्थानीय भाषाओं में अवस्थिति, फसल और पशुधन-विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह** प्रदान करता है।
	• प्रदान की गई जानकारी **वास्तविक समय पर आधारित नहीं होती है,** लेकिन इसे **सप्ताह में दो बार अपडेट** किया जाता है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना (PDDUUKSY) {Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana (PDDUUKSY)}	• **उद्देश्य:** पर्यावरणीय जीविका और मृदा स्वास्थ्य के लिए **जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तथा गाय आधारित अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन** विकसित करना। • इसके तहत जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और अन्य संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में **किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित** किए जाते हैं।
केंद्रीकृत फार्म मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण पोर्टल (Centralized Farm Machinery Performance Testing Portal)	• **उद्देश्य:** यह पोर्टल विनिर्माताओं को **कृषि मशीनरी प्रदर्शन परीक्षण संस्थानों में सुधार** करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, **मशीनों के परीक्षण व मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद** भी करेगा। • विनिर्माताओं को निर्बाध रीति से **उनकी मशीनों के प्रदर्शन परीक्षण के लिए आवेदन करने, संचार करने और परीक्षण की प्रगति की निगरानी करने** में सुविधा प्रदान करता है।
बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Horticulture Cluster Development Programme)	• यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। • **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम के माध्यम से **लक्षित फसलों के निर्यात में लगभग 20 प्रतिशत तक सुधार** करना है। साथ ही, क्लस्टर फसलों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें क्लस्टर-विशिष्ट ब्रांड बनाना है। • इसकी **कार्यान्वयन एजेंसी** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) है।

2. आयुष मंत्रालय (MINISTRY OF AYUSH)

2.1. राष्ट्रीय आयुष मिशन (National Ayush Mission: NAM)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य रोग के बोझ को कम करने के लिए **समग्र कल्याण और "सेल्फ-केयर" को बढ़ावा** देना है।
- **आयुष (AYUSH): आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी।**
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2015 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य

- **लागत प्रभावी आयुष सेवाएं** प्रदान करना और **औषधीय पादपों की कृषि** को समर्थन प्रदान करना।
- **कलस्टरों** की स्थापना तथा **उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास करना।**
- बीमारी के बोझ और जेब से होने वाले खर्चों को कम करने के लिए **आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से एक समग्र कल्याण मॉडल** स्थापित करना।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की एक ही जगह पर उपलब्धता** के माध्यम से जरूरतमंद जनता को तथ्य आधारित विकल्प प्रदान करना। इसके परिणामस्वरूप, **चिकित्सा में बहुलवाद** का प्रसार होगा।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), 2017 के अनुसार लोक स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका** पर जोर देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **आयुष (AYUSH):** यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और स्वास्थ्य देखभाल विरासत का एक अभिन्न अंग है। ये चिकित्सा पद्धतियां प्राचीन ज्ञान और प्रथाओं से प्रेरित होकर स्वास्थ्य एवं कल्याण पर अद्वितीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करती हैं।
- **पृष्ठभूमि:** राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) को **2014** में शुरू किया गया था। इससे पहले आयुष को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों को **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के साथ एकीकृत** किया गया था।
- **अनिवार्य घटक:**
  - **आयुष द्वारा प्रदत्त सेवाएं:** लागत प्रभावी आयुष सेवाएं निम्नलिखित के द्वारा प्रदान की जाती हैं:-
    - **आयुष अस्पतालों और औषधालयों** के उन्नयन के माध्यम से सार्वभौमिक पहुंच के द्वारा;
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में **आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना करके;**

- **10 बिस्तरों वाले/ 30 बिस्तरों वाले/ 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना करके;**
- आयुष सिद्धांतों में अंतर्निहित समग्र कल्याण मॉडल पर आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए **आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के एक नेटवर्क** को संचालित करके आदि।
  - आयुष्मान भारत के 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को अब **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** नाम दिया गया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को **2023-24 तक 5 साल की अवधि के लिए** NAM के माध्यम से शुरू किया जाएगा।

- **AYUSH शिक्षण संस्थान:**
  - सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त **आयुष स्नातक (UG) के साथ-साथ स्नातकोत्तर (PG) शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड** करना।
  - ऐसे **राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना, जहां सरकारी आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

- **घटकों में लचीलापन:** राज्य कोष में उपलब्ध कुल धनराशि में से **25% धनराशि के लिए लचीलापन** होगा। इससे उन निधियों का निर्धारण किया जा सकेगा।
- **प्रदर्शन-आधारित बजटिंग: फ्लेक्सीपूल बजट के कुल आवंटन का 20%** अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उसी अनुपात में आवंटित किया जाएगा, जिसमें NAM का मुख्य बजट आवंटित किया जाता है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:**
  - आयुष मंत्रालय ने राज्य की वार्षिक कार्य योजना (SAAPs), अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स (UCs) जमा करने आदि के लिए एक समर्पित **NAM वेब पोर्टल** बनाया है।
  - राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आधार पर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट आयुष मंत्रालय को देनी** होती है।

लचीले घटकों के अंतर्गत वित्त-पोषित संबंधी प्रमुख गतिविधियां

योग कल्याण केंद्र: ये केंद्र प्रारंभिक साज-सज्जा के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में **1 लाख रुपये हेतु** पात्र हैं। साथ ही कार्यबल, रखरखाव आदि के लिए **प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये** की आवर्ती सहायता प्रदान की जाती है।

टेली-मेडिसिन, आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा, सूचना, शिक्षा व संचार (IEC) गतिविधियां, आयुष के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन, आयुष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रमाणीकरण आदि।

Lakshya
MAINS MENTORING PROGRAM 2024
25 जून 2024
(मुख्य परीक्षा – 2024 के लिए एक लक्षित रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श कार्यक्रम)
70 दिवसीय विशेषज्ञ परामर्श
मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम
अधिक अंकदायी विषयों पर विशेष बल
GS मुख्य परीक्षा, निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्न–पत्रों के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस की सुनियोजित योजना
लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा
शोध आधारित विषयवार रणनीतिक दस्तावेज
मेंटर्स के साथ वन–टू–वन सेशन
स्ट्रेटेजिक डिस्कशन, लाइव प्रैक्टिस और सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए निर्धारित ग्रुप सेशन
निरंतर प्रदर्शन मूल्यांकन और निगरानी

2.2. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/Intiatives)

आयुष दवाओं की फार्माकोविजिलेंस को बढ़ावा देना (Scheme for promoting pharmacovigilance of AYUSH drugs)	• **उद्देश्य:** आयुष दवाओं के **प्रतिकूल प्रभावों के दस्तावेजीकरण** की संस्कृति को विकसित करना तथा इनकी सुरक्षात्मक निगरानी करना। साथ ही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाए जाने वाले **भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करना।** • **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • यह राष्ट्रीय, मध्यवर्ती और परिधीय स्तर पर **फार्माकोविजिलेंस सेंटर (PvCC) के त्रि-स्तरीय नेटवर्क** की स्थापना की सुविधा प्रदान करता है। • नई दिल्ली स्थित **अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान,** आयुष मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त निकाय है। इसे इस पहल के अंतर्गत विविध गतिविधियों के समन्वय हेतु **NPvCC** के रूप में नामित किया गया है।

राष्ट्रीय आयुष ग्रिड परियोजना (National AYUSH Grid Project)	• **उद्देश्य:** यह परियोजना **छह कार्यात्मक क्षेत्रों में सेवा वितरण का डिजिटलीकरण** करती है।
	• आयुष ग्रिड निम्नलिखित के **प्रासंगिक डिजाइन सिद्धांतों** का पालन करती है:
	  • इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0;
	  • आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM); तथा
	  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (NDHB).
	• अब तक शुरू की गई **प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:**
	  • **मोबाइल ऐप: आयुष संजीवनी, योग लोकेटर आदि।**
	  • **अनुकूलित आईटी पाठ्यक्रम:** आयुष पेशेवरों के लिए।
	  • **आयुष नेक्स्ट: करियर मार्गदर्शन, इंटरएक्टिव फोरम, क्विज आदि के साथ** सूचना के आदान-प्रदान के लिए।

आयुष क्लिनिकल केस रिपॉजिटरी (CCR) पोर्टल {Ayush Clinical Case Repository (CCR) portal}	• **उद्देश्य:** अलग-अलग रोग स्थितियों के उपचार के लिए **आयुष प्रणालियों की क्षमता को प्रदर्शित** करना। • यह **आयुष चिकित्सकों और जनता दोनों को समर्थन प्रदान** करता है। • यह आयुष चिकित्सकों द्वारा **सफलता की कहानियों/ सफलतापूर्वक इलाज किए गए मामलों को पोस्ट करने की सुविधा प्रदान** करता है।

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

3.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना {Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना का उद्देश्य:** किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराना।
- **योजना का प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC):** वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले **'N', 'P', 'K' और 'S' के लिए प्रति पोषक तत्व आधारित सब्सिडी** की सिफारिश करती है।
- **माल भाड़े में छूट: NBS के अलावा,** देश में उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता के लिए **रेल और सड़क मार्ग द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों की आवाजाही और वितरण के लिए माल भाड़ा** प्रदान किया जाता है।

अन्य उद्देश्य

राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, **कृषि उत्पादकता** में सुधार करना और **उर्वरकों का संतुलित उपयोग** सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: 1992** में, केंद्र ने **फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों को विनियमन से मुक्त** कर दिया था। इससे उनकी **कीमतें बढ़** गई थीं।
  - इसके परिणामस्वरूप, किसानों ने **नाइट्रोजन (N) का अत्यधिक उपयोग** किया, जिसकी कीमत अभी भी नियंत्रित थी। इससे **मिट्टी के पोषक तत्वों (N, P, और K) में असंतुलन** पैदा हो गया था। इससे मिट्टी की उत्पादकता कम हो गई।
  - इसका समाधान करने के लिए **कृषि और सहकारिता विभाग ने तदर्थ आधार पर (1992 से 2010 तक) अनियंत्रित P&K उर्वरकों के लिए एक रियायत योजना** की शुरुआत की थी।
  - **वर्ष 2010** में, सरकार ने NBS योजना शुरू की थी।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) का अर्थ:** समग्र रूप से उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान करने की बजाय **नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S)** जैसे पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
- **NBS के लिए सब्सिडी भुगतान**
  - **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC)** वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सब्सिडी की सिफारिश करती है।

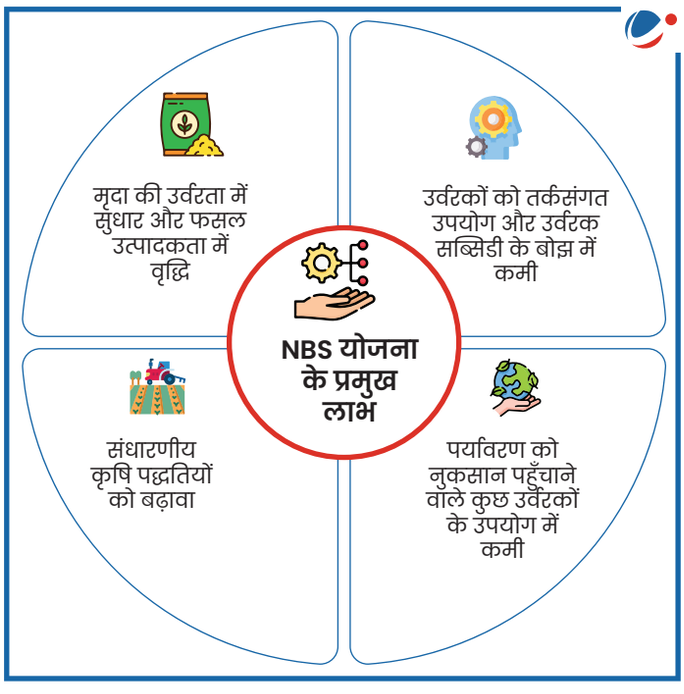

- IMC की सिफारिश के आधार पर **NBS** के लिए प्रत्येक पोषक तत्व **अर्थात 'N', 'P', 'K' और 'S' पर वार्षिक भुगतान** किया जाता है।
- IMC **द्वितीयक ('S' के अलावा) और सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले फोर्टिफाइड सब्सिडी युक्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त सब्सिडी** की भी सिफारिश करती है।

- **अनुकूलित उर्वरकों के लिए सब्सिडी:** अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों के विनिर्माता विनिर्माताओं/ आयातकों से सब्सिडी वाले उर्वरक प्राप्त करने के पात्र हैं।
  - **अनुकूलित उर्वरकों और मिश्रित उर्वरकों की बिक्री पर कोई अलग से सब्सिडी प्रदान नहीं** की जाती है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** DBT के माध्यम से उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी दी जाती है। इसे बाद में कम खुदरा कीमतों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाता है।
- **एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (Integrated Fertilizer Monitoring System: iFMS):** यह 2016 में शुरू की गई एक IT सक्षम प्रणाली है। यह **उत्पादन, आवाजाही, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, सब्सिडी बिल जनरेशन** आदि से लेकर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी भुगतान तक के मामले में उर्वरकों के लिए शुरू से अंत तक विवरण प्राप्त करती है।

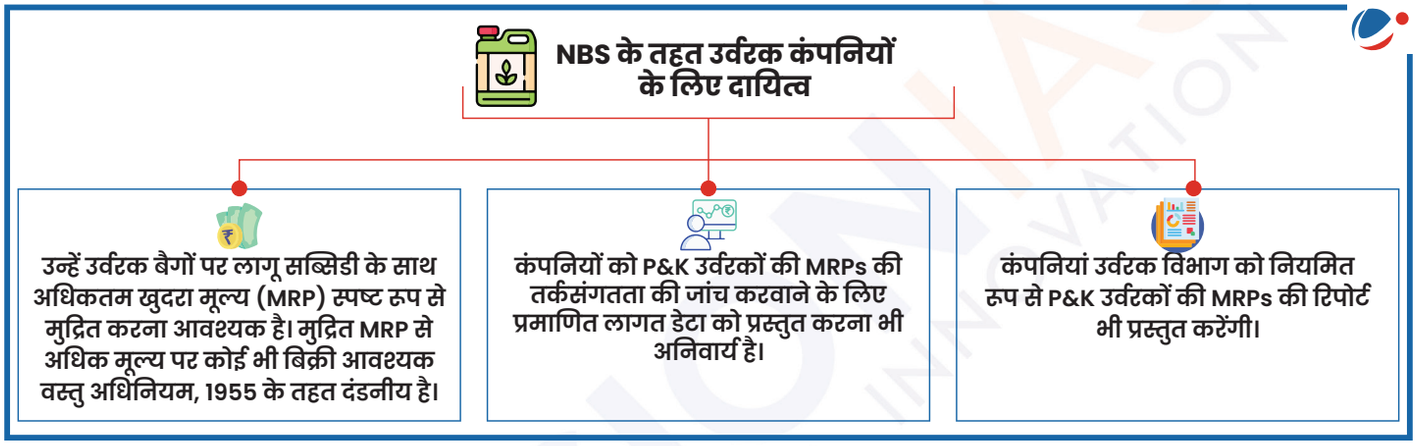

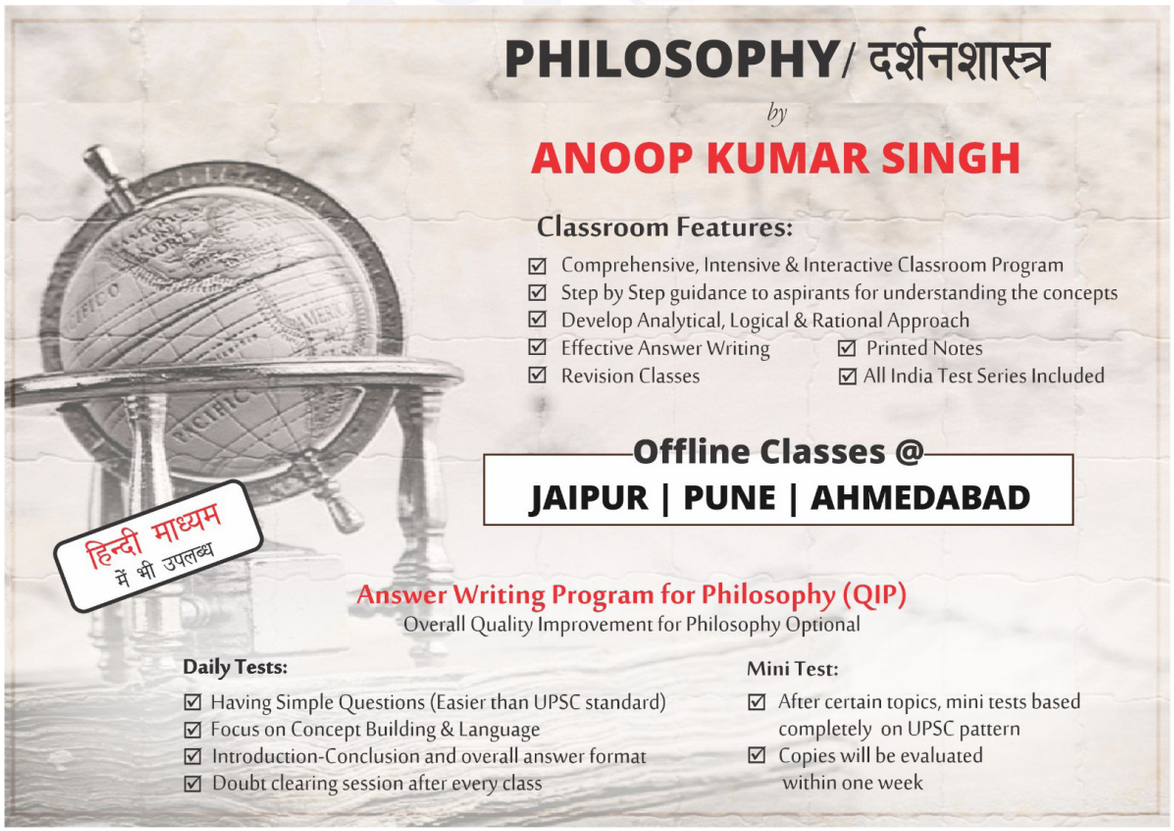

3.2. औषध के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME FOR PHARMACEUTICALS)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** औषध क्षेत्र में भारत की **विनिर्माण क्षमताओं** को बढ़ाना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2028-29 तक

अन्य उद्देश्य

भारत से बाहर **वैश्विक चैंपियन तैयार करना** और इस तरह वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में प्रवेश करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **आवेदक:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) के साथ-साथ गैर-MSMEs दोनों आते हैं:
  - **स्वामित्व फर्म (Proprietary Firm);**
  - **साझेदारी फर्म;**
  - **सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP);**
  - **भारत में पंजीकृत कोई कंपनी।**
- **उत्पाद श्रेणियां**
  - **श्रेणी 1:** बायोफार्मास्यूटिकल्स ; जटिल जेनेरिक दवाएं; पेटेंट दवाएं; ऑफ़िन इग्स इत्यादि।
  - **श्रेणी 2:** सक्रिय औषध सामग्री (APIs)/ मुख्य प्रारंभिक सामग्री (KSMs) और औषधि मध्यवर्तियों (DIs) के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत कवर किए गए उत्पादों को छोड़कर अन्य APIs/KSMs/DIs
  - **श्रेणी 3:** भारत में निर्मित नहीं होने वाली दवाओं सहित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के अंतर्गत नहीं आने वाली दवाएं

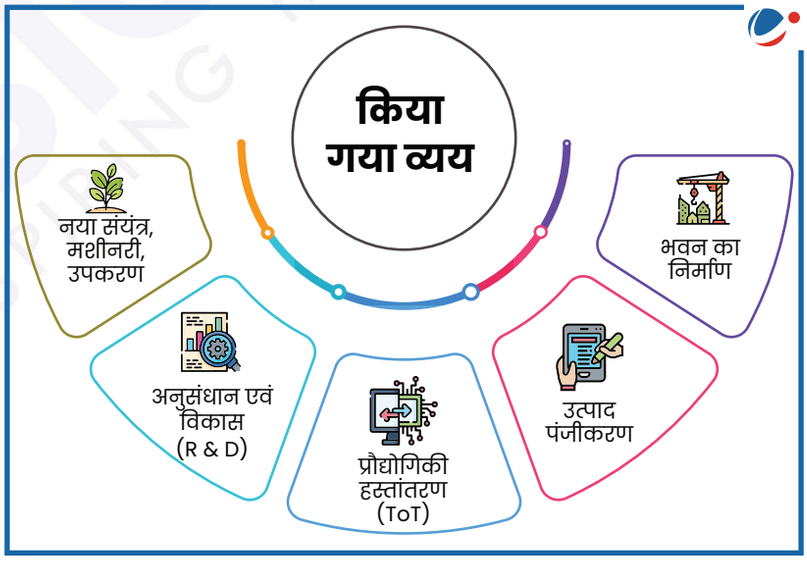

- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20)** में **वृद्धिशील बिक्री** पर प्रदान किया जाता है।
  - **प्रोत्साहन भुगतान की अवधि:** अधिकतम **6 वर्ष।**
- **प्रोत्साहन की दर**
  - **श्रेणी 1 और 2:** प्रारंभ में **10%** और क्रमिक रूप से **6%** तक कम कर दी जाएगी।
  - **श्रेणी 3:** प्रारंभ में **5%** और क्रमिक रूप से **3%** तक कम कर दी जाएगी।

3.3. महत्वपूर्ण मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs), औषधि मध्यवर्ती (DIs) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना {PLI Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Critical Key Starting Materials (KSMs), Drug Intermediates (DIs) and Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लक्ष्य:** आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महत्वपूर्ण KSMs/ DIs/ APIs के आयात पर निर्भरता को कम करना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) लिमिटेड।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2029-30 तक

अन्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मुख्य आरंभिक सामग्री (KSMs)/ औषधि मध्यवर्ती (Drug Intermediates) और सक्रिय औषध सामग्री (APIs) में अधिक निवेश आकर्षित कर इनके घरेलू विनिर्माण / उत्पादन को बढ़ावा देना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **बल्क ड्रग या API:** एक बल्क ड्रग या API किसी औषध उत्पाद में ऐसा रासायनिक अणु होता है, जो उत्पाद में दावा **किए जाने वाले चिकित्सीय प्रभाव पैदा** करता है। उदाहरण के लिए **पेनिसिलिन।**
  - भारत **बल्क ड्रग्स के कुल आयात का लगभग 70% चीन से आयात** करता है।
- **विषय क्षेत्र:** चार अलग-अलग लक्षित क्षेत्रों में **90% के न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन के साथ ग्रीन फील्ड संयंत्रों की स्थापना करना।**
- **पात्र निवेश:** नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, अनुसंधान और विकास (R&D), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT), उत्पाद पंजीकरण, भवन का निर्माण पर किया गया व्यय।
- **उत्पाद श्रेणियां: चार श्रेणियों में 41 उत्पाद, जो सभी चिन्हित 53 APIs को कवर करते हैं।**
- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) में वृद्धिशील बिक्री** पर प्रदान किया जाता है।
  - **प्रोत्साहन भुगतान की अवधि:** अधिकतम **6 वर्ष तक।**
  - **प्रोत्साहन की दर:**
    - **किण्वन आधारित उत्पादों के लिए:** प्रारंभ में 20% और क्रमिक रूप से 5% तक कम कर दी जाएगी।
  - **रासायनिक संश्लेषण आधारित उत्पादों के लिए: 10% तक।**

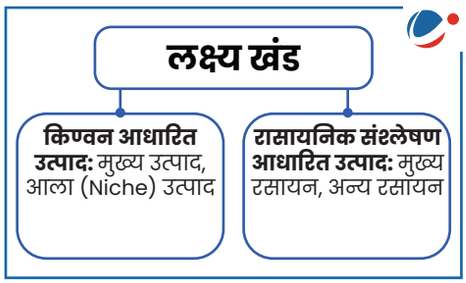

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

3.4. चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना (PLI Scheme for Promotion of Domestic Manufacturing of Medical Devices)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** चिकित्सा उपकरणों के घरेलू निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना।
- **आवेदक:** भारत में पंजीकृत कोई भी कंपनी, जो ग्रीनफील्ड परियोजना में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बृहद् निवेश को आकर्षित करके स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पात्र निवेश:** निम्नलिखित पर किया गया व्यय
  - नया संयंत्र, मशीनरी, उपकरण
  - अनुसंधान और विकास (R&D)
  - प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT)
  - भवन का निर्माण
- **वित्तीय निवेश**
  - **निवेश भुगतान की अवधि:** अधिकतम **5 वर्ष।**
  - आधार वर्ष 2019-20 के आधार पर वृद्धिशील बिक्री का **पांच प्रतिशत** तक।

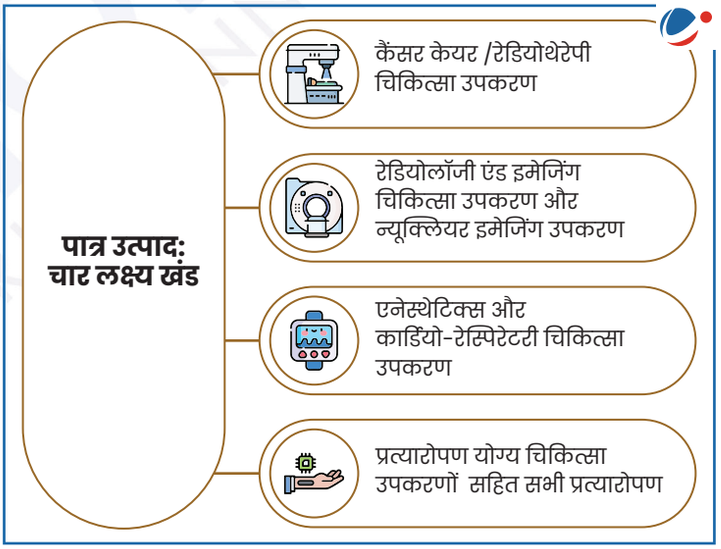

3.5. औषध उद्योग को मजबूत बनाने हेतु योजना (Strengthening Pharmaceuticals Industry: SPI)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को **फार्मा (औषध) क्षेत्र में** वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना।
- **परियोजना प्रबंधन सलाहकार:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी/ SIDBI)
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-2022 से वित्त वर्ष 2025-2026 की अवधि तक।
- **परियोजनाओं का अनुमोदन: औषध विभाग के सचिव की अध्यक्षता में योजना संचालन समिति** (SSC) द्वारा।

अन्य उद्देश्य

- सामान्य सुविधाओं के निर्माण के लिए फार्मा क्लस्टरों को वित्तीय सहायता प्रदान करके **मौजूदा अवसंरचना सुविधाओं को मजबूत करना।**
- **क्षतिपूर्ति के आधार पर सब्सिडी प्रदान करके,** नवीनतम विनियामक मानकों को पूरा करने के लिए **फार्मा इकाइयों की उत्पादन सुविधाओं को अपग्रेड करना।** इससे वे **संशोधित अनुसूची M और WHO-GMP प्रमाणन प्राप्त करने** में सक्षम बन सकेंगे।
- **फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग के बारे में ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देना।** ऐसा उद्योग का अध्ययन कर व डेटाबेस बनाकर तथा उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं को एक साथ लाकर किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: भारतीय औषध उद्योग मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर 14वां** विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर भारत में **यूनाइटेड स्टेट फ़ूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US FDA) द्वारा अनुमोदित संयंत्रों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है।**
- **साझा सुविधाएं:** सभी सुविधाएं **साझा उपयोग** के लिए लक्षित हैं। **उदाहरण:** साझा परीक्षण केंद्र; प्रशिक्षण केंद्र; R&D केंद्र इत्यादि।

योजना के घटक

- **साझा सुविधाओं के लिए औषध उद्योग को सहायता (API-CF): सामान्य सुविधाओं का निर्माण करके उनके निरंतर विकास के लिए** मौजूदा **फार्मास्युटिकल क्लस्टर्स** की क्षमता को मजबूत करना।
  - **लाभार्थी:**
    - » एक क्लस्टर के वे सभी **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयां** जिन्होंने साझा सुविधा विकसित करने हेतु एक **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** बनाने के लिए साथ मिलकर काम किया है। SPV के सदस्य के रूप में कम-से-कम 5 फार्मा इकाइयां होंगी।
    - » **राज्य सरकारों द्वारा फार्मा क्लस्टरों को बढ़ावा** दिया जाएगा।
  - **सहायता:** स्वीकृत परियोजना लागत का **70% तक (हिमालयी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 90% तक) अथवा 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो।**
- **संशोधित फार्मास्युटिकल्स प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन सहायता योजना (RPTUAS): संशोधित शेड्यूल-M और विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (WHO-GMP) मानकों के अनुरूप फार्मास्युटिकल उद्योग में सुधार** का समर्थन करना है।
  - **औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का शेड्यूल-M** फार्मास्युटिकल उत्पादों के लिए **GMP** निर्धारित करता है
  - **पात्रता मानदंड:** ऐसी कोई भी **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाई, जिसे प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता अपग्रेडेशन** की आवश्यकता है तथा जो **टर्नओवर संबंधी मानदंड** पूरा करती है, वह योजना में शामिल हो सकती है। (इन्फोग्राफिक्स देखिए)
    - ◇ इसमें **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्राथमिकता** दी जाएगी।
      - » पहले यह योजना **केवल MSME फार्मास्युटिकल इकाइयों को ही कवर** करती थी।

- **पात्रता हेतु शामिल अन्य गतिविधियां:** प्रोत्साहन के लिए पात्र गतिविधियों में **वाटर और स्टीम यूटीलिटीज़, परीक्षण प्रयोगशालाएं, स्टेबिलिटी चैंबर्स, अपशिष्ट प्रबंधन** आदि शामिल हैं।
- **वित्त-पोषण का उदार विकल्प:** इसमें पारंपरिक **क्रेडिट-लिंक्ड सहायता की तुलना में प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के आधार पर सब्सिडी** पर बल दिया जाता है।
- **राज्यों की योजना के साथ एकीकरण की अनुमति:** यह प्रावधान **फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयों को अतिरिक्त टॉप-अप सहायता का लाभ उठाने में मदद** करेगा।
- **सत्यापन का बेहतर तरीका:** पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों का दक्ष आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक **परियोजना प्रबंधन एजेंसी** के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।

- **औषध और चिकित्सा उपकरण संवर्धन तथा विकास योजना (Pharmaceutical & Medical Devices Promotion and Development Scheme: PMPDS):** यह कार्य अध्ययन / सर्वेक्षण रिपोर्ट, जागरूकता कार्यक्रमों, डेटाबेस तैयार करने और उद्योग को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों का टर्नओवर	प्रोत्साहन राशि
50 करोड़ रुपये से कम	पात्र गतिविधियों के तहत निवेश का 20%
50 करोड़ रुपये से अधिक और 250 करोड़ रुपये से कम	पात्र गतिविधियों के तहत निवेश का 15%
250 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये से कम	पात्र गतिविधियों के तहत निवेश का 10%

3.6.सामान्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स हेतु सहायता योजना {Assistance to Medical Device Clusters for Common Facilities (AMD-CF) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के मामले में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक।
- **AMD-CF योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं:**
  - सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता; और
  - परिक्षण सुविधाओं की लिए सहायता।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)।

अन्य उद्देश्य

वित्तीय सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण क्लस्टर्स को मजबूत करना। साथ ही, चिकित्सा उपकरणों के लिए **अधिक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना और उन्हें मजबूत करना।**

प्रमुख विशेषताएं

योजना के निम्नलिखित दो घटक हैं

- **सामान्य सुविधाओं के लिए सहायता : सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना।**
  - **आर्थिक प्रोत्साहन**

- आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 20 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, होगी।**
- **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **20 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।

- परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए **चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयों** द्वारा क्लस्टर्स में **स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV)** का गठन किया जाएगा।
  - SPV के सदस्य के रूप में कम-से-कम **5 चिकित्सा उपकरण विनिर्माण इकाइयों** को शामिल किया जाएगा।
  - **राज्य सरकारें** भी क्लस्टर्स को बढ़ावा दे सकती हैं।
- एकल विनिर्माण इकाई **SPV में 40%** से अधिक की हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। **चिकित्सा उपकरण उद्यमों** के पास SPV की कम-से-कम **51% इक्विटी** होनी चाहिए।

- **परीक्षण सुविधाओं के लिए सहायता:** गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **अधिक चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता** सुनिश्चित करना।
  - **आर्थिक प्रोत्साहन**
    - आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा **स्वीकृत परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना लागत की 70 प्रतिशत या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो,** होगी।
    - **हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों** के लिए सहायता अनुदान **5 करोड़ रुपये प्रति क्लस्टर या परियोजना लागत का 90%,** जो भी कम हो, होगा।
  - चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 के तहत इन-विट्रो डायग्नोस्टिक चिकित्सा उपकरणों सहित वर्ग A, B, C और D चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने या उनकी क्षमता बढ़ाने में रुचि रखने वाली कोई भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर की **सरकारी या निजी संस्थाएं इसके लिए पात्र** हैं।
    - » भारतीय कानून के तहत ऐसी वैध संस्थाओं के लिए इस घटक के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु उपयोग की जाने वाली निधियों के लिए एक **अलग खाता खोलना** होगा।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023

विज़न	रणनीति
• **रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण** को अपनाते हुए तेजी से विकास करना। • **अगले 25 वर्षों में विस्तारित वैश्विक बाजार में 10-12% हिस्सेदारी हासिल** करना। साथ ही, चिकित्सा उपकरणों के **विनिर्माण और नवाचार में वैश्विक नेतृत्वकर्ता** का दर्जा प्राप्त करना। • चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक को **मौजूदा 11 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 50 बिलियन डॉलर** तक पहुंचाने में मदद करना।	• विनियमों को सुसंगत बनाना, • अवसंरचना को सक्षम बनाना, • अनुसंधान व विकास एवं नवाचार को सुविधाजनक बनाना, • इस क्षेत्रक में निवेश को आकर्षित करना, • मानव संसाधन का विकास करना, • ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता को बढ़ाना देना आदि।

3.7. प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) योजना {Pradhan Mantri Bhartiya Jan Aushadhi Pariyojana (PMBJP) scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **योजना के उद्देश्य:** आम नागरिकों को **किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां** उपलब्ध कराना।
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** योजना है।
- **खुदरा बिक्री केंद्र:** PMBJAK नामक समर्पित दुकानों के जरिए सभी नागरिकों को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

अन्य उद्देश्य

- **गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं का कवरेज बढ़ाना,** ताकि दवाओं पर होने वाले अपनी जेब से होने वाले व्यय को कम किया जा सके। इस प्रकार **प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत को भी कम** किया जा सकेगा।
- शिक्षा एवं प्रचार के माध्यम से **जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना,** ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने।
- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) केंद्र स्थापित करके तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को शामिल करके **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** वर्ष 2015 में, 'जन औषधि योजना' को **'प्रधान मंत्री जन औषधि योजना' (PMJAY)** के रूप में बदल दिया गया था। इसे 2016 में फिर से PMBJP का नाम दे दिया गया था।
- **PMBJP केंद्र मालिकों को प्रोत्साहन**
  - PMBJP केंद्र मालिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये है। यह मासिक खरीद के **15% या अधिकतम 15,000 रुपये प्रतिमाह उच्चतम सीमा** के अधीन है। यह प्रोत्साहन अप्रैल 2021 से लागू है।
  - **नीति आयोग द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों** (पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों) में खोले गए PMBJP केंद्रों या **महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC एवं ST** द्वारा खोले गए PMBJP केंद्रों को फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के लिए अधिकतम **2 लाख रुपये** का एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- **PMBJP के तहत आने वाले उत्पाद**
  - इसमें निम्नलिखित उत्पाद शामिल हैं-
    - रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए **विविध आयुर्वेदिक उत्पाद; तथा**
    - **सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों** (जैसे- कार्डियोवैस्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटी-डायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव्स, एंटी-एलर्जिक आदि) **को कवर करने वाली दवाइयां और शल्य चिकित्सा उपकरण।**
- **गुणवत्ता सुनिश्चित करना:**
  - दवाएं केवल **विश्व स्वास्थ्य संगठन-गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (WHO-GMP), भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) तथा CE प्रमाणित** आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदी जाती हैं।
  - दवाओं को **'नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज' (NABL)** द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
  - उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की परख और घुलनशीलता आदि के संदर्भ में **लोकप्रिय ब्रांडेड दवाओं के साथ नियमित रूप से तुलना** की जाती है।
  - **SAP आधारित इन्वेंट्री प्रबंधन** और पूर्वानुमान प्रणाली।
  - दवाओं की आपूर्ति में विफलता के लिए **विक्रेताओं/ आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं को ब्लैकलिस्ट करने/ प्रतिबंधित** करने की प्रणाली अपनाई जाती है। साथ ही, देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है।
- **PMBI:** इसे फार्मा क्षेत्रक के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSUs) द्वारा **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वतंत्र सोसायटी** के रूप में स्थापित किया गया है।

योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण पहलें

- **जन औषधि 'सुविधा' सैनिटरी नैपकिन:** सैनिटरी नैपकिन **1 रुपया प्रति पैड** की दर से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका उद्देश्य **"स्वच्छ भारत और हरित भारत"** के लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि ये पैड **ऑक्सोबायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के हानिकारक नहीं** होते हैं।
- **जन औषधि सुगम ऐप:** यह **गूगल मैप के जरिए आस-पास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने,** उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं का पता लगाने आदि की सुविधा प्रदान करता है।

3.8. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

बल्क ड्रग पार्कों का संवर्धन (Promotion of Bulk Drug Parks)	• **लक्ष्य:** राज्यों के साथ भागीदारी में भारत में **तीन मेगा बल्क ड्रग पार्क्स** विकसित करना।
	• **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	• बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के लिए **हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश को सैद्धांतिक मंजूरी** दी गई है।
	• यह **एक ही स्थान पर सामान्य अवसंरचना सुविधाएं (CIF)** प्रदान करती है। इससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण होगा।
	• **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक।
	• **वित्तीय सहायता:**
	  ◦ गुजरात और आंध्र प्रदेश में **परियोजना लागत की 70% सहायता।**
	  ◦ हिमाचल प्रदेश में **परियोजना लागत की 90% सहायता।**
	  ◦ एक पार्क के लिए **अधिकतम सहायता 1000 करोड़ रुपये** तक सीमित होगी।

चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन संबंधी योजना (Promotion of Medical Device Parks)	• **उद्देश्य:** बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता और संसाधनों के इष्टतम उपयोग तथा लागत में आनुपातिक बचत के लिए विश्व स्तरीय सामान्य अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करना।
	• **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
	• **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-2021 से वित्त वर्ष 2024-2025 तक।
	• मेडिकल डिवाइस पार्क्स स्थापित करने के लिए **उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** को स्वीकृति प्रदान की गई।
	• यह **एक ही स्थान पर सामान्य अवसंरचना सुविधाएं (CIF)** प्रदान करती है। इससे विनिर्माण के लिए एक मजबूत पारितंत्र का निर्माण होगा
	• **वित्तीय सहायता:**
	  ◦ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में **परियोजना लागत की 70% सहायता।**
	  ◦ हिमाचल प्रदेश में **परियोजना लागत की 90% सहायता।**
	  ◦ एक पार्क के लिए **अधिकतम सहायता 100 करोड़ रुपये** तक सीमित होगी।

यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy)	• **उद्देश्य: किफायती कीमतों पर यूरिया उर्वरकों की समय पर और आसानी से उपलब्धता** सुनिश्चित करना। • **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **सब्सिडीकृत यूरिया:** किसानों को **वैधानिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर उपलब्ध** करवाया जाता है। • **माल ढुलाई लागत:** सब्सिडी में पूरे देश में **माल ढुलाई की लागत** भी शामिल होती है। • **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): ई-उर्वरक DBT पोर्टल पर बिक्री के पंजीकृत होने पर ही कंपनी सब्सिडी का दावा** करती है। • **लाभार्थी का प्रमाणीकरण: या तो आधार या किसान क्रेडिट कार्ड नंबर** अनिवार्य है।

पी.एम.-प्रणाम (PM-PRANAM)	• **धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधान मंत्री कार्यक्रम (PM Programme for Restoration, Awareness Generation, Nourishment and Amelioration of Mother - Earth: PM-PRANAM)** को 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था।
	• **मुख्य बिंदु:**
	  ◦ **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य कृषि में **रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की समस्या का समाधान** करना है।
	  ◦ **अन्य उद्देश्य:** इसका उद्देश्य वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है।
	  ◦ **योजना की अवधि:** 3 वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक)
	  ◦ **राज्यों के लिए प्रोत्साहन:** किसी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, DAP, NPK, MOP) की खपत में पिछले तीन वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% भाग अनुदान के रूप में उस राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश को दिया जाएगा।

पेट्रो-रसायन की नई योजनाएं (NPS) {New Schemes of Petrochemicals (NPS)}	**योजना के तहत प्रमुख पहलें:** • पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में **समर्पित प्लास्टिक पार्कों** की स्थापना करना और **पॉलिमर प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (CoE)** की स्थापना करना। • वित्त वर्ष 2023-24 से **रसायन संवर्धन और विकास योजना (CPDS)** को NPS के तहत शामिल किया जाएगा। • रासायनिक और पेट्रो-रसायन उद्योग के प्रचार एवं विकास के लिए **जागरूकता पैदा करने तथा सूचना के प्रसार की परिकल्पना** की गई है।
फार्मा जन समाधान (Pharma Jan Samadhan)	• **उद्देश्य: दवाओं के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण** के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली स्थापित करना। • **औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013** के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करना।
'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप ('Pharma SahiDaam' Mobile App)	• **उद्देश्य:** अलग-अलग अनुसूचित दवाओं के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) **द्वारा निर्धारित MRP को वास्तविक समय के आधार पर दर्शाना।**

4. नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)/ क्षेत्रीय संपर्क योजना {UDE DESH KA AAM NAAGRIK (UDAN)/ REGIONAL CONNECTIVITY SCHEME (RCS)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:**
  - देश के दूर-दराज वाले व अपनी क्षमता से कम उपयोग वाले हवाई अड्डों से वहनीय यात्रा और बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना;
  - संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और
  - जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **एयरलाइनों को सहायता: रियायत और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF)** के रूप में।
- **अवधि:** 10 वर्ष तक।

अन्य उद्देश्य

टियर II और टियर III शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा एयर कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (NCAP), 2016** के तहत शुरू किया गया है।
  - NCAP का लक्ष्य एक **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (RCS)** स्थापित करना है। इसका उद्देश्य **वित्तीय सहायता और अवसंरचना विकास के जरिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी** को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **रियायती दरों पर सीटों की उपलब्धता**
  - 500 कि.मी. से 600 कि.मी. की दूरी के लिए **प्रति सीट हवाई किराया 2500 रुपये** निर्धारित किया गया है। हालांकि, उड़ान योजना दस्तावेज में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार किराए की ऊपरी सीमा में समायोजन किया जा सकता है।
  - एयरलाइंस को 50% सीटें (न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 सीटें) रियायती दरों पर उपलब्ध करानी होती हैं।
- **क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी फंड (RCF):** यह एक **स्व वित्त-पोषण तंत्र की सुविधा** प्रदान करता है। इसे क्षेत्रीय मार्गों पर वायु परिवहन के लिए रियायतें/ VGF प्रदान करने हेतु सभी घरेलू उड़ानों पर **प्रति प्रस्थान लेवी या शुल्क द्वारा वित्त-पोषित** किया जाएगा।
- **मांग और बाजार आधारित मॉडल:**
  - **यह योजना केवल उन राज्यों और हवाईअड्डों/ एयरोड्रम/ हेलीपैड्स के लिए** उपलब्ध है, जो **योजना हेतु आवश्यक रियायतें प्रदान करके योजना के प्रति प्रतिबद्ध** हैं तथा सहायता प्रदान करते हैं।

- **राज्य सरकारों** द्वारा **निःशुल्क सुरक्षा और अग्निशमन सेवा, रियायती दरों पर सुविधाएं, RCS विमान पत्तनों के लिए निःशुल्क भूमि** आदि प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

- **एयरलाइंस को समर्थन/ सहायता:** शुल्क से प्राप्त की गई राशि के ज़रिए VGF का 80% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। VGF का शेष 20% हिस्सा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों के अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 10% है।
- **मार्गों के चयन में लचीलापन:** एयरलाइन ऑपरेटर उन **क्षेत्रीय मार्गों का प्रस्ताव** प्रस्तुत करते हैं, जिनके संचालन में वे रुचि रखते हैं और VGF चाहते हैं।

4.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

डिजी यात्रा परियोजना (Digi YATRA project)	• **उद्देश्य:** यह हवाई अड्डों पर अलग-अलग चेक पॉइंट्स पर कागज रहित यात्रा तथा प्रत्येक बार पहचान की जांच से मुक्ति को सुविधाजनक बनाती है। • इसके तहत प्रत्येक यात्री को एक **विशिष्ट डिजी यात्रा पहचान-पत्र (Unique Digi Yatra ID) प्रदान** किया जाता है। • यह स्वैच्छिक है। • **डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम बनाने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन (DYF)** की स्थापना की गई है। DYF एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में कार्य करेगी।
नभ (भारत के लिए अगली पीढ़ी के विमानन केंद्र) {NABH (Nextgen Airports for Bharat)}	• **लक्ष्य: 10 से 15 वर्षों में लगभग 100 विमानपत्तनों को स्थापित करना** है • **PPP:** इसके लिए आवश्यक निवेश का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र से प्राप्त होगा।

5. कोयला मंत्रालय (MINISTRY OF COAL)

5.1. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का दोहन और आबंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy}	• **उद्देश्य:** देश के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ तरीके से कोयला उपलब्ध करवाना। साथ ही, यह सुनिश्चित करना कि कोल लिंकेज (या आपूर्ति) का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त हो सके।
	• पूर्ववर्ती आश्वासन पत्र (LoU)-ईंधन आपूर्ति समझौता (FSA) व्यवस्था को **चरणबद्ध तरीके से समाप्त** किया जाएगा।
	• यह नीति कोयले के नीलामी के माध्यम से FSAs या लिंकेज की कमी वाले ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करती है।
	• यह ऊर्जा **उत्पादकों को सस्ता कोयला** प्राप्त करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायता प्रदान करती है।
	• **कोयला वितरण नीति (NCDP), 2007** ऊर्जा क्षेत्रक के लिए कोयला लिंकेज को शासित करती है।
	• **प्रमुख लाभार्थी और लाभ**
	  • विद्युत कंपनियां (सुनिश्चित कोयला आपूर्ति)
	  • उपभोक्ता (बिजली की कम लागत)
	  • देशज कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले की मात्रा में गिरावट)
	  • बैंकिंग क्षेत्रक {गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में गिरावट}

उत्तम (खनन किए गए कोयले के तृतीय पक्ष आकलन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना) ऐप {UTTAM (Unlocking Transparency By Third Party Assessment Of Mined Coal) app}	• **कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** द्वारा उत्तम ऐप को विकसित किया गया है। • यह ऐप, **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की सभी सहायक कंपनियों में तृतीय पक्ष आधारित नमूना प्रक्रिया की निगरानी में सभी नागरिकों तथा कोयला उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है।** • यह एक अंतर्क्रियात्मक मानचित्र आधारित प्रणाली है। यह गुणवत्ता संबंधी मानकों के लिए विविध सहायक कंपनियों के पास विद्यमान कोयले की गुणवत्ता की समग्र कवरेज प्रदान करेगा।
कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली {Coal Mine Surveillance and Management System (CMSMS)}	• यह एक **वेब आधारित GIS एप्लीकेशन** है। इसके माध्यम से अनधिकृत खनन स्थलों की स्थिति का पता लगाया जाएगा। • सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला मूल प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) द्वारा प्रदान किया गया बेस मैप है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएं प्रदान करेगा।
खान प्रहरी (Khan Prahari)	• यह अवैध कोयला खनन जैसे रैट होल माइनिंग, चोरी आदि से संबंधित **सभी प्रकार की गतिविधियों की रिपोर्ट हेतु उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।** • **कोई भी व्यक्ति घटना की जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ-साथ लिखित सूचना को सीधे सिस्टम में अपलोड** कर सकता है। • **शिकायतकर्ता की पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा।**

प्रकाश (आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता) (Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony: PRAKASH) पोर्टल	• **लक्ष्य:** इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
	• यह पोर्टल विद्युत संयंत्रों के लिए संपूर्ण कोयला आपूर्ति श्रृंखला का मानचित्रण और निगरानी करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
	  • आपूर्ति स्रोतों (खानों) पर कोयले का भंडार (स्टॉक);
	  • योजनाबद्ध कोयले के सांचे (rakes);
	  • पारगमन में कोयले की मात्रा और
	  • विद्युत उत्पादक केंद्रों पर कोयले की उपलब्धता।

कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना (Exploration of Coal and Lignite scheme)	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **"कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना" को जारी रखने की मंजूरी** दी है। यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
	  • अब यह योजना 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी रहेगी।
	• कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में
	  • कोयला और लिग्नाइट के लिए अन्वेषण कार्य को **दो व्यापक चरणों में** आयोजित किया जाता है:
	  ◇ **प्रमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण और**
	  ◇ **गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण।**
	  • **महत्त्व:** यह योजना देश में उपलब्ध **कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और इनकी मात्रा का अनुमान** लगाती है। इससे कोयला खनन शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलती है।
	  • इन अन्वेषणों के आधार पर तैयार की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट्स का उपयोग **नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी** के लिए किया जाता है।

6. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY)

6.1. भारत में व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर्स और एल.ई.डी. लाइट्स) के विनिर्माताओं के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE SCHEME (PLI) FOR WHITE GOODS (AIR CONDITIONERS AND LED LIGHTS) MANUFACTURERS IN INDIA}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** व्हाइट गुड्स के संदर्भ में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा आयात निर्भरता को कम करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT).
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक।

अन्य उद्देश्य

व्हाइट गुड्स की विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और** व्यापक निवेश को आकर्षित करना तथा **क्षेत्रगत कमियों का निवारण करना, उन्हें वृहद पैमाने पर किफायती बनाना, निर्यात में वृद्धि करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **विषय क्षेत्र**
  - योजना के तहत भारत में लक्षित खंडों में विनिर्माण के लिए **ब्राउन फील्ड या ग्रीन फील्ड निवेश** करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **वृद्धिशील बिक्री पर 4% से 6%** का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। आधार वर्ष- 2019-20 है।
  - **प्रोत्साहन की अवधि: 5 वर्ष और एक वर्ष की गेस्टेशन अवधि।**
  - **इस योजना के लिए वित्त की उपलब्धता सीमित है:** कैबिनेट द्वारा स्वीकृत राशि के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए कुल भुगतान की सीमा निर्धारित की जाएगी।
- **निगरानी:** मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) PLI योजना की निगरानी करेगा।

6.2. स्टार्ट-अप इंडिया (Startup India)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** नवाचार और स्टार्टअप्स को पोषित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT).**
- **अपवर्जन:** किसी **मौजूदा संस्था के विभाजन या पुनर्निर्माण** द्वारा गठित की गई किसी संस्था को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अन्य उद्देश्य

भारत में स्टार्ट-अप्स संस्कृति को उत्प्रेरित करना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए एक मजबूत व समावेशी पारितंत्र का निर्माण करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **स्टार्ट-अप्स को लाभ: कर में छूट,** वित्त-पोषण के मामले में सरकार की ओर से अप्रत्यक्ष सहायता, **सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स को प्राथमिकता** आदि।

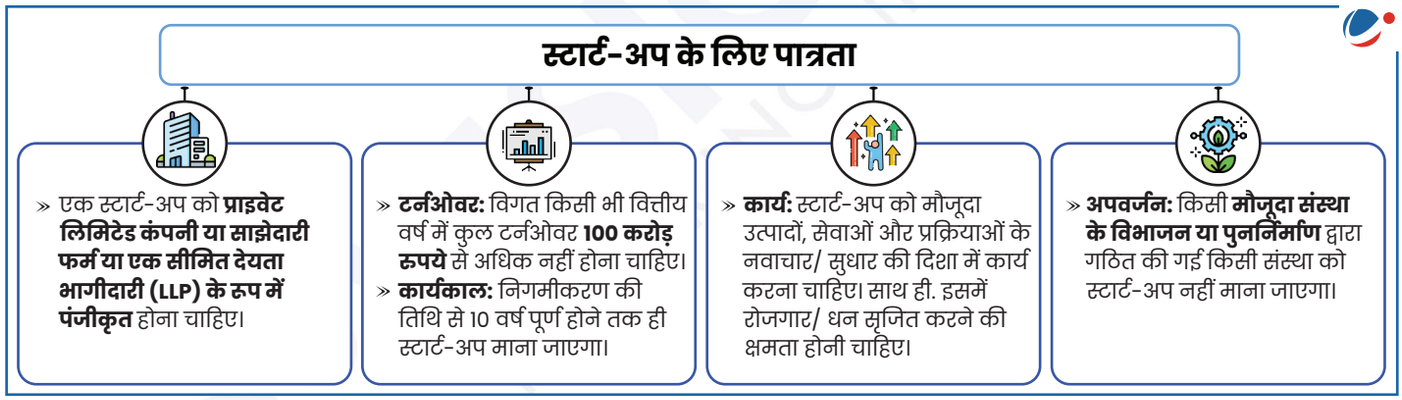

- **स्टार्ट-अप के समर्थन हेतु प्रमुख स्तंभ**
  - **सरलीकरण और आरंभिक समर्थन**
  - **स्व-प्रमाणन,** ताकि विनियामक बोझ को कम किया जा सके।
  - **आसान अनुपालन, आसान निकास की प्रक्रिया,** कानूनी सहायता, पेटेंट संबंधी आवेदनों की तीव्र ट्रैकिंग आदि।
  - **सूचना की विषमता को कम करने हेतु एक वेबसाइट लॉन्च** की गई है।

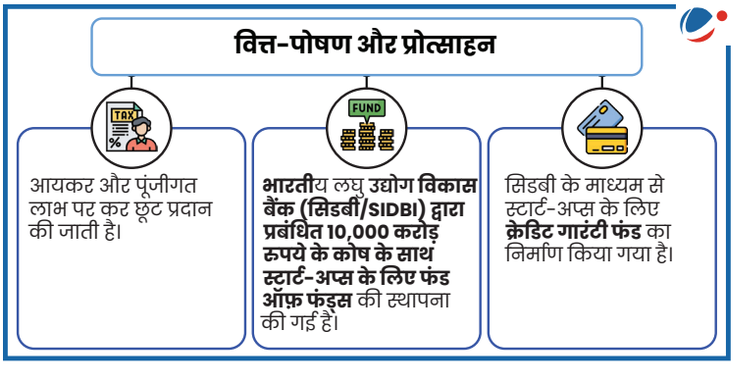

- **उद्भवन और उद्योग-शैक्षणिक जगत भागीदारी**
  - **कई इन्क्यूबेटरों और नवाचार वेधशालाओं,** समारोह, प्रतियोगिताओं और अनुदानों का सृजन करना।
  - नीति आयोग के स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग (SETU/सेतु) कार्यक्रम के साथ **अटल नवाचार मिशन (AIM)** का शुभारंभ।

नोट: फंड ऑफ फंड्स का अर्थ है कि सरकार सेबी (SEBI) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs)** को सहायता पहुंचाती है। बदले में AIFs इक्विटी/ इक्विटी-लिंक्ड साधनों के माध्यम से **भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश** करते हैं। **AIFs को डॉटर फंड** के रूप में जाना जाता है।

6.3. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme: SISFS)

- **आरंभ वर्ष:** इसे **2021 में शुरू** किया गया था।
- **उद्देश्य:** योग्य इनक्यूबेटर्स के माध्यम से पात्रता प्राप्त **स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता प्रदान** करना (इन्फोग्राफिक्स देखिए)।
  - स्टार्ट-अप्स **70 लाख रुपये** तक प्राप्त कर सकते हैं।
  - इनक्यूबेटर्स **5 करोड़ रुपये** तक प्राप्त कर सकते हैं।
- **वित्तीय सहायता का उद्देश्य:** प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट; प्रोटोटाइप विकास
  - उत्पाद परीक्षण
  - बाजार में प्रवेश
  - वाणिज्यीकरण

स्टार्ट-अप्स के लिए पात्रता	इनक्यूबेटर्स के लिए पात्रता
• **DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त हो।** • **स्थापित हुए 2 वर्ष** हुए हों। • केंद्र/राज्य सरकारों से **10 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता** (पुरस्कार राशि को छोड़कर) प्राप्त नहीं की हो।	• यह एक **कानूनी रूप से स्थापित संस्था** (सोसायटी, न्यास, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या वैधानिक निकाय) होती है। • **कम से कम 2 वर्षों** से परिचालन में हो। • **कम से कम 25 व्यक्तियों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए।** • **भौतिक रूप से इन्क्यूबेशन से गुजरने वाले कम से कम 5 स्टार्ट-अप्स** होने चाहिए।

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक:** सामाजिक प्रभाव, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, वित्तीय समावेशन आदि।
- **लाभ:** यह स्टार्ट-अप्स को एंजेल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश जुटाने या ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

एक जिला एक उत्पाद (One District One Product: ODOP)

- **उद्देश्य:** देश के सभी जिलों में **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना** है।
- देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना, ताकि सभी प्रदेशों में समग्र रूप से सामाजिक-आर्थिक संवृद्धि को सक्षम किया जा सके।
  - इसे **सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लॉन्च** किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के 75 जिलों में उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों का निर्माण करना था।
- हाल ही में, **ODOP की उपहार सूची का डिजिटल संस्करण** लॉन्च किया गया है।

निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य: निर्यात के संवर्धन के लिए उपयुक्त अवसंरचना** के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।
- **कार्य क्षेत्र:** सीमावर्ती हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण आदि जैसे आवश्यक निर्यात लिंकेज के साथ अवसंरचना परियोजना को अपग्रेड करना।
- **अपवर्जन:** क्षेत्रक विशिष्ट योजनाओं (जैसे वस्त्र उद्योग के लिए) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं।
- **वित्तीय सहायता:** केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान तथा **प्रत्येक अवसंरचनात्मक परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा निर्धारित** की गई है।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (Champion Services Sector Scheme: CSSS)

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** चैंपियन क्षेत्रकों की क्षेत्रक संबंधी कार्य योजनाओं के लिए आरंभ की गई पहलों का समर्थन करना।
- **वित्तीय सहायता:** यह 5000 करोड़ रुपये की एक समर्पित निधि है।
- घरेलू विनियामक सुधारों सहित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की सुविधा प्रदान करती है।

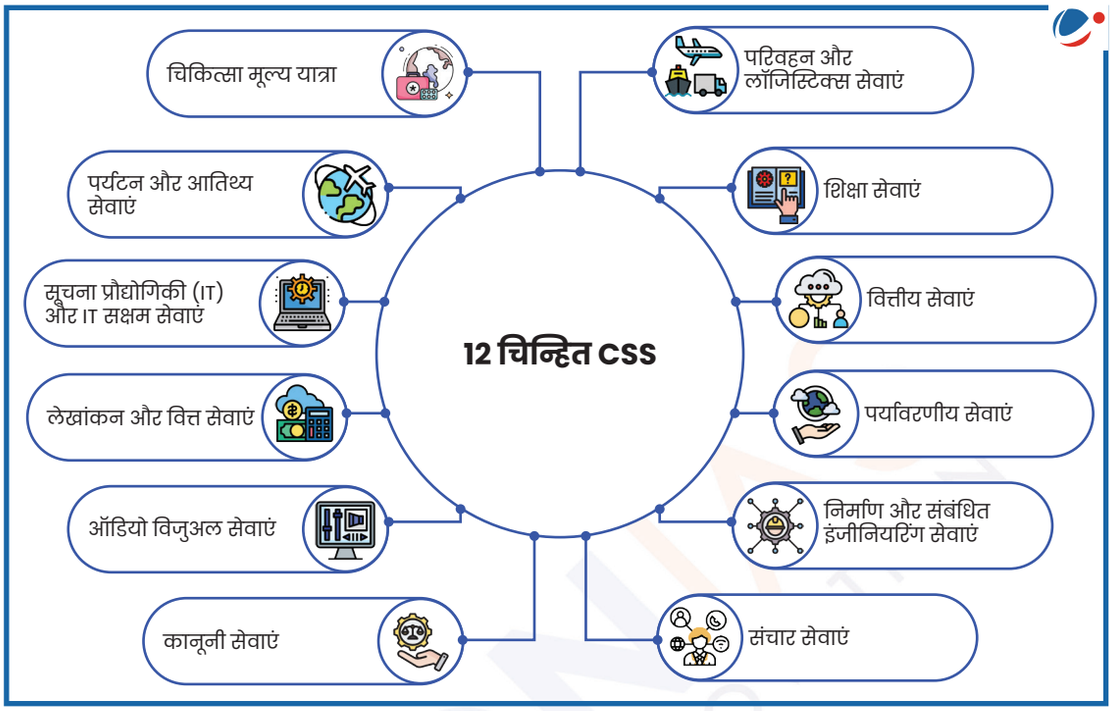

- इस योजना के लिए आरंभ की गई नई पहलों की पहचान हेतु **5 स्तंभ**
  - **नई प्रक्रियाएँ:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) में सुधार हेतु
  - **नई अवसंरचना:** भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु
  - **नए क्षेत्रक:** अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रक
  - **नई सोच:** प्राधिकार जारी करने/अनुमोदित करने से व्यवसाय में साझेदारी तक
  - **नए मानदंड:** सेवाओं में वैश्विक व्यापार को आकार प्रदान करने हेतु

निर्यात बंधु योजना (Niryat Bandhu Scheme)	• **उद्देश्य:** MSMEs सहित **नए और संभावित निर्यातकों** तक पहुंच स्थापित करना। साथ ही, उन्हें **अभिविन्यास कार्यक्रमों, परामर्श सत्रों, व्यक्तिगत सुविधा आदि के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान** करना है।
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (National Intellectual Property Awareness Mission: NIPAM)	• **कार्यान्वयन एजेंसी: बौद्धिक संपदा कार्यालय।** यह पेटेंट, डिज़ाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक कार्यालय (CGPDTM) के अधीन है। • **उद्देश्य: 1 मिलियन छात्रों को बौद्धिक संपदा (IP) संबंधी जागरूकता और मूलभूत प्रशिक्षण प्रदान करना।** इसके तहत निर्धारित लक्ष्य को **अगस्त 2022** में प्राप्त कर लिया गया था।
'स्वायत्त (SWAYATT)' पहल	• **उद्देश्य:** यह गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर **ई-लेन-देनों के माध्यम से स्टार्टअप्स, महिलाओं और युवाओं** को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक पहल है

उत्तर-पूर्व औद्योगिक विकास योजना (North-East Industrial Development Scheme: NEIDS)	• **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देना। साथ ही, रोजगार और आय सृजन को प्रोत्साहित करना। • **शामिल क्षेत्रक:** विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रस्तावों को प्रक्रियागत करने व अनुमोदित करने और भुगतान करने हेतु। 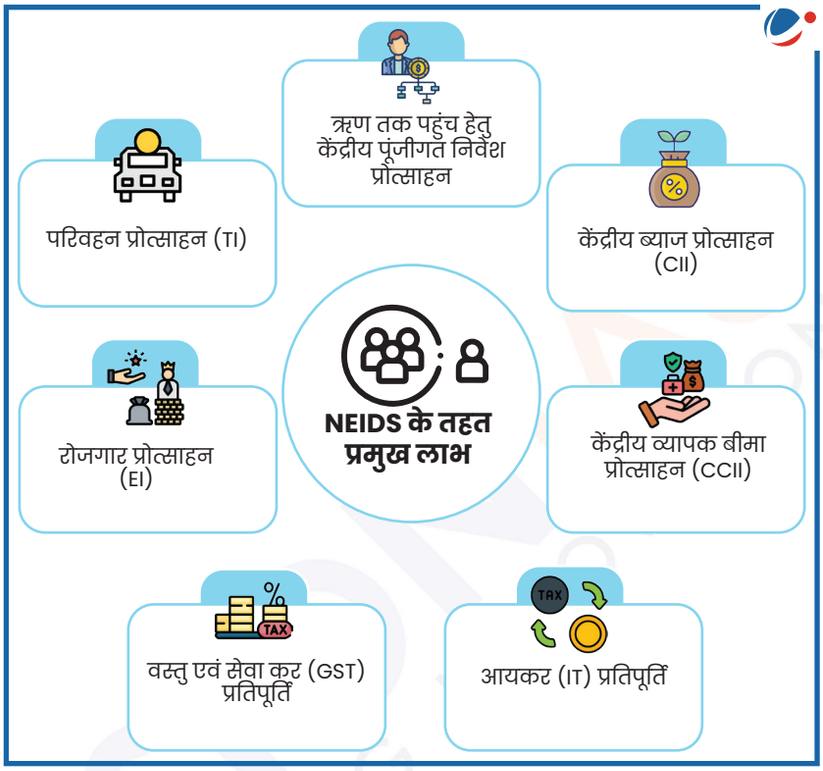
निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए 'परिवहन और विपणन सहायता (Transport and Marketing Assistance: TMA)' योजना	• **उद्देश्य:** कृषि उपज के **माल ढुलाई और विपणन के अंतर्राष्ट्रीय घटक के लिए सहायता** प्रदान करना है। साथ ही, **निर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों के लिए ब्रांड पहचान को बढ़ावा** देना है। • **अपेक्षित लाभ:** ट्रांस-शिपमेंट के कारण **निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात के परिवहन की उच्च लागत के नुकसान में कमी होगी।** • **विस्तार:** संबंधित **निर्यात संवर्धन परिषद** में विधिवत पंजीकृत सभी निर्यातक।
भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम (Indian Footwear and Leather Development Programme: IFLDP)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **अवधि:** वर्ष 2026 तक। 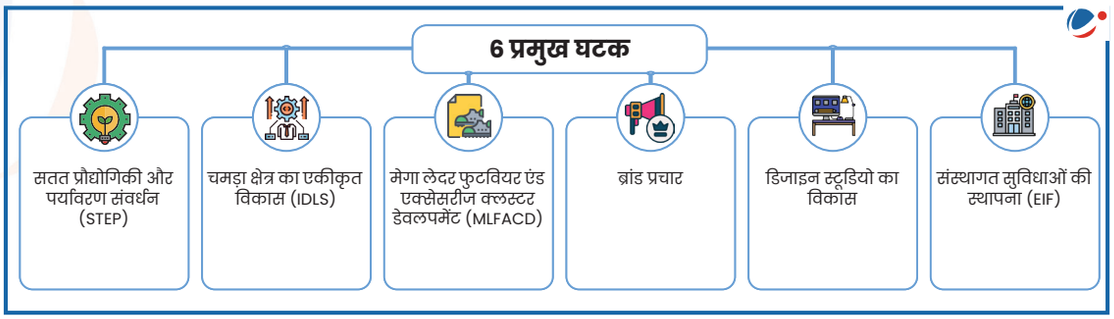

निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों व करों की छूट देने की योजना {Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) Scheme}	• **उद्देश्य:** निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए अलग-अलग करों तथा शुल्कों यथा- स्थानीय कर, कोयला उपकर, मंडी कर आदि की क्षतिपूर्ति करना। ज्ञातव्य है कि इन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत कोई छूट/ रियायत या प्रतिदाय (Refund) प्रदान नहीं किया जा रहा है।
	• यह **निर्यात की शून्य रेटिंग** सुनिश्चित करता है अर्थात करों तथा शुल्कों का निर्यात नहीं किया जा सकता।
	• पूर्ववर्ती दो योजनाओं का प्रतिस्थापन
	  • **भारत से पण्य निर्यात योजना (MEIS);** तथा
	  • **राज्य और केंद्रीय उद्ग्रहण एवं करों से छूट (RoSCTL)** करती है।
	• MEIS के तहत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए निर्यात सब्सिडी प्रदान करना, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन है।
	• RoSCTL को राज्य और केंद्र द्वारा लागू उन शुल्कों एवं करों के लिए प्रस्तुत किया गया था, जिनका प्रतिदाय/ रिफंड वस्तु और सेवा कर के माध्यम से नहीं होता है।

अग्रिम प्राधिकरण योजना (Advance Authorization Scheme: AAS)	• **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकरण योजना का क्रियान्वयन करता है।
	• यह योजना उन **इनपुट्स के लिए कर मुक्त आयात की अनुमति** देती है, जिन्हें निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल किया जाता है।
	  • इसके अतिरिक्त, यह योजना उन **पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल, उत्प्रेरक** आदि की भी अनुमति देती है, जिनका निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के उत्पादन में उपभोग/ उपयोग किया जाता है।
	  • एडवांस ऑथराइजेशन या तो एक विनिर्माण निर्यातक को प्रत्यक्ष रूप से या सहायक विनिर्माता से जुड़े मर्चेंट निर्यातक को दिया जाता है।

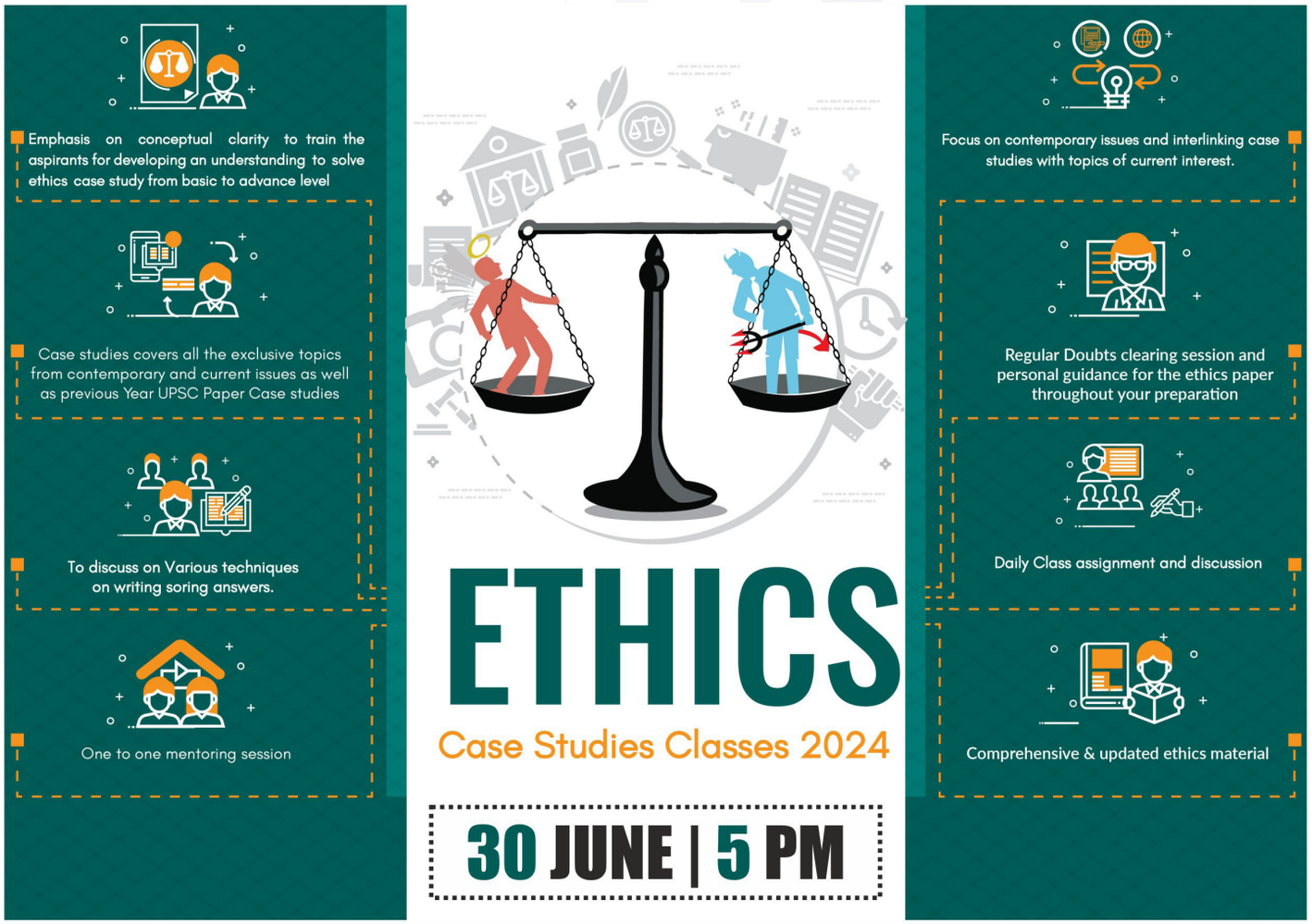

7. संचार मंत्रालय (MINISTRY OF COMMUNICATIONS)

7.1. भारतनेट (BharatNet)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** देश की सभी ग्राम पंचायतों को **लास्ट माइल कनेक्टिविटी** प्रदान करना।
- **वित्त-पोषण:** सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) के जरिये।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क** (2022 में BSNL के साथ इसका विलय कर दिया गया)।

अन्य उद्देश्य

डिजिटल इंडिया के विज़न को साकार करने के लिए देश की सभी **ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को 100 Mbps बैंडविड्थ की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **भारतनेट योजना के 3 चरण:**

भारतनेट योजना के 3 चरण:

भारतनेट: चरण-I	भारतनेट: चरण-II	भारतनेट: चरण-III
वर्ष 2011 में, **नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN, अब भारतनेट)** का सृजन किया गया था। यह प्रखंड मुख्यालयों (BHQs) को **ग्राम पंचायतों (GPs) से जोड़ने पर** केंद्रित था। इसके लिए BSNL, रेलटेल और PGCIL जैसे **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSUs) के मौजूदा फाइबर का उपयोग** किया गया था।	इसकी शुरुआत **2017** में हुई थी। यह ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए **मीडिया के दक्ष माध्यम** (OFC, रेडियो और **सैटेलाइट**) प्रदान करता है। विविध कार्यान्वयन मॉडल हैं जैसे- **राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्रक मॉडल और CPSU मॉडल।**	**अत्याधुनिक नेटवर्क** के लिए **भविष्य में नेटवर्क की प्रूफिंग** व्यवस्था आदि।

- इस योजना के **तीसरे चरण को निम्नलिखित तीन चरणों में लागू** किया जा रहा है। इस चरण को **2025** तक लागू किया जाएगा-
  - **चरण 1:** भारतनेट के पहले चरण के तहत **1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार** किया गया था।
  - **चरण 2: 1.44 लाख निर्धारित ग्राम पंचायतों में से 71,000 से अधिक** ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
  - **चरण 3:** अत्याधुनिक, भविष्य के लिए तैयार **नेटवर्क।**

- **एप्रोच:**
  - योजना के कार्यान्वयन लिए **ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (Village Level Entrepreneurs: VLEs) के जरिए लास्ट माइल फाइबर कनेक्शन** प्रदान किया जा रहा है। VLEs **50:50 के अनुपात में राजस्व-साझाकरण के आधार पर घरों तक फाइबर कनेक्शन** पहुंचाएंगे। VLEs को उद्यमी के नाम से जाना जाता है।
  - BBNL द्वारा VLEs को राउटर और अतिरिक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल सहित आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएंगे।
- **सैटेलाइट कनेक्टिविटी:** भारतनेट परियोजना के तहत **जीसैट-11 और जीसैट-19** के जरिए लगभग 6,700 दुर्गम ग्राम पंचायतों/क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान की जा जाएगी। गौरतलब है कि इन क्षेत्रों का किसी अन्य माध्यम से जुड़ाव नहीं रहा है।
- **अन्य सुविधाएं :**
  - **राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना:** यह नेटवर्क एक **राष्ट्रीय संपत्ति** बना रहेगा। इसके संचालन और रख-रखाव का काम राज्यों द्वारा किया जा सकता है।
  - **निजी क्षेत्र का लाभ उठाना:** संचालन, रख-रखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल।।
  - अब **ब्रॉडबैंड/ इंटरनेट सेवाओं के लिए** निर्मित अवसंरचना के इस्तेमाल पर बल दिया जा रहा है। **वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन आदि की सहायता** से इसका लाभ उठाया जाएगा।
- **अन्य लाभ:** इस परियोजना के जरिए ग्रामीण भारत में **ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस,** G2C, B2B, P2P, B2C आदि सुगम होंगे। साथ ही, मौसम, कृषि और अन्य संबंधी सेवाएं भी प्राप्त होंगी।

7.2. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR PROMOTING TELECOM & NETWORKING PRODUCTS}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **लक्ष्य:** भारत में एक **मजबूत घरेलू मूल्य श्रृंखला** का निर्माण करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक **(SIDBI)** इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2021 से **वित्त वर्ष 2024-2025 तक ही** निवेश किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य

"मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहित करने के लिए दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पादों के लक्षित खंडों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताएं

विषय क्षेत्र: केवल भारत में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

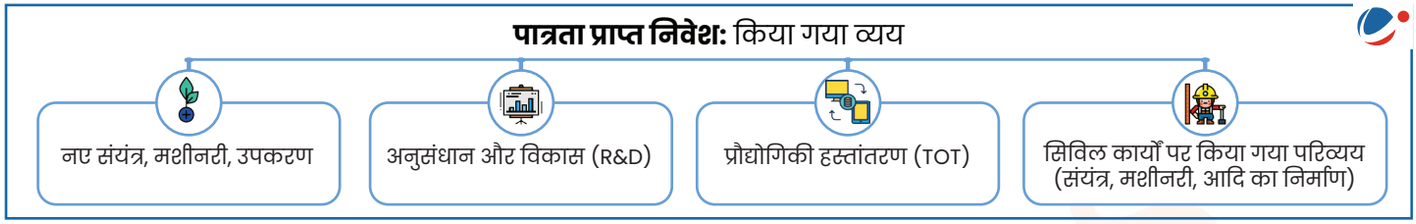

- **लक्षित खंड**
  - प्रेषण के प्रमुख उपकरण
  - 4G/ 5G, अगली पीढ़ी के रेडियो एक्सेस नेटवर्क और वायरलेस उपकरण
  - एक्सेस एंड कस्टमर प्रीमाइसेस (CPE), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एक्सेस डिवाइस और अन्य वायरलेस उपकरण
  - उद्यम के उपकरण: स्विच, राउटर
  - कोई अन्य उत्पाद: जिसे EGoS द्वारा निर्धारित किया गया हो।
- **वित्तीय प्रोत्साहन**
  - **प्रोत्साहन भुगतान की अवधि:** अधिकतम 5 वर्ष।
  - **प्रोत्साहन की दर:**
    - **MSMEs के लिए:** वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष मानकर वृद्धिशील बिक्री पर **7%-4% तक।**
    - **अन्यों के लिए: 6%** से 4 % तक।
    - **अतिरिक्त 1% प्रोत्साहन:** डिजाइन आधारित PLI के तहत उन उत्पादों के लिए, जिन्हें भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है।

7.3. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NATIONAL BROADBAND MISSION)	• **उद्देश्य:** डिजिटल संचार अवसंरचना के तीव्र विकास को सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य ब्रॉडबैंड सेवाओं की सार्वभौमिकता, सामर्थ्य और गुणवत्ता के तीन उद्देश्यों को पूरा करना है। **प्रमुख घटक एवं लक्ष्य** • **गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी:** भारतनेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक **1.81 लाख ग्राम पंचायतों** में यह सेवा प्रदान की गई है। • **ब्रॉडबैंड गति की उपलब्धता:** वर्ष 2024-25 तक **50 Mbps** तक। • **फाइबराइजेशन: ऑप्टिकल फाइबर केबल** वर्ष 2024-25 तक **50 लाख किमी** तक। • **अन्य घटक:** टावरों में वृद्धि करना, टेलीकॉम टावर्स/ बेस ट्रांसीवर स्टेशन का फाइबराइजेशन और फाइबर क्यूम्यलेटिव का **मानचित्रण।** • **वित्त-पोषण:** इसका वित्त-पोषण मुख्यतः उद्योगों द्वारा किया जाएगा। सरकार यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के माध्यम से 10% का योगदान करेगी।

तरंग संचार पोर्टल	• **उद्देश्य: मोबाइल टावर और विद्युत चुम्बकीय आवृत्ति (EMF) उत्सर्जन के अनुपालन के बारे में जानकारी** प्रदान करना। • **शुल्क का भुगतान करके** सूचना प्राप्त की जा सकती है। 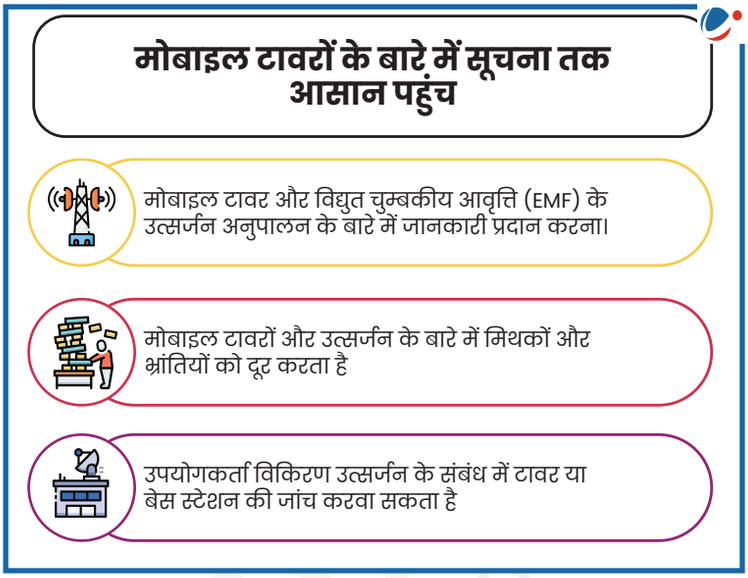

संचार साथी पोर्टल (Sanchar Saathi Portal)	• संचार मंत्रालय ने **'संचार साथी पोर्टल'** नाम से एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सुरक्षित संचार के विज़न को पूरा** करने में मदद करेगा।
	• इस पोर्टल के जरिये **लोग किसी यूज़्ड डिवाइस को खरीदने से पहले उसे ब्लॉक, ट्रैक और उसकी सत्यता की जांच** कर सकते हैं।
	• इस पोर्टल को **दूरसंचार विभाग ने विकसित** किया है। यह निम्नलिखित तीन मॉड्यूलों के साथ नागरिकों को सक्षम करेगा-
	  • **केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR):** गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने/ ब्लॉक करने के लिए।
	  • **अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें:** अपने नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन को जानने के लिए।
	  • **ASTR (टेलीकॉम सिम ग्राहक सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन सक्षम समाधान):** धोखाधड़ी करने वाले सब्सक्राइबर्स की पहचान करने के लिए।

भारत ई-मार्ट (Bharat EMart)	• **इंडिया पोस्ट ने भारत ई-मार्ट पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर** किए हैं। • यह व्यापारियों के परिसर से **वस्तुओं के पिक-अप की सुविधा** प्रदान करेगा और देश भर में **वस्तुओं की घर पर ही डिलीवरी** सुनिश्चित करेगा। • इस **प्लेटफॉर्म पर लगभग 8 करोड़ व्यापारी पंजीकृत** हैं। • भारत ई-मार्ट **छोटे व्यापारियों को जरूरी लॉजिस्टिक सहायता** उपलब्ध कराएगा। इससे उनका **कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।**
केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर {Equipment Identity Register (CEIR)}	• सरकार **देश भर में CEIR प्रणाली शुरू** करने जा रही है। • CEIR **गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का पता लगाने के लिए दूरसंचार विभाग का एक नागरिक केंद्रित पोर्टल** है। • यह गुम/ चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स के नेटवर्क में **ब्लॉक करने की सुविधा** भी प्रदान करता है। इससे भारत में गुम/चोरी हुए मोबाइल उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। • इसके तहत **गुम हुए या चोरी हुए स्मार्टफोन की रिपोर्ट करने** के लिए किसी व्यक्ति को इंस्टॉल किए गए **सिम कार्ड के मोबाइल नंबर, IMEI (इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी) नंबर तथा एक मोबाइल खरीद इन्वाइस/ बिल** जैसे विवरण की जरूरत होती है।

नए भारत के लिए ग्रामीण डाकघरों का डिजिटल उन्नयन (दर्पण) परियोजना {DARPAN: Digital Advancement of Rural Post Office for A New India}	• **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य **सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और बैंकिंग सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी का "वित्तीय समावेशन" सुनिश्चित करना है।** • इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के **पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध** करवाना है। • **DARPAN-PLI एप्लिकेशन:** डाक जीवन बीमा (PLI) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) नीतियों के लिए प्रीमियम के निर्बाध संग्रहण हेतु लॉन्च किया गया है।
संपूर्ण बीमा ग्राम योजना (Sampoorna Bima Gram Yojana)	• **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना है। • यह देश के **प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव** (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही, **कम से कम एक RPLI** (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। • **RPLI** ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ग्रामीण महिलाओं को बीमा कवर प्रदान करता है। • **सांसद आदर्श ग्राम योजना** के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें संपूर्ण बीमा ग्राम में रूपांतरित के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
दीन दयाल स्पर्श योजना (Deen Dayal SPARSH Yojana)	• **लक्ष्य:** डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देना। • **दीन दयाल स्पर्श (रुचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति) योजना:** इस योजना के अंतर्गत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रुचि के रूप में चुना है।
प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पी.एम.-वाणी) {Prime Minister Wi-Fi Access network Interface (PM-WANI)}	• **लक्ष्य:** सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड का प्रावधान करते हुए देश में **वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी** को बढ़ाना है। 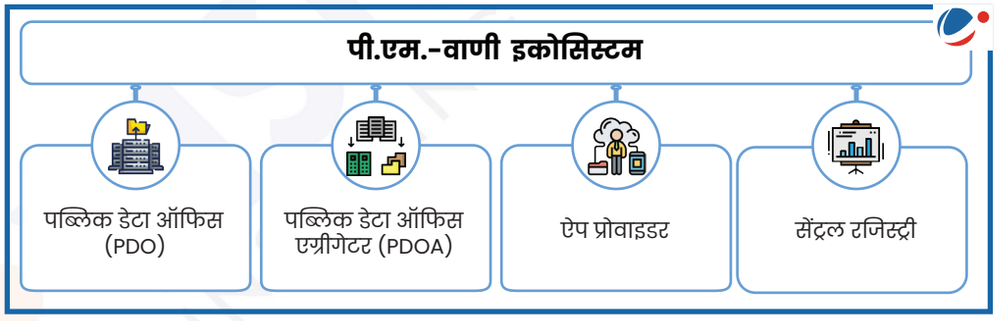 • **अंतिम छोर तक इंटरनेट पहुंचाने हेतु स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों को वाई-फाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।** • **इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है तथा पंजीकरण शुल्क भी नहीं** लिया जाता है।

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

8.1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम {NATIONAL FOOD SECURITY ACT (NFSA), 2013}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **उद्देश्य:** मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में **खाद्य और पोषण सुरक्षा** प्रदान करना।
- **कवरेज:** देश की आबादी का 67% (ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50%) कवर किया जाएगा।
- **परिवार की पहचान:** वित्त वर्ष 2011-12 के लिए **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)-परिवार द्वारा उपभोग के सर्वेक्षण संबंधी डेटा** के आधार पर।

अन्य उद्देश्य

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडीकृत मूल्य {जिसे **केंद्रीय निर्गम मूल्य** (Central Issue Price: CIP) कहा जाता है} पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए **"पात्र परिवारों"** के संबंधित व्यक्तियों को **कानूनी अधिकार प्रदान करना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभ:** लाभार्थियों को **केन्द्रीय निर्गम मूल्य (Central Issue Price: CIP) पर सब्सिडीयुक्त चावल 3 रुपये प्रति किग्रा, गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किग्रा** उपलब्ध कराया जाता है।
- **लाभार्थियों की 2 श्रेणियां:** प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH); अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार
- **प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PHH): 5 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है।**
- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवार (सबसे गरीब परिवार):** 35 किग्रा प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है।
  - **अंत्योदय अन्न योजना (AAY) वाले परिवारों** को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के माध्यम से **प्रति परिवार प्रति माह एक किलोग्राम चीनी** भी प्राप्त होती है।
  - केन्द्र सरकार योजना के भागीदार राज्यों के **AAY परिवारों को चीनी के लिए 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की सब्सिडी** देती है।
  - राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश **वितरण लागत वहन** करते हैं। इसमें **डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत** भी शामिल है।

NFSA, 2013 की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए किए गए हालिया सुधार

ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सुविधाएं
त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए इन्हें कई राज्यों द्वारा अपनाया गया है।

राइस फोर्टीफिकेशन
यह आहार में विटामिन A और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी व पूरक रणनीति है।

आपूर्ति श्रृंखला का स्वचालन
लगभग 20 राज्यों और/ या केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे लागू किया है। इससे आपूर्ति संबंधित रिसाव में कमी आई है।

आधार से जोड़ना
राशन कार्डों को आधार से जोड़ने से नकली लाभार्थियों में कमी आती है और फर्जी कार्ड खत्म हो जाते हैं।

- हाल ही में, सरकार ने AAY परिवारों के लिए **चीनी सब्सिडी की योजना को दो और वर्षों यानी 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने** को मंजूरी दे दी है।

- **जीवन चक्र दृष्टिकोण**
  - **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM) और बच्चे (6 माह-14 वर्ष)**
    - आंशिक वेतन मुआवजे के रूप में कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा।
- **संघीय सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी:**

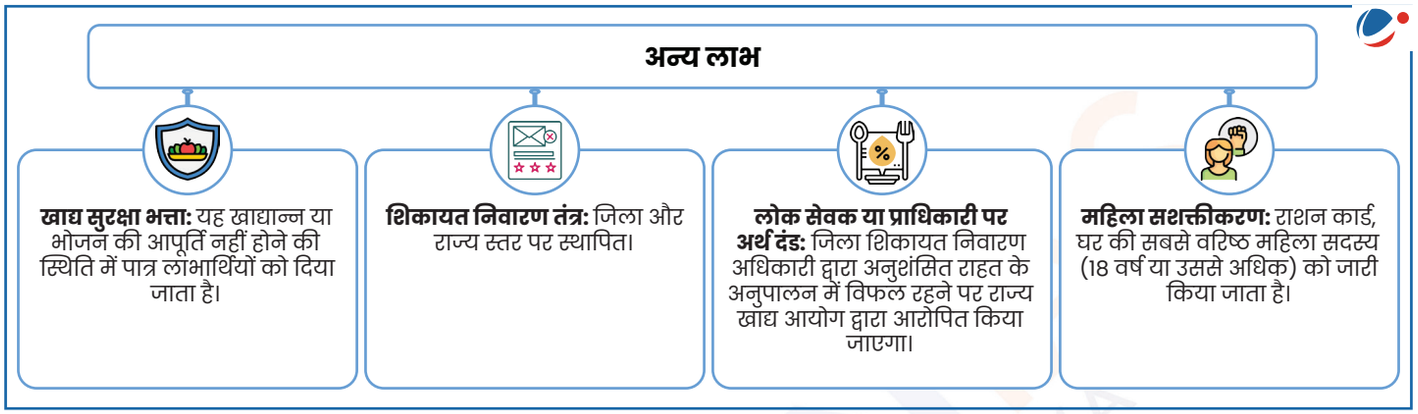

  - **केंद्र की जिम्मेदारी:** आवश्यक खाद्यान्न का आवंटन, खाद्यान्न का परिवहन, FCI के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों (FPSs) तथा फिर निर्दिष्ट डिपो तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करना आदि।
  - **राज्यों की जिम्मेदारी:** पात्र परिवारों की पहचान करना, उन्हें राशन कार्ड जारी करना आदि का प्रभावी कार्यान्वयन करना।

महत्वपूर्ण पहलें

- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)**
  - लगभग 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों (अर्थात, AAY परिवारों और PHH लाभार्थियों) को पांच साल की अवधि के लिए **मुफ्त खाद्यान्न** उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - **लाभ:** लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान प्रदान करके पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना आदि।
- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना:** NFSA के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी **राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी** को लागू करना।
  - प्रवासी लाभार्थी, NFSA के तहत जारी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके **बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण** के जरिए लाभ उठाया जा सकता है।
- **प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी.एम. पोषण)**
  - **पृष्ठभूमि**: यह योजना 1995 में **मध्याह्न भोजन योजना** के रूप में शुरू की गई थी।
  - **उद्देश्य: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है।**
  - अवधि: **2021-22 से 2025-26 तक**
  - **लाभार्थी:**
    - **प्री-स्कूल या बाल वाटिका के बच्चे** (कक्षा I से पहले) तथा
    - **कक्षा I से VIII तक के बच्चे।**
  - **शिक्षा मंत्रालय** इसका नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है।
- **प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)**
  - **पृष्ठभूमि:** इसे 2017 में शुरू किया गया था और 2022 में इसे 'मिशन शक्ति' में मिला दिया गया था।
    - मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है।
  - **PMMVY के बारे में: यह गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के लिए एक सशर्त नकद अंतरण योजना है।**
  - **उद्देश्य:**
    - **माताओं को वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि** महिला को प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके।

- PW&LM के बीच **स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने संबंधी संबंधी व्यवहार** को बढ़ावा देना।

- **लाभार्थी:** अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाली कम-से-कम 19 वर्ष की आयु की **गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (PW&LM)**
- **लाभ:**
  - परिवार के **पहले जीवित बच्चे** के लिए **5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ।**
  - **जननी सुरक्षा योजना (JSY)** के तहत संस्थागत डिलीवरी और प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराया जाता है। इस हिसाब से एक महिला को औसतन 6,000 रुपये मिलते हैं।
- **बालिका को सहायता:** PMMVY 2.0 के तहत **दूसरी बालिका के जन्म के बाद एक ही किस्त में 6,000 रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।**
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** नोडल कार्यान्वयन मंत्रालय है।

8.2. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONE NATION ONE RATION CARD: ONORC)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • **उद्देश्य:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा NFSA के तहत जारी किए गए **राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी** को लागू करना। • पहले इसे **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)** के रूप में जाना जाता था। • लाभार्थी देश में किसी भी **ePoS (इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल) सक्षम उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपने हक का खाद्यान्न प्राप्त** कर सकते हैं। • वे **मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण** के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मूल्य स्थिरता कोष (Price Stabilization Fund: PSF)	• **उद्देश्य:** कुछ कृषि-बागवानी जिंसों जैसे **प्याज, आलू और दालों में मूल्य अस्थिरता** का समाधान करना। • जिंसों की खरीद की जाती है तथा उन्हें भंडारित (स्टॉक) किया जाता है। • फार्म गेट (कृषि स्थल)/ मंडी में किसानों/ किसान संघों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन दिया जाता है। • इस कोष का **बाजार हस्तक्षेप संचालन हेतु केंद्रीय एजेंसियों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/ एजेंसियों को कार्यशील पूंजी का ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान करने के लिए उपयोग** किया जाता है।

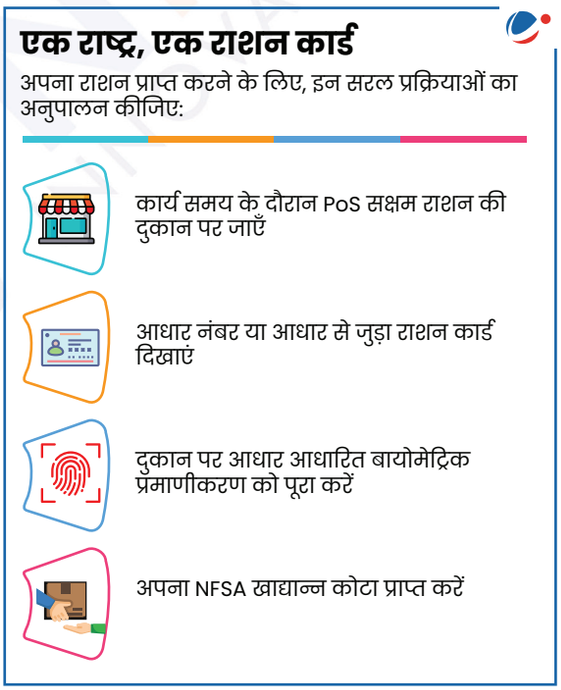

नोट: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत वर्ष 2003 में एक मूल्य स्थिरता कोष भी स्थापित किया गया था, ताकि **कॉफी, चाय, रबर और तंबाकू के लघु उत्पादकों** को (चार हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे उत्पादक) वित्तीय राहत प्रदान की जा सके। हालांकि, यह वित्तीय राहत इन जिंसों की कीमत प्राइस स्पेक्ट्रम बैंड/मूल्य विस्तार सीमा से नीचे आ जाने तक प्रदान की जाती रही है।

9. सहकारिता मंत्रालय (MINISTRY OF COOPERATION)

9.1. डेयरी सहकार योजना (DAIRY SAHAKAR SCHEME)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** "सहकार से समृद्धि तक" दृष्टिकोण को साकार करना।
- **परियोजना लागत सीमा:** परियोजना लागत की **कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कार्यान्वयन एजेंसी है।**
- **अवधि: वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक।**

अन्य उद्देश्य

यह सहकारी समितियों को ESG (पर्यावरण, संधारणीयता और गवर्नेंस) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता संबंधी फ्रेमवर्क पर केंद्रित है। साथ ही, "किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- **योग्यता**
  - **पंजीकृत कोई सहकारी समिति या**
  - कोई भी FPO/SCH (सहकारी), जिसके उप-नियमों में डेयरी से संबंधित गतिविधियों को संपन्न करने के लिए उपयुक्त प्रावधान हों
- **वित्तीय सहयोग**
  - **NCDC द्वारा विस्तारित।**
  - **गोजातीय विकास, खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन** जैसी गतिविधियों के लिए।
  - **ऋण अवधि: 5 से 8 वर्ष,** जिसमें मूलधन के भुगतान पर 1 से 3 वर्ष का ऋण स्थगन (moratorium) शामिल है।
- **सहायता प्रतिरूप: राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम** से या **NCDC के प्रत्यक्ष वित्त पोषण दिशा-निर्देशों और पात्र योजना के मानदंडों को पूरा करने वाली सहकारी समितियों के** माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।
- **अन्य मुख्य प्रावधान**
  - **गुरुग्राम स्थित लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (LINAC) के माध्यम से** सहकारी समितियों की क्षमता का निर्माण करना।

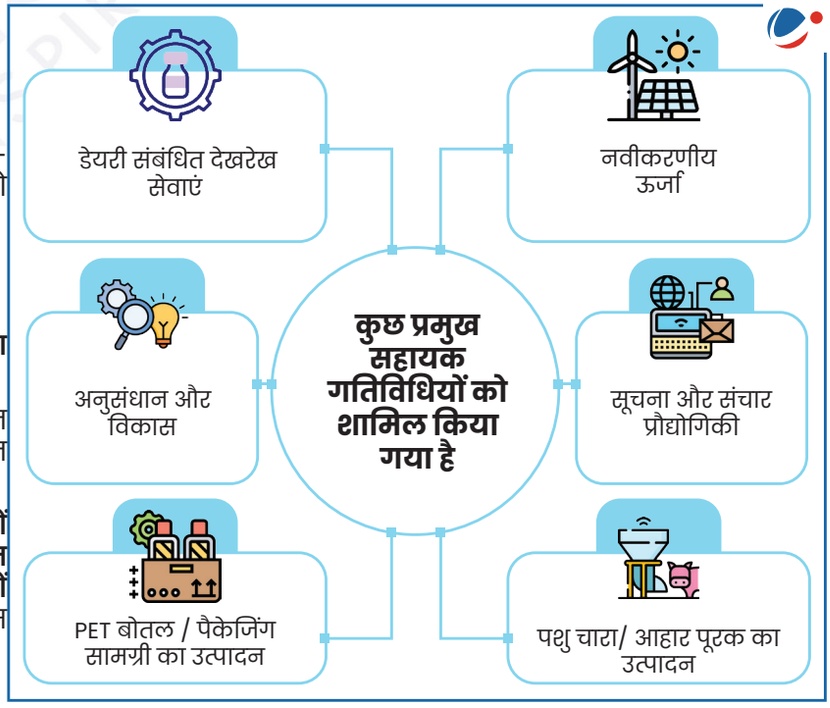

- **केंद्र या राज्य या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व तंत्र** की अन्य पहलों के साथ **अभिसरण।**

NCDC के बारे में

- NCDC को भारत सरकार ने वर्ष **1963 में** संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया था। **यह मुख्य रूप से स्थानीय, जिला, शीर्ष/ बहु-राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के लिए स्थापित एक शीर्ष स्तर की वैधानिक स्वायत्त संस्था है।**
- यह सरकार के किसी भी बजटीय समर्थन के बिना, **खुले बाजार के सिद्धांतों** पर कार्य करता है।

9.2. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

आयुष्मान सहकार योजना (Ayushman Sahakar Scheme)	• **लक्ष्य:** समग्र स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, शिक्षा और सेवाओं पर **सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना
	• **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**
	• **NCDC निम्नलिखित के लिए सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है-**
	  • PHCs स्थापित करने के लिए, तथा
	  • चिकित्सा शिक्षा, नैदानिक सेवाओं, दवा व्यवसायों, ब्लड बैंकों आदि का समर्थन करने के लिए।
	• परिचालन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **कार्यशील पूंजी** (working capital) और **मार्जिन मनी** (margin money) की सुविधा प्रदान की जाएगी।
	• महिला बहुसंख्यक सहकारी समितियों को 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान (interest subvention) उपलब्ध करवाया जाएगा।

युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना (YUVA Sahakar- Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme)	• **लक्ष्य: युवाओं को** सहकारी व्यावसायिक उपक्रमों की ओर आकर्षित करना।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)**
	• **योग्यता: कम से कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियां।**
	• **वित्त-पोषण:** NCDC द्वारा निर्मित **कोऑपरेटिव स्टार्ट-अप एंड इनोवेशन फंड (CSIF)** से जुड़ा हुआ है।
	• **प्रोत्साहन राशि:** इस योजना में मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित परियोजना के लिए ब्याज दर, प्रचलित सावधि ऋण पर लागू ब्याज दर (3 करोड़ रुपये तक) से 2% कम होगी।
	• **वित्त-पोषण**
	  • निम्नलिखित से जुड़ी सहकारी समितियों के लिए **80%** तक:
	  ◇ उत्तर पूर्वी क्षेत्र,
	  ◇ आकांक्षी जिले, तथा
	  ◇ महिला या SC या ST या PwD सदस्य।
	  • परियोजना लागत का **70%** तक

सहकार मित्र: इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना {Sahakar Mitra: Scheme on Internship Programme (SIP)}	• **उद्देश्य:** सहकारी संस्थानों को युवा पेशेवरों के नवीन और प्रगतिशील विचारों तक पहुँचने में सहयोग करना। साथ ही, युवाओं को क्षेत्र में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना।
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** NCDC.
	• **पात्रता:**
	  • कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों में पेशेवर स्नातक या
	  • कृषि-व्यवसाय, सहकारिता, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, IT आदि में MBA की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं
	• संगठनात्मक संदर्भ में कौशल एवं ज्ञान का उपयोग करके सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए **युवा पेशेवरों को लघु अवधि (चार महीने से अधिक नहीं) का अवसर प्रदान करना।**

10. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

10.1. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

MCA21 परियोजना (MCA21 Project)	• **उद्देश्य:** नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज डिलीवरी गेटवे (NSDG) के साथ अंतर-प्रचालनीयता प्राप्त करना। • यह भारत सरकार की **पहली मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजना** है। • **कंपनी अधिनियम,** 1956 के प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित प्रक्रिया का **पूर्ण स्वचालन** सुनिश्चित किया जाएगा। • **कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की सेवाओं तक आसान और सुरक्षित पहुंच** सुनिश्चित की जाएगी। • **MCA 3.0: ई-अधिनिर्णयन, ई-परामर्श और अनुपालन प्रबंधन** आदि के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल प्रदान किए जाएंगे।

स्वतंत्र निदेशकों का डेटाबैंक (Independent Directors' Databank)	• **उद्देश्य:** भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्च मानकों का विकास करने के लिए मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों को **सक्षम बनाना।**
	• **निम्नलिखित की व्यापक रिपोजिटरी (Comprehensive repository)** का निर्माण किया जाएगा:
	  • **मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों की**
	  • स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक और योग्य **व्यक्तियों** की
	• **सभी स्वतंत्र निदेशकों को** डेटा बैंक के साथ अपना **पंजीकरण कराना आवश्यक** है।
	• **कंपनियां भी** स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की खोज, चयन और उनसे संपर्क करने हेतु अपना **पंजीकरण करा सकती हैं।**

11. संस्कृति मंत्रालय (MINISTRY OF CULTURE)

11.1. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

प्रोजेक्ट मौसम (Project Mausam)	• **उद्देश्य: बहुआयामी हिन्द महासागर के संदर्भ में पुरातत्व एवं ऐतिहासिक स्तर का अनुसंधान करना** है ताकि **विविधता से भरे इस क्षेत्र के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं धार्मिक अंतर्संबंधों को उजागर किया जा सके।**
	• **अन्य उद्देश्य:** इस प्रोजेक्ट के तहत **यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ट्रांस-नेशनल नामांकन के रूप में** शामिल किए जाने हेतु स्थलों **एवं साईटों की पहचान करना।**
	• **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India: ASI)**
	  • इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) और राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा अनुसंधान संबंधी सहायता प्रदान की जा रही है।
	• **अवधि:** 2023 तक
	• दो **ट्रांस-नेशनल नामांकन** तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है
	  • दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में चोलों द्वारा उपयोग किए गए मार्ग
	  • दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु अपनाए गए भूमि एवं समुद्री मार्ग
	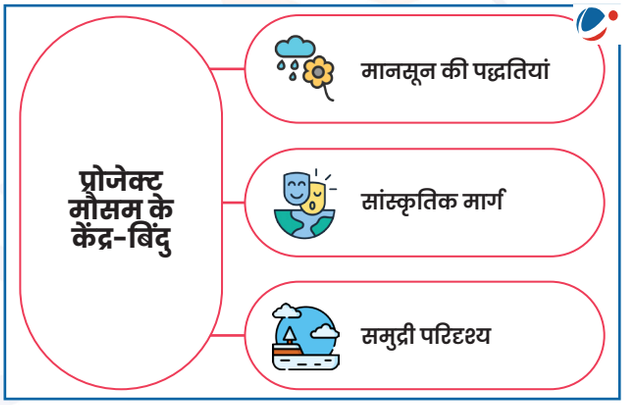

स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस {Scheme for Promotion of Culture of Science (SPOCS)}	• **उद्देश्य:** प्रदर्शनी, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान आदि का आयोजन करके **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना** तथा **उद्योग एवं मानव कल्याण में इनके विकास तथा अनुप्रयोग का वर्णन करना।**
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन)।
	• निम्नलिखित का प्रावधान किया गया है
	  • साइंस सिटी, साइंस सेंटर, इनोवेशन हब की स्थापना का
	  • मौजूदा साइंस सिटी/साइंस सेंटर/इनोवेशन हब के आधुनिकीकरण/उन्नयन का
	  • डिजिटल तारामंडल / अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र (SAEC) की स्थापना का

आदर्श स्मारक (Adarsh Smarak)	• **उद्देश्य: स्मारकों के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं** प्रदान करना है, जैसे कि ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना। • **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)**

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (National Mission on Manuscripts)	• **उद्देश्य:** पांडुलिपियों का संरक्षण और उनमें निहित ज्ञान का प्रसार करना।
	• **भारतीय पांडुलिपि विरासत की पहचान करने, प्रलेखन करने, संरक्षण करने तथा उसे सर्वसुलभ बनाने हेतु अधिदेश जारी करना।**
	• **एक पांडुलिपि होती है-**
	  • कागज, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर **हस्तलिखित रचना,**
	  • **जो कम से कम 75 वर्ष प्राचीन हो,**
	  • **इसका महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक महत्व हो।**
	• **लिथोग्राफ और मुद्रित खंड पाण्डुलिपि नहीं होती हैं।**

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Cultural Mapping and Roadmap)	• **उद्देश्य:** एक मजबूत आईटी-सक्षम मंच पर **निम्नलिखित का एक व्यापक डेटा बेस विकसित करना-**
	  • कलाकार, कला रूप का और
	  • सांस्कृतिक संगठनों से एकत्रित अन्य संसाधनों का।
	• **यह 'कला संस्कृति विकास योजना'** नामक एक अम्ब्रेला योजना का भाग है।
	• **यह सांस्कृतिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा,** कलाकारों को सहायता प्रदान करेगा और रोजगार सृजित करेगा।

कला संस्कृति विकास योजना (Kala Sanskriti Vikas Yojana)	• यह **देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने** के लिए एक **अम्ब्रेला योजना** है।
	घटक
	• **कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना**
	  • **रिपर्टरी अनुदान: प्रदर्शन कला की सभी शैलियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।** इसके अलावा **गुरु-शिष्य परम्परा** के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरुओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना।
	  ◇ कलाकारों की आयु के आधार पर प्रत्येक **गुरु/ शिक्षक** को **15,000/- रुपये** प्रतिमाह और प्रत्येक **शिष्य/ कलाकार** को **2,000 से 10,000/- रुपये** प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
	  • **ऐसे सांस्कृतिक संगठन जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति है** उन्हें 5 करोड़ रुपये तक की **वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**
	  • **सांस्कृतिक समारोह एवं प्रोडक्शन अनुदान (CFPG):** सेमिनार, सम्मेलन, अनुसंधान, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ समितियों/ ट्रस्टों/ विश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	  ◇ **सहायता राशि:** 5 लाख रुपये तक
	  » हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में 20 लाख रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
	  • **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता:** किसी संगठन के लिए वित्त-पोषण की मात्रा प्रति वर्ष 10 लाख रुपये है, जिसे असाधारण मामलों में 30 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
	  • **बौद्ध/ तिब्बती संगठन के संरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता:** योजना घटक के अंतर्गत वित्त-पोषण की मात्रा किसी संगठन के लिए प्रति वर्ष 30 लाख रुपये है। इसे असाधारण मामलों में 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
	• **सांस्कृतिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना:** इसके निम्नलिखित 3 घटक हैं:
	  • स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण संबंधी अनुदान के लिए वित्तीय सहायता।
	  • संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।
	  • टैगोर सांस्कृतिक परिसरों के लिए वित्तीय सहायता।
	• **कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फैलोशिप योजना:** इसमें निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैं:
	  • संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करने की योजना।
	  • विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना।
	  • सांस्कृतिक अनुसंधान के लिए टैगोर नेशनल फेलोशिप प्रदान करने के लिए योजना।
	• **कलाकार पेंशन योजना:** इसका उद्देश्य वृद्ध कलाकारों और विद्वानों को 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। शर्त यह है कि वृद्ध कलाकारों और विद्वानों की आयु 60 वर्ष से कम न हो और वार्षिक आय 48,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, उन्होंने कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, लेकिन अब वे निर्धन स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं।
	• **सेवा भोज योजना:** लोगों को मुफ्त भोजन वितरित करने के लिए धर्मार्थ/ धार्मिक संस्थानों द्वारा विशिष्ट कच्चे खाद्य पदार्थों की खरीद पर भुगतान किए गए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST) तथा एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST) में केंद्र सरकार के हिस्से की भरपाई भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाएगी।
	• **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए योजना:** यह अनेक संस्थानों, समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को पुनर्जीवित और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है ताकि वे भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुदृढ़, संरक्षित, सुरक्षित और प्रचारित करने के लिए गतिविधियों/परियोजनाओं में संलग्न हो सकें।

12. रक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF DEFENCE)

12.1. एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नॉलजिस विद iDEX (ADITI) योजना {ADITI (Acing Development of Innovative Technologies with iDEX) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** जिन क्षेत्रों में देश के पास मौजूदा क्षमताएं नहीं हैं, वहां लगभग 30 डीप-टेक आधारित महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- **योजना के घटक:** ADITI योजना के विजेताओं और पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) को अनुदान सहायता।
- **शामिल प्रौद्योगिकियां:** इसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जो **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक** हैं, लेकिन भारत **में इनके उत्पादन के लिए पहले से विनिर्माण संबंधी क्षमताएं नहीं** हैं।
- **योजनावधि:** वित्त वर्ष 2023-2024 से वित्त वर्ष 2025-2026 तक।

अन्य उद्देश्य

- **रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी प्रौद्योगिकियों के तीव्र विकास** को सुविधाजनक बनाना, जो संवेदनशील व नवोन्मेषी हों।
- **अत्यंत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण करना** और विदेशी "मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs)" पर निर्भरता को कम करना।
- ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास (Spiral Development Model)** द्वारा बढ़ावा देना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना व अनुपूरित करना।
- **"टेक्नोलॉजी वॉच टूल"** बनाना और **प्रौद्योगिकी दूरदर्शी कार्यशालाओं** का आयोजन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **ADITI चैलेंज:** प्रत्येक ADITI चैलेंज में अधिकतम **दो विजेताओं के लिए समर्थन** का प्रावधान किया गया है। किसी आवेदक को **एक समय में केवल एक ही ADITI चैलेंज में पुरस्कृत** किया जाएगा।
  - ADITI योजना में ADITI की मंजूरी की तारीख के बाद शुरू किए गए **iDEX प्राइम श्रेणी के चैलेंजज़ को शामिल** किया जाएगा (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs):** योजना की अवधि के दौरान विशेष विशेषज्ञता वाले लगभग **10 पार्टनर इन्क्यूबेटर्स का नेटवर्क** विकसित किया जाएगा। ये पार्टनर इन्क्यूबेटर्स विशेष सहायता और व्यावसायिक सलाह प्रदान करेंगे।
- **वित्तीय सहायता:**
  - **ADITI योजना के विजेताओं को सहायता अनुदान:** हस्ताक्षर किए जाने वाले अनुबंधों के लिए **प्रति विजेता 25 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा के साथ उत्पाद विकास बजट के 50 प्रतिशत तक का अनुदान** दिया जाएगा।

- **पार्टनर इनक्यूबेटर्स (PIs) को सहायता अनुदान:**
  - इस परियोजना में **6 प्रमुख उपलब्धियों/ चरणों** को शामिल किया गया है। इनमें से **प्रत्येक चरण के लिए भुगतान की उच्चतम सीमा 1,50,000 रुपये** निर्धारित की गई है।
    - ऐसा अनुमान है कि यह भुगतान पार्टनर इन्क्यूबेटर्स को **उनके संबंधित चैलेंज के विजेता की प्रत्येक चरण की सुविधा/ पूर्णता के आधार पर प्रदान किया जाएगा।**
  - इसके अलावा, पार्टनर इनक्यूबेटर्स को **आवश्यकता के आधार पर निम्नलिखित क्रियाकलाप (Activity) के अनुसार निधि भी प्रदान की जाएगी:-**
    - रक्षा क्षेत्रक की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निकटवर्ती इलाकों से **स्टार्ट-अप्स/ MSMEs को संबद्ध** करना।
    - उपलब्धि/ चरण के आधार पर चैलेंज के विजेताओं के लिए शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान व विकास के माध्यम से **तकनीकी/ वित्तीय यथोचित उद्यम, इन्क्यूबेशन एवं मेंटरशिप समर्थन** को सुविधाजनक बनाना।
    - **विस्तार करने, जागरूकता फैलाने** और अन्य उपायों के तहत नवोन्मेषी इकोसिस्टम को मजबूत करना।

ADITI योजना और रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (Innovations for Defence Excellence: iDEX)

ADITI योजना के तहत महत्वपूर्ण और उन्नत प्रौद्योगिकियों को **सर्पिल या कुंडलित विकास** द्वारा बढ़ावा देना। साथ ही, मौजूदा iDEX योजना के तहत विकसित उत्पादों/ प्रौद्योगिकियों के **सर्पिल विकास** द्वारा बढ़ावा देना।

iDEX **रक्षा नवाचार संगठन (DIO) का कामकाजी फ्रेमवर्क है।**

iDEX-DIO, **डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज (DISC)** के विजेता (स्टार्ट-अप्स/ व्यक्तियों) को **1.5 करोड़ रुपये** तक की फंडिंग प्रदान करता है। यह अनुदान राशि **परियोजना की लागत और स्टार्ट-अप्स द्वारा समान योगदान राशि के आधार** पर दी जाती है।

युवा इनोवेटर्स को प्रेरित करने के लिए **iDEX को iDEX प्राइम** के रूप में विस्तारित किया गया है। इसमें सहायता अनुदान को **1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

- **ADITI चैलेंज के लिए पात्रता:**
  - ऐसे **स्टार्ट-अप्स** जो उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग **(DPIIT) की परिभाषा के दायरे में** आते हैं और **मान्यता प्राप्त** हैं।
  - **कंपनी अधिनियम 1956/ 2013** के तहत पंजीकृत या निगमित कोई भी भारतीय कंपनी। इनमें मुख्य रूप से **MSME अधिनियम, 2006 के तहत MSME के रूप में परिभाषित कंपनियां** शामिल होंगी।
  - **स्टार्ट-अप/ MSME के रूप में पंजीकृत अलग-अलग नवोन्मेषक।** अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान भी इस श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- **iDEX पार्टनर इन्क्यूबेटर्स (PIs) के रूप में अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता**
  - **कानूनी स्थिति:** आवेदक इनक्यूबेटर को **भारत में सार्वजनिक, निजी या सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक कानूनी संस्था के रूप में पंजीकृत** होना चाहिए। साथ ही, **भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त की हो या कर रहा हो।**
  - **अनुभव:**
    - इनक्यूबेटर को **कम-से-कम 5 वर्षों तक संचालित** किया जाना चाहिए। साथ ही, **कम-से-कम 10 रक्षा-संबंधी स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेट या वित्त पोषित** करना चाहिए।
    - इसके द्वारा **पिछले 3 वर्षों में कम-से-कम 5 स्टार्ट-अप्स इन्क्यूबेट** होने चाहिए। इसके अलावा, इन स्टार्ट-अप्स को रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा 'आवेदन के लिए आमंत्रण' की तारीख तक 'वित्तीय रूप से सक्षम संचालनरत संस्था (A going concern)' के रूप में परिचालन में होना चाहिए।
    - इसने **पिछले 5 वर्षों में कम-से-कम 2 क्षेत्रक-केंद्रित त्वरक कार्यक्रमों** (प्राथमिक रूप से डीप टेक, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/ मशीन लर्निंग, साइबर आदि में) को प्रबंधित किया हो।
  - **संसाधन:** आवेदन करने वाले इनक्यूबेटर के पास इससे संबद्ध स्टार्ट-अप्स के लिए **कम-से-कम 25 मेंटर** होने चाहिए। इनमें से कम-से-कम **5 रक्षा या एयरोस्पेस क्षेत्रक में लघु व मध्यम उद्यम (SMEs)** होने चाहिए तथा **कम-से-कम 2 निवेश विशेषज्ञ/ निवेशक** होने चाहिए।
  - **नेटवर्किंग:** ADITI के विजेताओं का समर्थन करने के लिए पार्टनर इन्क्यूबेटर्स के पास पर्याप्त बाह्य सहायता प्रणाली होनी चाहिए। बाह्य सहायता प्रणाली से तात्पर्य **उद्योग, शिक्षा जगत व सरकारी संस्थानों के साथ सहयोग** से है।
- **ADITI चैलेंज के लिए चयन की प्रक्रिया**
  - भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ADITI के लिए तैयार फ्रेमवर्क के तहत **चैलेंजज़ के माध्यम से प्रस्ताव** आमंत्रित किए जाएंगे।
  - इसमें चयन **उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति (High-Power Selection Committee: HPSC)** द्वारा किया जाएगा। इसका नेतृत्व **चैलेंज ओनर, विषय-वस्तु विशेषज्ञ, अकादमिक/ उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित हितधारक** करेंगे।
- **निगरानी:** रक्षा नवाचार संगठन (DIO) द्वारा पार्टनर इंक्यूबेटर्स (PIs) के माध्यम से अनुदान के उपयोग और प्रगति की **निगरानी** की जाएगी।
  - **DIO एक कंपनी है।** इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत निगमित किया गया था। भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) इसके खातों का **ऑडिट** कर सकता है।

- DIO का गठन **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** ने संयुक्त रूप से किया है।

- **योजना का मूल्यांकन:** योजना में बने रहने के लिए नए मूल्यांकन/ संशोधन से पहले **वित्त वर्ष 2025-26 में तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन** की व्यवस्था की जाएगी।
- **टेक्नोलॉजी वॉच टूल:** इसे आधुनिक **सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं तथा रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच अंतर को समाप्त** करने के लिए विकसित किया जाएगा।

12.2. अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** वेतन और पेंशन को कम करके उपलब्ध संसाधनों को सैन्य आधुनिकीकरण हेतु प्रयोग करना।
- **तरीका:** अल्पकालिक भर्ती मॉडल या 'टूर ऑफ ड्यूटी' (ToD)
- **अग्निवीर के लिए योग्यता:** अन्य अर्हता मानदंडों को पूरा करने के साथ **17.5 वर्ष से 21 वर्ष** (वर्तमान वर्ष की भर्ती के लिए 23 वर्ष) की आयु।
- **लाभ:** नागरिक समाज में सैन्य लोकाचार के साथ युवाओं को सशक्त व अनुशासित बनाना और कौशल प्रदान करना

अन्य उद्देश्य

सशस्त्र बलों में युवाओं की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि युवा एक परिसंपत्ति बने रहें।

प्रमुख विशेषताएं

- **अग्निवीर**
  - **अधिकारी रैंक (PBOR) से नीचे के कार्मिक के रूप में भर्ती**
    - **थलसेना,**
    - **वायुसेना और**
    - **नौसेना**
  - **यह भर्ती चार वर्ष के लिए की जाएगी जिसमें छह माह का प्रशिक्षण भी शामिल होता है।**
  - प्रतिवर्ष 17.5 से 21 वर्ष (चालू वर्ष की भर्ती के लिए 23 वर्ष) आयु के लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी
- **अग्निवीरों को प्रदत्त वेतन पैकेज**
  - **"सेवा निधि" पैकेज** (आयकर से छूट) के अंतर्गत सेवा पूरी होने पर, योगदान और ब्याज सहित 11.71 लाख रुपये।
- **स्थायी नियुक्ति**
  - कुल भर्तियों के **25%** भाग को स्थायी कमीशन के तहत **अगले 15 वर्षों तक सेवा में रहने की अनुमति दी जाएगी।**

अग्निवीरों के लिए सहायक उपाय: चार वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीरों के लिए पूर्णकालिक नौकरी में;

रक्षा मंत्रालय ने- भारतीय तटरक्षक एवं रक्षा असैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में **10% आरक्षण की घोषणा** की है।

गृह मंत्रालय ने- अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में 10% आरक्षण की घोषणा की है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने- मर्चेंट नेवी की विभिन्न भूमिकाओं में अग्निवीरों के सरल प्रवेश की घोषणा की है।

12.3. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

प्रौद्योगिकी विकास निधि (Technology Development Fund: TDF) योजना	• **यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे मेक इन इंडिया के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
	• **उद्देश्य:**
	  • MSMEs और स्टार्ट-अप सहित भारतीय उद्योगों के साथ-साथ रक्षा क्षेत्रक से जुड़ी और ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी (जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के पास नहीं है) के विकास हेतु अकादमिक एवं वैज्ञानिक संस्थानों को सहायता अनुदान प्रदान करना।
	  • निजी संस्थाओं के साथ सशस्त्र बलों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों और अर्हता/ प्रमाणन एजेंसियों के बीच एक संपर्क का निर्माण करना।
	  • प्रूफ ऑफ कांसेप्ट वाली भविष्य की प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना और उन्हें प्रोटोटाइप में तब्दील करना।
	• **परिव्यय:** 100 करोड़ रुपये
	• **निधि के अंतर्गत प्रति प्रोजेक्ट को प्रदान किए जाने वाले अनुदान को** 10 करोड़ रुपये से **बढ़ाकर** 50 करोड़ रुपये किया गया है।

रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना {Defence Testing Infrastructure (DTI) Scheme}	• **उद्देश्य: निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना का** निर्माण करके घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना।
	• **रक्षा और एयरोस्पेस संबंधी उत्पादन के लिए 6-8 ग्रीनफील्ड DTI सुविधाओं की स्थापना करना।**
	• **वित्तीय सहायता:**
	  • परियोजनाओं को 'अनुदान सहायता' के रूप में 75% तक सरकारी वित्त-पोषण प्रदान किया जाएगा।
	  • परियोजना लागत का 25% स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें भारतीय निजी संस्थाएं और राज्य सरकारें शामिल होंगी।
	• योजना के अंतर्गत SPVs को **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

वन रैंक वन पेंशन योजना (One Rank One Pension Scheme)	• **लक्ष्य:** सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी हो, **समान पेंशन** प्रदान करना। • **कवरेज: 30 जून, 2019 तक सेवानिवृत्त** हुए सशस्त्र बल कार्मिक तथा युद्ध विधवाओं और अशक्त पेंशनभोगी सहित कुटुंब पेंशनभोगी। • **अपवर्जन: स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त (VRS) होने वाले कर्मियों को OROP** योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। • भविष्य में पेंशन की राशि **प्रत्येक 5 वर्ष में पुनः निर्धारित** की जाएगी। **नोट: OROP** से पूर्व, वेतन आयोग की उस समय की संस्तुतियों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को तब से पेंशन प्रदान की जाती थी, जब वे सेवानिवृत्त हुए थे।
राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा (National Integration Tour)	• **लक्ष्य:** ये शैक्षिक एवं प्रेरणादायी यात्राएं हैं। इनका उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक एवं उद्योग संबंधी जारी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। • **लाभार्थी:** जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के युवा • **लाभ:** युवाओं के लिए करियर विकल्प और प्रसिद्ध हस्तियों के साथ बातचीत।
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति (Mission Raksha Gyan Shakti)	• **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य भारतीय रक्षा विनिर्माण परिवेश में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की संस्कृति को विकसित करना है।

13. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MINISTRY OF EARTH SCIENCES)

13.1. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी) {PRITHvi VIgyan (PRITHaVI)}	• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत चल रही अलग-अलग योजनाओं को शामिल करके व्यापक योजना "पृथ्वी विज्ञान (पृथ्वी)" को मंजूरी दी।
	• **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
	  • **योजना अवधि:** 2021-26 तक
	  • **उद्देश्य: पृथ्वी प्रणाली** विज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं को समग्र रूप से समझना।
	  ◇ पृथ्वी प्रणाली विज्ञान, पृथ्वी प्रणाली के **सभी पांच घटकों (वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, क्रायोस्फीयर और जीवमंडल) तथा उनकी जटिल अंतःक्रियाओं** से संबंधित है।
	  • **घटक: इसमें वर्तमान में जारी पांच उप-योजनाएं शामिल हैं:**
	  ◇ **एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (ACROSS):** यह उप-योजना अनुसंधान एवं विकास, डायनामिक मॉडल्स तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमान सेवाएं प्रदान करेगी।
	  ◇ **ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशंस, रिसोर्सेज़ एंड टेक्नोलॉजी (O-SMART): इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
	  » महासागर क्षेत्रक से संबंधित सेवाओं (पूर्वानुमान एवं सलाह) के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास तथा
	  » समुद्री और तटीय परिवेश में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना,
	  ◇ **पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च (PACER):** इसमें अंटार्कटिक कार्यक्रम, भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम, दक्षिणी महासागर कार्यक्रम तथा क्रायोस्फीयर व जलवायु कार्यक्रम शामिल हैं।
	  ◇ **सिस्मोलॉजी एंड जियोसाइंस (SAGE):** इसमें भूकंपीय निगरानी एवं माइक्रोजोनेशन और जियोक्रोनोलॉजी (भू-कालानुक्रम) के लिए एक इकाई स्थापित करने सहित 6 गतिविधियां शामिल हैं।
	  ◇ **रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच (REACHOUT):** पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास (RDESS) को शामिल करना, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में कुशल कार्यबल विकसित करना आदि शामिल हैं।

'नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क' {Knowledge Resource Centre Network (KRCNet)}	• **उद्देश्य:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय **(MoES)** के **पारंपरिक पुस्तकालयों को** नॉलेज रिसोर्स सेंटर (KRC) के रूप में अपग्रेड करना। • KRCs को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा और **KRCNet पोर्टल पर एकीकृत किया जाएगा।**
मौसम ऐप (Mausam App)	• **उद्देश्य: https://mausam.imd.gov.in/** पर उपलब्ध मौसम संबंधी सूचना के लिए निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल पहुंच प्रदान करना।

वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research: SAFAR)	• **उद्देश्य: यह एक शोध आधारित प्रबंधन प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां वायु प्रदूषण शमन की रणनीति देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ चलती है।** • **महानगरीय शहरों में लगभग रियल टाइम में वायु की गुणवत्ता संबंधी स्थान विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है।** • 1-3 दिन तक के लिए वायु गुणवत्ता संबंधी अग्रिम पूर्वानुमान (भारत में पहली बार) भी प्रदान करता है। • मौसम के मापदंडों से संबंधित **पूर्व की चेतावनी प्रणाली (EWS)** से संबद्ध है।
गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण: जेमिनी {Gagan Enabled Mariner's Instrument for Navigation and Information (GEMINI) device}	• **उद्देश्य:** आपदा संबंधी चेतावनी के लिए **आपातकालीन जानकारी और संचार** तथा समुद्री राज्यों में मछुआरों के लिए चेतावनी तथा संभावित मत्स्य क्षेत्र (PFZ) और महासागरीय स्थिति पूर्वानुमान (OSF) जारी करना। • **गगन उपग्रह** से प्राप्त डेटा को ब्लूटूथ संचार के माध्यम से मोबाइल में **प्राप्त और स्थानांतरित करता है।** • **यह INCOIS** द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन सूचना को डिकोड करता है **और सूचना को नौ क्षेत्रीय भाषाओं में** प्रसारित करता है।

14. शिक्षा मंत्रालय (MINISTRY OF EDUCATION)

14.1. समग्र शिक्षा- विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समेकित योजना (Samagra Siksha- An Integrated Scheme for School Education)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** प्री-स्कूल से **लेकर कक्षा 12 तक** विस्तारित स्कूली शिक्षा के सुधार हेतु
- **प्रकार:** केंद्र प्रायोजित योजना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (SIS)।
- **अवधि: वर्ष** 2021 से 2026 तक

अन्य उद्देश्य

- सार्वभौमिक **पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यवसायीकरण** को बढ़ावा देना और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (TEIs) को मजबूत करना।
- **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009** के कार्यान्वयन में राज्यों की सहायता करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** समग्र शिक्षा योजना **विद्यालयी शिक्षा क्षेत्रक हेतु प्री-स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है।**
  - **इस योजना में निम्नलिखित तीन योजनाओं को शामिल किया गया है:**
    - **सर्व शिक्षा अभियान:** इसका उद्देश्य शिक्षा **का अधिकार अधिनियम, 2009 में तय मानदंडों और मानकों के अनुसार** विद्यालयों में अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार **सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्राप्ति सुनिश्चित** करना है।
  - **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA):** इसका उद्देश्य सभी के लिए **माध्यमिक कक्षा के स्तर तक की शिक्षा सुनिश्चित करना और इसकी गुणवत्ता में सुधार** करना है।
  - **शिक्षक प्रशिक्षण योजना:** इसका उद्देश्य **प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के शिक्षकों के सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण** के लिए एक ठोस संस्थागत अवसंरचना का निर्माण करना है।

विद्यालयी शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना

लाभ:

- इस योजना में 1.16 मिलियन स्कूल और 156 मिलियन से अधिक छात्र तथा सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.7 मिलियन शिक्षक शामिल किए गए हैं।
- इसका उद्देश्य समतामूलक और समावेशी कक्षा परिवेश सुनिश्चित करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
- इस योजना में छात्रों के कौशल विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।
- योजना के तहत सभी बाल केंद्रित सहायता एक निश्चित अवधि में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप अन्य प्रमुख पहलें**
  - **"सार्थक/ SARTHAQ": यहां सार्थक से आशय है;** "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति (स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन)"। यह योजना **NEP 2020 को लागू करने के लिए रोडमैप** निर्धारित करती है।
  - **निपुण भारत (NIPUN BHARAT):** यहां **निपुण**/ NIPUN से आशय है: "बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी)।
    - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त** करे।
  - **फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (FLS):** इसे कक्षा 3 के छात्रों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के स्तर का आकलन करने के लिए प्रारंभ किया गया है। यह आकलन **NCERT** द्वारा कराया जाता है।
  - **विद्या प्रवेश:** यह **NCERT** द्वारा विकसित **3 माह का खेल (प्ले) के माध्यम से लर्निंग का 'स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल'** है।
  - **विद्यांजलि 2.0:** यह एक वेब पोर्टल है। यह **समुदाय/ स्वयंसेवकों को अपने ज्ञान और कौशल को साझा करने या संपत्ति/ सामग्री/ उपकरण के रूप में योगदान** देने हेतु सीधे अपनी पसंद के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ संपर्क करने एवं जुड़ने में मदद करता है।
  - **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBVs)**: इन विद्यालयों में **कक्षा 12** तक आवासीय और विद्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में लड़कियों के सभी छात्रावासों में इंसीनरेटर और सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें उपलब्ध कराना भी शामिल हैं।
  - **नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय:** इसके तहत **पहाड़ी इलाकों, छोटी बस्तियों और कम आबादी वाले क्षेत्रों** में आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ये विद्यालय ऐसे बच्चों के लिए स्थापित किए जा रहे हैं, जिन्हें किसी भी वयस्क का संरक्षण प्राप्त नहीं है तथा जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है।
  - **निष्ठा 4.0 (ECCE):** यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए ऑनलाइन **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** (ECCE) है।
- **बालिका शिक्षा पर फोकस:** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBVs) को **कक्षा 6-8 को अपग्रेड करके कक्षा 6-12 तक** कर दिया गया है।
  - उच्च प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को **आत्मरक्षा प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - **'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **डिजिटल शिक्षा पर ध्यान:** 5 वर्षों की अवधि तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में **'ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड'** चलाया जा रहा है। **UDISE+, शगुन** जैसी डिजिटल पहलों को मजबूत किया जाएगा।
- **शिक्षा शब्दकोश: यह स्कूली शिक्षा से संबंधित शब्दावलियों की सूची है।** इसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSEL) ने तैयार किया है।
- **प्रशासनिक सुधार:** एकल और एकीकृत प्रशासनिक संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है।
- **समग्र शिक्षा फ्रेमवर्क:** इसे DoSEL ने जारी किया है। यह फ्रेमवर्क **समग्र शिक्षा योजना के प्रत्येक घटक के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतक (Key Performance Indicators: KPI)** उपलब्ध करवाता है। साथ ही, **प्रत्येक घटक के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय विवरण** प्रदान करता है।
- **शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 में संशोधन:** सामान्य स्कूलों में विशेष शिक्षकों (स्पेशल टीचर्स) के स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात के संबंध में अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया गया है। **अधिनियम के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात निम्नलिखित प्रकार से होना चाहिए:**
  - **प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** प्रत्येक दस दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।
  - **उच्च प्राथमिक स्कूल के स्तर पर:** कक्षा में पढ़ रहे प्रत्येक पंद्रह दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष अध्यापक।

14.2. प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan: PM-USHA)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: ऐसे क्षेत्र जहां कोई उच्चतर शिक्षण संस्थान नहीं हैं या कम हैं,** उनकी आवश्यकताओं को **पूरा** करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **कवरेज:** यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों** को कवर करती है।
- **अवधि:** 2023-24 से 2025-26

अन्य उद्देश्य

- **मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों (राज्य HEIs) की समग्र गुणवत्ता** में सुधार करना।
- राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को वित्त आवंटन सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति **(NEP) 2020 की सिफारिशों को लागू करना।**
- मान्यता प्राप्त संस्थानों की **प्रत्यायन स्थिति (एक्रीडिटेशन) में सुधार करना** और **गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए प्रत्यायन स्टेटस** प्राप्त करना।
- एक तरफ स्कूली शिक्षा के साथ **पिछली और अगली कड़ियों को जोड़ना तो दूसरी तरफ इसे रोजगार बाजार से जोड़ना।**
- चिन्हित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में शिक्षा के ODL/ ऑनलाइन/ डिजिटल मोड के लिए **अवसंरचना का विकास करना।**
- **सामाजिक रूप से वंचित समुदायों** को उच्चतर शिक्षा हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करना।
- कम **सकल नामांकन अनुपात (GER) वाले जिलों, वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों, सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों, आकांक्षी जिलों और SC/ ST की अधिक आबादी** वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **कौशल और व्यावसायिक शिक्षा** के माध्यम से रोजगार योग्य क्षमता बढ़ाना।
- **शिक्षा के STEM, वाणिज्य और मानविकी क्षेत्रों** सहित बहु-विषयक शिक्षा पर ध्यान देना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र सरकार ने 2013 में **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** (RUSA) शुरू किया। इसका उद्देश्य **राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उच्च स्तर की पहुंच, समानता और उत्कृष्टता प्राप्त करने करना था।** RUSA का **दूसरा चरण 2018** में शुरू किया गया।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** को ध्यान में रखते हुए, RUSA योजना को प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के रूप में शुरू किया गया।
- **PM-USHA के घटक**
  - **बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (Multi-Disciplinary Education and Research Universities: MERU):** केवल प्रत्यायन प्राप्त **राज्य सरकार के विश्वविद्यालय** ही इसके लिए पात्र होंगे।
    - NAAC ग्रेडिंग; NIRF रैंकिंग शॉर्टलिस्टिंग के लिए प्रमुख मानदंड हैं।
  - **विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने के लिए अनुदान (प्रत्यायन प्राप्त और बिना-प्रत्यायन वाले विश्वविद्यालय):** केवल राज्य सरकार के विश्वविद्यालय ही पात्र होंगे।
  - **कॉलेजों में सुधार करने के लिए अनुदान (प्रत्यायन प्राप्त और बिना-प्रत्यायन वाले कॉलेज):** केवल राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज ही पात्र होंगे।
  - **नए मॉडल पर आधारित डिग्री कॉलेज:** इस योजना के तहत वे जिले पात्र होंगे जहां कोई सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थान मौजूद नहीं है। इस मॉडल के आधार पर केवल राज्य सरकार के स्वामित्व वाले महाविद्यालय ही स्थापित किए जाएंगे।

- **जेंडर समावेशन और समता पहल:** जिलों को एक इकाई माना जाएगा न कि व्यक्तिगत संस्थाओं को। इन घटकों के तहत जिन गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सकता हैं उनमें संवेदीकरण कार्यशालाएं, जिले के नजदीकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए संयुक्त छात्रावास आदि शामिल हैं।
- **प्रबंधन निगरानी मूल्यांकन और अनुसंधान (Management Monitoring Evaluation And Research: MMER):** MMER के तहत अनुदान की राशि कुल स्वीकृत निधि का 2% है। इसमें से 1% राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया जाएगा जबकि 1% केंद्र द्वारा उपयोग किया जाएगा।

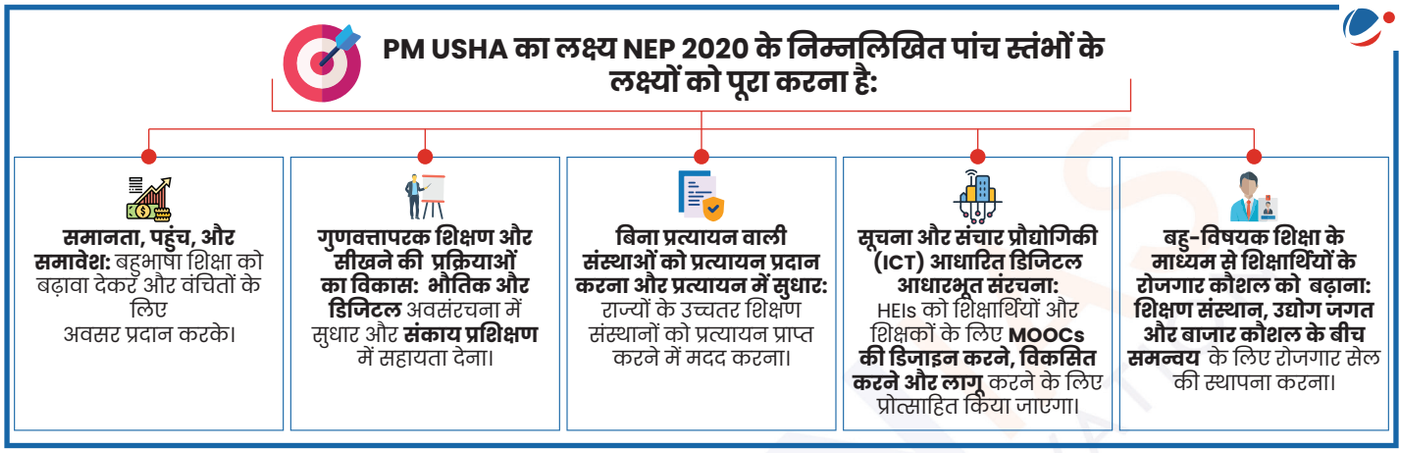

- **चिन्हित (फोकस) जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी: राज्य निम्नलिखित संकेतकों** के आधार पर **चिन्हित (फोकस)** जिलों का चुनाव करेंगे:
  - कम सकल नामांकन अनुपात (GER);
  - **महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, SCs, STs और OBCs** का जनसंख्या अनुपात और नामांकन अनुपात;
  - आकांक्षी/ सीमावर्ती क्षेत्र/ वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलें
  - लैंगिक समता।
- **चयन की प्रक्रिया:** संस्थानों का चयन चैलेंज पद्धति के आधार पर किया जाएगा।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन प्रत्येक स्तर पर यानी **केंद्रीय, राज्य और क्षेत्रीय** स्तर पर किया जाएगा।
  - केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय स्तर पर **राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण (NMA)** योजना के पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है।
  - भारत सरकार के सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में **प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (PAB)** योजना के प्रस्तावों की मंजूरी के अलावा इसके प्रदर्शन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।
- वे गतिविधियां जो **PM USHA** के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं हैं-
  - वेतन, पेंशन और अन्य लाभों का भुगतान
  - किसी परियोजना की आवर्ती/गैर-आवर्ती (रेकरिंग/नॉन-रेकरिंग) लागत
  - छात्रों को छात्रवृत्ति, फेलोशिप, या मानदेय का भुगतान आदि।

14.3. अन्य योजनाएं/ पहलें(OTHER SCHEMES/ INITIATIVES)

पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA)	• **उद्देश्य: यह डिजिटल/ ऑनलाइन/ ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है।** इसके तहत बच्चों को उनकी शिक्षा में होने वाले नुकसान को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम बनाने हेतु किया जाता है। • **यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है।** • **भारत में स्कूली शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उपयोग के लिए पीएम ई-विद्या को यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है।** इसे ICT के उपयोग हेतु यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
पीएम श्री स्कूल(PM Shri Schools)	• ये **अत्याधुनिक स्कूल** होंगे और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रयोगशाला** के रूप में कार्य करेंगे। • **यह छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु** पूरी तरह से तैयार/प्रतिबद्ध है।
विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) {Vidya Sameeksha Kendra (VSK)}	• **गुजरात शिक्षा विभाग के VSK की तर्ज पर** राष्ट्रव्यापी रूप से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करना। • **यह शिक्षकों और छात्रों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रों के सीखने के परिणामों के आवधिक आकलनों** आदि को ट्रैक करने में मदद करता है। • **राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली को** NDEAR (नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर) VSK **के नाम से जाना जाएगा।**
भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) पहल {Indian Knowledge Systems (IKS) initiative}	• IKS अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) का एक **नवाचारी प्रकोष्ठ** है। • कला और साहित्य, कृषि, मूलभूत विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में **समृद्ध विरासत और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करना।** • IKS के सभी पहलुओं पर **अंतःविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IKS को आगे के** शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए **संरक्षित और प्रसारित करना।** • राजा मंत्री चोर सिपाही, पोशम पा, गिल्ली डंडा आदि उन **75 स्वदेशी खेलों में शामिल हैं जिन्हें IKS पहल के तहत स्कूलों में प्रारंभ किया जाएगा।**

'स्ट्रेंथनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स' (स्टार्स) प्रोजेक्ट	• **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
	• **उद्देश्य: भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी और मापन गतिविधियों में सुधार करना।**
	• **अवधि:** वित्त वर्ष 2024-25 तक।
	• **बाहरी सहायता: विश्व बैंक** द्वारा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की गई।
	• **कवरेज: 6 राज्य हैं -** हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, ओडिशा
	• **इसे समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है।** इसके तहत **योजना** के उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो स्कूली शिक्षा को बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करेंगे।
	• **इसके दो प्रमुख घटक हैं:**
	  ◦ **राष्ट्रीय स्तर पर: अधिगम (लर्निंग) मूल्यांकन प्रणालियों** को मजबूत करना तथा राष्ट्रीय आकलन केंद्र (परख/ PARAKH) की स्थापना करना।
	  ◦ **राज्य स्तर पर:** प्रारंभिक बाल शिक्षा एवं आधारभूत अधिगम (Foundational Learning) को सशक्त बनाना, कक्षा अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त करना तथा उन्नत सेवा आपूर्ति के लिए अभिशासन में सुधार एवं विकेंद्रित प्रबंधन करना।

	• **यह धन की प्राप्ति और संवितरण को परिणामों से जोड़ती** है (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

प्रधान मंत्री शोध अध्येतावृत्ति योजना (Prime Minister's Research Fellowship: PMRF)	• **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, ताकि **नवाचार के माध्यम** से विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके।
	• **कवरेज:**
	  • IITs, IISERs, भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु)
	  • कुछ शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय/NITs जो विज्ञान और/या प्रौद्योगिकी डिग्री प्रदान करते हैं।
	  • कोई भी **मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय**
	• विज्ञान या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **PhD कार्यक्रम के लिए** चयनित उम्मीदवारों को **आकर्षक छात्रवृत्ति।**
	• एक PMRF अध्येता से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वयं के PMRF अनुदान संस्थान के अलावा नजदीक के **ITI/पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज/स्कूल में सप्ताह में एक बार पढ़ाएगा।**

स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम	• यह भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक अवसरों को तलाशने हेतु प्रोत्साहित करना है। • **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।** • **उद्देश्य:** भारत को विदेशी छात्रों के लिए शिक्षा का एक पसंदीदा केंद्र बनाना। • **कार्यान्वयन एजेंसी: एडसिल (इंडिया) लिमिटेड,** जो श्रेणी I की एक मिनी रत्न कंपनी है।
राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (Rashtriya Avishkar Abhiyan: RAA)	• **उद्देश्य:** अवलोकन, प्रयोग कार्य, अनुमान ड्राइंग आदि के माध्यम से **विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रेरित और संलग्न करना।** • **यह SSA** और **RMSA दोनों का एक उप-घटक है।** • **इसके अंतर्गत नवोन्मेषी कार्यक्रमों, छात्रों के आदान-प्रदान आदि के माध्यम से IITs/ IIMs/ IISERs** और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रतिष्ठित संगठनों जैसे संस्थानों द्वारा परामर्श दिया जाता है।

उन्नत भारत अभियान (Unnat Bharat Abhiyan)	• **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। • **उद्देश्य:** समावेशी भारत के निर्माण के लिए **ज्ञान संस्थानों का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास** प्रक्रियाओं में रूपांतरकारी परिवर्तन करना। • **ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने** और **उनके लिए संधारणीय समाधान** खोजने में उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) के **संकाय और छात्रों** को सुविधा प्रदान करना। • **उन्नत भारत अभियान 2.0** को कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों तक बढ़ाया गया है। 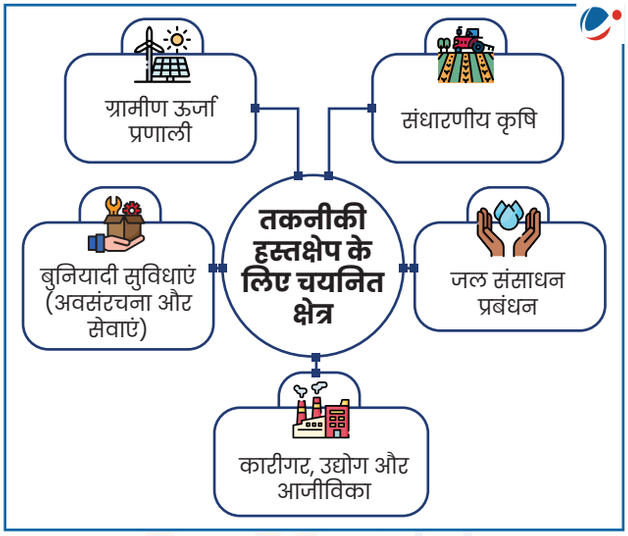
बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता के लिए कलाम कार्यक्रम (कपिला अभियान) {Kalam Program for IP Literacy and Awareness (KAPILA)}	• **उद्देश्य:** उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) में बौद्धिक संपदा, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानना, सहायता प्रदान करना और सम्मानित करना। • **इसे शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (MIC) द्वारा शुरू किया गया है।** • **यह पेटेंट दाखिल करने के लिए** उन **संस्थानों को वित्तीय सहायता** प्रदान करता है जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों का हिस्सा हैं। • यह भारत में और विश्व स्तर पर, विशेष रूप से छात्रों और संकाय के बीच **पेटेंट फाइलिंग, इसके लिए उपलब्ध तंत्र और इसकी प्रक्रिया संबंधी** आवश्यकताओं के बारे में उचित **जागरूकता** पैदा करता है।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्-स्पाइसेज़ (छात्रों के मध्य रुचि, रचनात्मकता एवं नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए योजना) {AICTE-SPICES (Scheme for Promoting Interests, Creativity and Ethics among Students)}	• **उद्देश्य: छात्रों के** हितों, रचनात्मकता और नैतिकता को बढ़ावा देकर उनके **सर्वांगीण विकास के लिए छात्रों के क्लब** का विकास करना। • **पात्रता:** AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थान जो न्यूनतम 5 वर्षों से अस्तित्व में हैं। • **वित्तीय सहायता:** छात्र क्लब को मॉडल क्लब के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत एक संस्थान को केवल एक बार अनुदान दिया जाएगा।
वित्तीय साक्षरता अभियान: विसाका {Vittiya Saksharata Abhiyan (VISAKA)}	• **उद्देश्य:** सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में **कैशलेस कैंपस** विकसित करना। • **राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)/राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवकों द्वारा** निकटतम बाजार में दुकानदारों, विक्रेताओं को लेन-देन के डिजिटल तरीकों के बारे में **जागरूक बनाना।**
अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना (Impacting Research Innovation and Technology: IMPRINT) 2.0	• **उद्देश्य: ज्ञान को व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में परिवर्तित** करके **हमारे देश द्वारा सामना की जाने वाली** सबसे **प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों** का समाधान करना। • **कवरेज:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त-पोषित HEIs/केंद्रीय वित्त-पोषित तकनीकी संस्थान (CFTI) जिनमें निजी संस्थान भी शामिल हैं। • इस पहल में पूर्ववर्ती **उच्चतर आविष्कार योजना** भी **शामिल** है। • **वित्तपोषण:** इस राष्ट्रीय पहल को शिक्षा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित किया जाएगा।

उत्कृष्ट संस्थान योजना {Institute of Eminence (IoE) scheme}	• **उद्देश्य: सार्वजनिक और निजी श्रेणी** के प्रत्येक 10 संस्थानों को **विश्व स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं** के लिए सक्षम बनाना और उन्हें IoE का दर्जा देना। • **IoEs के लाभ:** • सरकार सार्वजनिक संस्थानों को 1,000 करोड़ रुपये तक का वित्त-पोषण उपलब्ध कराएगी, निजी संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। • विनियामकीय फ्रेमवर्क के तहत इन संस्थानों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। ◇ विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् IoEs विदेशों में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। ◇ विदेशों में परिसर के लिए **मानदंड और मानक मुख्य परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के समान** होंगे। ◇ IoE को नए **ऑफ कैंपस सेंटर्स** प्रारंभ करने की भी अनुमति है। इनकी अधिकतम संख्या **पांच वर्ष में तीन और किसी शैक्षणिक वर्ष में एक से अधिक नहीं होगी।**
विद्वान पोर्टल (Vidwan portal)	• **'विद्वान'** भारत में शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित प्रमुख/ शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठनों में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं एवं अन्य संकाय सदस्यों के प्रोफाइल से संबंधित एक प्रमुख डेटाबेस है।
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या NILP) {Nav Bharat Saaksharta Karyakram (New India Literacy Programme or NILP)}	• **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • **यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** के अनुरूप है। • **लक्षित लाभार्थी: 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षर व्यक्ति।** • इसके अंतर्गत महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। • इसका कार्यान्वयन स्कूलों एवं उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा शिक्षक शिक्षण संस्थानों के **स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से** किया जाता है। • **लक्ष्य:** वित्त वर्ष 2022-27 तक 5 करोड़ शिक्षार्थी (1 करोड़ प्रति वर्ष) को लाभान्वित करना। • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, NCERT और NIOS के सहयोग से **"ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)"** का उपयोग करना।

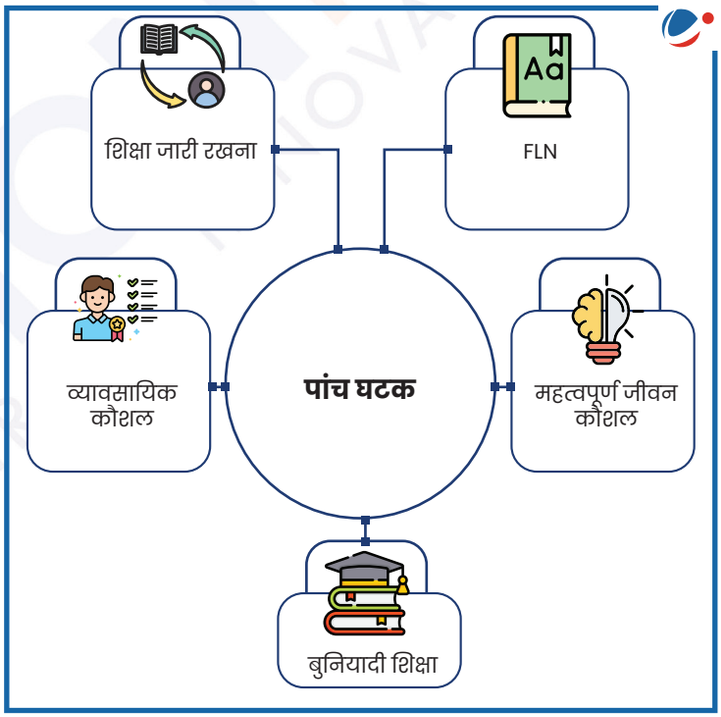

स्वयं या 'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' {SWAYAM (Study Webs of Active– Learning for Young Aspiring Minds)}	• **उद्देश्य:** सबसे वंचित लोगों पर अधिक ध्यान देते हुए सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन को स्वीकार करना। • **300 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC)** का भंडार है। इन्हें शीर्ष रैंक वाले संस्थानों के शिक्षाविदों द्वारा विकसित किया गया है और ये **निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।** 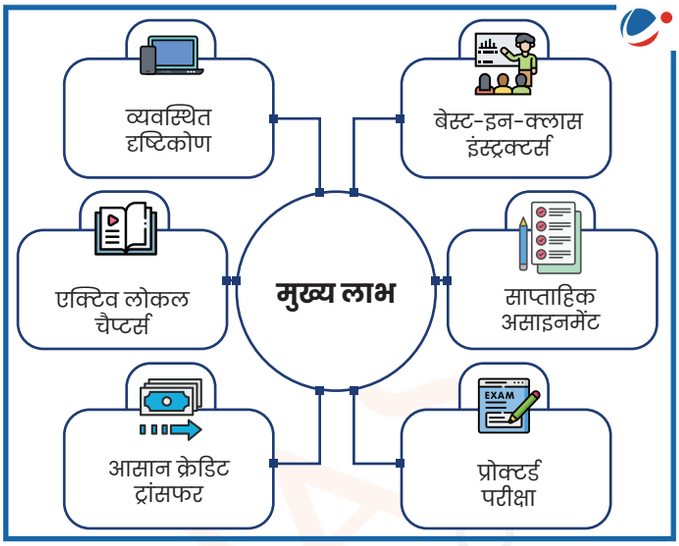

शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान) {Global Initiative of Academic Networks (GIAN)}	• **उद्देश्य: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों और उद्यमियों** के प्रतिभा पूल का उपयोग करना ताकि **भारत में उच्चतर शिक्षण संस्थानों** के साथ उनके जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जा सके।
	• **विदेश के उच्च श्रेणी के संस्थानों के शिक्षक-**
	  • भारत आएंगे,
	  • अपने समकक्षों और छात्रों के साथ बातचीत और भागीदारी करेंगे और
	  • **विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।**
	• SWAYAM, MOOCs प्लेटफॉर्म और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से **देश भर के छात्रों के लिए व्याख्यान उपलब्ध कराए जाएंगे।**

राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (National Academic Depository: NAD)	• **उद्देश्य: सभी शैक्षणिक पुरस्कारों** जैसे- प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट इत्यादि का **24x7 ऑनलाइन भंडार गृह।** • **इसे अकादमिक संस्थानों/ बोर्डों/ पात्रता मूल्यांकन निकायों** द्वारा विधिवत डिजिटाइज़ किया जाएगा और **सुरक्षित रखा गया है।**
नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क {National Institution Ranking Framework (NIRF)}	• **देश भर में संस्थानों को रैंक प्रदान** करने हेतु एक कार्य पद्धति की रूपरेखा प्रदान करता है। • **पैरामीटर**

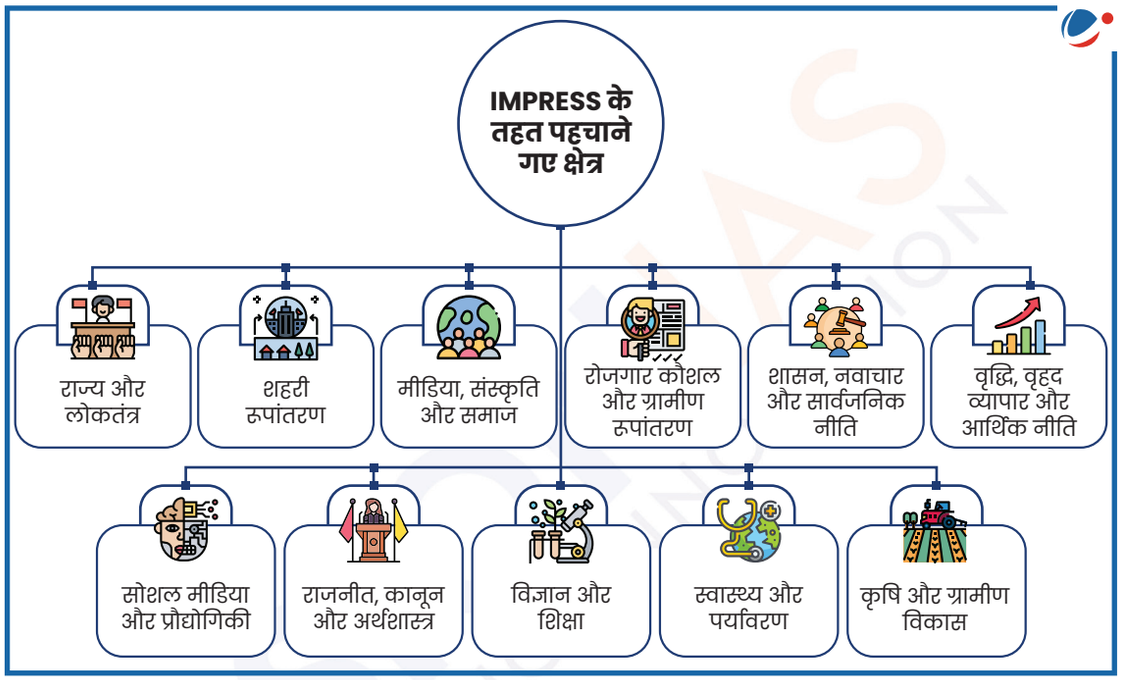

सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान {Impactful Policy Research in Social Sciences (IMPRESS)}	• **उद्देश्य: नीतिगत प्रासंगिक क्षेत्रों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहित** करना ताकि नीति-निर्माण, कार्यान्वियन और मूल्यांकन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जा सके। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद (ICSSR) • **पात्रता:** सभी **सरकारी वित्त-पोषित संस्थान,** UGC 12(b) दर्जे वाले **निजी संस्थान** और **ICSSR अनुसंधान संस्थान।** • यह शासन और समाज पर अधिकतम प्रभाव के साथ **सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान प्रस्तावों को वित्त-पोषित** करता है।

स्पार्क- अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC - Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration)	• **उद्देश्य:** भारत के HEIs के अनुसंधान परिवेश में सुधार करना।
	• भारतीय संस्थानों और 28 चयनित देशों के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच **शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग** को सुगम बनाना।
	  ◦ **राष्ट्रीय और/ या अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करना।**
	• **पात्रता: निम्नलिखित** सभी भारतीय संस्थानों को इसमें स्थान दिया गया है-
	  ◦ ओवरऑल टॉप-100 में शामिल संस्थान या
	  ◦ भारत रैंकिंग (NIRF-2019) की श्रेणी-वार शीर्ष -100 में शामिल संस्थानों को

एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि (Integrated National School Education Treasury: INSET)	• **देश में स्कूलों से संबंधित सभी मापदंडों के लिए पूर्ण रूप से एकीकृत, त्वरित रूप से सुलभ और निर्बाध सूचना नेटवर्क का निर्माण करना।** • इसका उद्देश्य विद्यालयों, प्रखंडों, जिलों, निर्वाचन क्षेत्रो, राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लिए सरलता से सुलभ सूचनाओं के बहु-स्तरीय परिवेश का निर्माण करना है।

माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष (Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)	• **इस कोष का निर्माण वर्ष 2017 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर से आय प्राप्त करने हेतु किया गया था।**
	• वर्ष 2023-24 के लिए इस कोष से निम्नलिखित के लिए धन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है
	  • सर्व शिक्षा अभियान
	  • राष्ट्रीय साधन सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना
	  • केन्द्रीय विद्यालय संगठन
	  • नवोदय विद्यालय समिति
	  • **पी.एम. उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (PM-USP) योजना।** यह योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए वर्तमान ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड अंशदान योजनाओं और छात्रवृत्ति को एकीकृत करती है।

प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (National Educational Alliance for Technology: NEAT)	• **उद्देश्य:** शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए **शिक्षा अध्यापन-विषयक में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच** पर लाना। • यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल है।** • इसके अंतर्गत एक खुले निमंत्रण और स्क्रीनिंग के माध्यम से, कंपनियों को अपने उत्पादों को शिक्षार्थियों के लिए **विकसित राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रदर्शित करने** हेतु आमंत्रित किया जाता है। वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उन्हें खरीद सकते हैं।

प्रधान मंत्री युवा (YUVA- युवा, आगामी और बहुमुखी लेखक) योजना 2.0 {Pradhan Mantri YUVA (Young, Upcoming and Versatile Authors) Scheme 2.0}	• **यह एक ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है।**
	• **उद्देश्य: 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित** करना ताकि
	  • देश में **पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति** को बढ़ावा दिया जा सके, और
	  • विश्व स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके।

पढ़े भारत बढ़े भारत (Padhe Bharat Badhe Bharat)	• यह **SSA का** एक राष्ट्रव्यापी **उप कार्यक्रम** है।
	• **उद्देश्य: भाषा के विकास में सुधार** करना और **गणित में** स्वाभाविक और **सकारात्मक रुचि** पैदा करना।
	• **टू ट्रैक**
	  • प्राथमिक कक्षाओं में समझ के साथ **प्रारंभिक रूप से पढ़ना और लिखना**
	  • **प्रारंभिक गणितीय ज्ञान**
	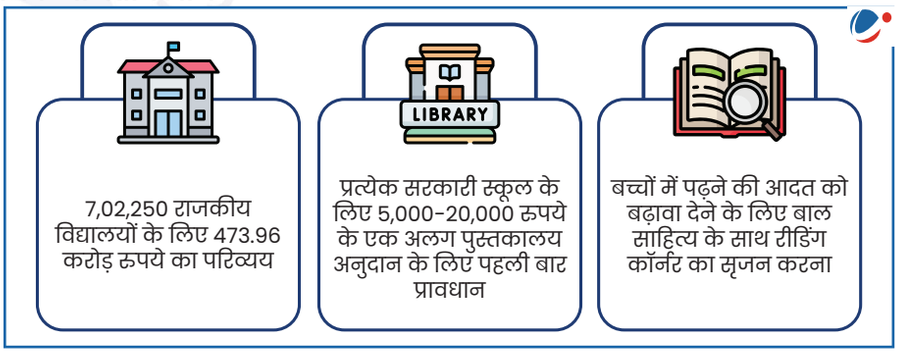

प्रधान मंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम - ध्रुव (Pradhan Mantri Innovative Learning Programme: DHRUV)	• **उद्देश्य:** प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए उनकी पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। • देश भर के **उत्कृष्टता केंद्रों** में, **प्रतिभाशाली बच्चों** को विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और पोषण दिया जाएगा ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। • इस कार्यक्रम का पहला बैच अक्टूबर 2019 के दौरान लागू किया गया था। • प्रारंभ में, दो क्षेत्रों अर्थात् विज्ञान और प्रदर्शन कलाओं को शामिल किया गया था।

भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए परा-विद्या संबंधी अनुसंधान योजना (स्ट्राइड) (Scheme for Trans-disciplinary Research for India's Developing Economy: STRIDE)	• **उद्देश्य: युवा प्रतिभाओं की पहचान करना, अनुसंधान संस्कृति को मजबूत** करना, क्षमता निर्माण करना तथा मानविकी और मानव विज्ञान के क्षेत्र में **बहु-संस्थागत नेटवर्क की उच्च प्रभाव वाली अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना।** • कला, भारतीय भाषाओं, संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों सहित **मानविकी और मानव विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान** पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। 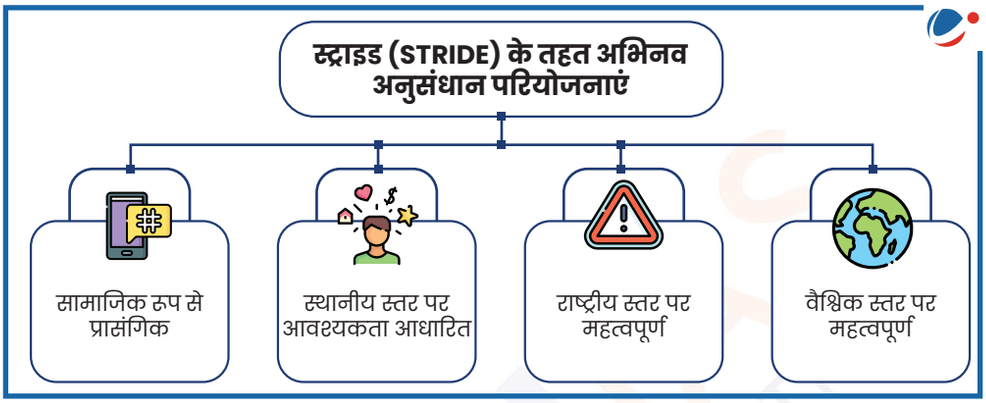
तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (Technical Education Quality Improvement Programme : TEQUIP)	• **उद्देश्य:** निम्न आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) के लिए विशेष विचार के साथ देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना। • **बाह्य सहायता: यह विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना है।** • इसके अंतर्गत IIT, NITS आदि से स्नातक **ग्रामीण क्षेत्रों के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने** के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन तथा समावेशन कार्यक्रम (EDUCATION QUALITY UPGRADATION AND INCLUSION PROGRAMME: EQUIP)	• **उद्देश्य: पांच वर्षों (2019-2024)** में इस क्षेत्रक में रणनीतिक हस्तक्षेपों को लागू करके **भारत की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में रूपांतरण की शुरुआत करना। **पहुंच के विस्तार के लिए रणनीतियां** • **सुभेद्य समुदायों (SC/ST) तक पहुंच बढ़ाना:** वंचित क्षेत्रों में समरस छात्रावासों की स्थापना; अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति; रोजगारपरक कौशल प्रदान करने के लिए फिनिशिंग स्कूल/ब्रिज कोर्स। • **भौगोलिक रूप से अल्पसेवित क्षेत्रों तक पहुंच का विस्तार करना:** व्यवसायीकरण के माध्यम से सीखने की क्षमता और रोजगार क्षमता में वृद्धि; MOOCs के माध्यम से उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसरों का विस्तार करना। • **मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना:** शिक्षार्थी सहायता केंद्रों की संख्या दोगुनी करना; इग्नू के ICT बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना; कई भाषाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करना। • **उच्चतर शिक्षा तक समग्र पहुंच को बढ़ाना:** उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना; विश्वविद्यालयों में दोहरे प्रकार (दूरस्थ और नियमित) में पाठ्यक्रम प्रदान करना।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (Ek Bharat Shreshtha Bharat programme)	• **उद्देश्य:** विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को सुदृढ़ करना। • **लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क के लिए भारत में एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के साथ युग्मित किया जाता है।** • युग्मित किए गए राज्य/**संघ राज्य क्षेत्र साझी गतिविधियों को संचालित करने** के लिए एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। • **केन्द्रीय विद्यालय संगठन** द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत **राष्ट्रीय एकता शिविरों** का आयोजन किया जाता है।

उड़ान- छात्राओं को पंख देने हेतु कार्यक्रम (UDAAN-Giving Wings To Girls)	• **उद्देश्य:** तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना तथा विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के मध्य व्याप्त अंतराल को न्यूनतम करना। • इसके तहत ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए **प्री-लोडेड टैबलेट पर** अध्ययन सामग्री के माध्यम से **निःशुल्क ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।** • ये संसाधन मुख्यतः देश के **विभिन्न प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा की तैयारी** के लिए उपलब्ध **कराए जाएंगे।**

भारत में बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस (Digital Gender Atlas for Advancing Girl's Education in India)	• **उद्देश्य:** इसके माध्यम से विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में, **निम्नस्तरीय निष्पादन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान** की जाएगी। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जानी है।
	• यह राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर लिंग संबंधी संकेतकों की चतुर्थक रैंकिंग के आधार पर एक तुलनात्मक समग्र सूचकांक प्रदान करता है।
	• **यह समय-समय पर अलग-अलग लिंग संबंधी मापदंडों के प्रदर्शन के रुझान विश्लेषण और ट्रैकिंग को** सक्षम बनाता है।
	• **डेटा स्रोत**
	  • शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (U-DISE)
	  • राष्ट्रीय शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली (EMIS)
	  • भारत की जनगणना 2011
	  • शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (DISE)

शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल {Shala Gunvatta (Shagun) Portal}	• **उद्देश्य: केंद्र सरकार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा स्वायत्त निकायों के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं,** तस्वीरों, वीडियो, अध्ययन, समाचार पत्रों के लेखों आदि **का भंडार करना।** • **ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल** उपाय, राज्य-स्तरीय प्रदर्शन और प्रमुख शैक्षिक संकेतकों के विरुद्ध प्रगति।
शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कोष योजना {Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFSEL)}	• लगभग **30 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) द्वारा दिए जाने वाले शिक्षा ऋणों को अब CGFSEL से ऋण सुरक्षा** प्राप्त होगी। • इससे **RRBs, वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो जाएंगे और उन्हें ऐसे ऋणों पर ब्याज दर कम करने में मदद** मिलेगी। • शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में CGFSEL की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य **शिक्षा ऋणों को प्राप्त करना आसान बनाने और सार्वजनिक, निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा स्वीकृत शिक्षा ऋणों में चूक की स्थिति में गारंटी कवरेज** बढ़ाना है। • वर्तमान में, यह योजना **बिना कुछ गिरवी रखे या तीसरे पक्ष की गारंटी के 7.5 लाख रुपये की ऋण सीमा वाले शिक्षा ऋण पर चूक को कवर करती है।**

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY: MeitY)

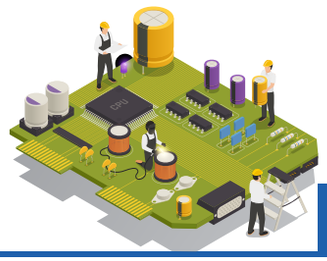

15.1. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (DIGITAL INDIA PROGRAMME)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।
- **प्रकृति:** यह एक **छत्रक कार्यक्रम** है जो **मंत्रालयों और विभागों की विभिन्न ई-गवर्नेंस संबंधी पहलों** को एक साथ जोड़ता है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP):** ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जहां भी संभव हो, PPP को प्राथमिकता दी जाती है।
- **कार्यान्वयन:** इसे MeiTY के समग्र **समन्वय** के साथ सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

अन्य उद्देश्य

- **भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना।**
- **डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित करना** और डिजिटल विभाजन को समाप्त करना।
- यह सुनिश्चित करना कि **नागरिकों को सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध हों।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि : इसे नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप में उपलब्ध करवाने के लिए 2015 में आरंभ किया गया था।**

डिजिटल इंडिया : डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ

1. ब्रॉडबैंड हाईवे
2. मोबाइल फोन तक सार्वभौमिक पहुंच
3. पब्लिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम
4. प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रशासन में सुधार और ई-गवर्नेंस
5. ई-क्रांति - सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी
6. सभी के लिए सूचना
7. नेट जीरो आयात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण
8. आई.टी. में रोजगार के लिए युवाओं का कौशल प्रशिक्षण
9. अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

- यह एक **अम्ब्रेला कार्यक्रम** है जिसके अंतर्गत **अलग-अलग केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की कई परियोजनाएं सम्मिलित** हैं।
  - डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मिशन मोड एवं अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी समग्र रूप से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों एवं राज्य सरकारों की है।
- **यह विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:**
  - **प्रत्येक नागरिक के लिए मुख्य उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना**
    - एक कोर उपयोगिता के रूप में **हाई-स्पीड इंटरनेट** उपलब्ध कराना,
    - **जीवन से मृत्यु तक डिजिटल पहचान** - विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन, प्रामाणिक
    - डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रक में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **मोबाइल फोन और बैंक खाता,**
    - कॉमन सर्विस सेंटर तक **आसान पहुंच,**
    - पब्लिक क्लाउड पर **साझा करने योग्य निजी जगह,**
    - देश में **सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर-स्पेस**
  - **मांग पर शासन और सेवाएं**
    - विभागों या अधिकार क्षेत्रों में **निर्बाध रूप से एकीकृत सेवाएं**
    - ऑनलाइन एवं मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए **रियल-टाइम में सेवाएं उपलब्ध कराना**
    - सभी नागरिक अधिकार **क्लाउड पर उपलब्ध होंगे**
    - ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए **सेवाओं को डिजिटल रूप से रूपांतरित** करना
    - वित्तीय लेन-देन को **डिजिटल एवं कैशलेस बनाना**
    - निर्णय समर्थन प्रणाली और विकास के लिए **भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS) का लाभ उठाना**
  - **नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण**
    - **सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता**
    - **सार्वभौमिक रूप से सुलभ डिजिटल संसाधन**
    - सभी दस्तावेज/ प्रमाण-पत्र क्लाउड पर उपलब्ध होंगे
    - **भारतीय भाषाओं में सभी डिजिटल संसाधनों/ सेवाओं की उपलब्धता**
    - सहभागी शासन के लिए **सहयोगात्मक डिजिटल प्लेटफॉर्म**
    - क्लाउड के माध्यम से **सभी पात्रताओं की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी)**

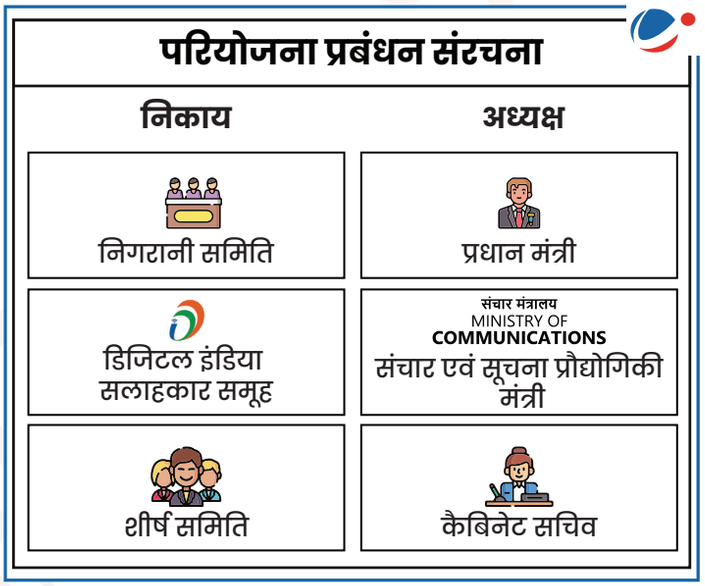

- **डिजिटल इंडिया (DI) पहलों को सक्षम करने वाली प्रमुख एजेंसियां: इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**
  - प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (CCA)
  - प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक/C-DAC)
  - रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)
  - सामान्य सेवा केंद्र (CSC)
  - लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ (SFAC)
- **कुछ प्रमुख पहलें:** आधार, कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs), डिजी लॉकर, डिजी सेवक, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, CERT-In, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए उत्कृष्टता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

15.2. उत्पाद नवाचार, विकास और संवृद्धि के लिए MeitY का स्टार्ट-अप एक्सलरेटर (समृद्ध) कार्यक्रम {Samridh (Start-up Accelerators of MeitY for Product Innovation, Development and Growth) Programme}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप्स के लिए **अपने उत्पादों को उन्नत करने तथा अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु निवेश प्राप्त करने के लिए** एक अनुकूल मंच तैयार करना।
- **फोकस:** यह आगामी तीन वर्षों में (वर्ष 2021 से) ग्राहक तथा निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच प्रदान करके **300 स्टार्ट-अप्स को एक्सलरेट (समृद्ध) करने** पर केंद्रित है।
- **वित्तीय सहायता:** स्टार्ट-अप के मौजूदा मूल्यांकन व विकास के चरण के आधार पर **स्टार्ट-अप में 40 लाख रुपये तक का** निवेश चयनित एक्सीलेरेटरों के माध्यम से किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्ट-अप हब (MSH)**

अन्य उद्देश्य

सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा कर भारत की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित संभावित स्टार्ट-अप्स को गति देने हेतु चयन करने और एक्सलरेट करने के लिए **मौजूदा और आगामी स्टार्टअप्स एक्सलरेटरों का समर्थन** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** भारत सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए **ऊष्मायन (Incubation) सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्यक्रम** शुरू किए हैं।
  - हालांकि सामाजिक प्रभाव वाले इन स्टार्ट-अप्स की मदद करने और भारत की समस्याओं का बड़े पैमाने पर समाधान करने के लिए एक एक्सलरेटर कार्यक्रम की संकल्पना करने तथा उसे आरंभ किए जाने की तत्काल आवश्यकता महसूस की गई।
  - उपर्युक्त कार्यक्रमों से जुड़े स्टार्टअप **समृद्ध कार्यक्रम** के लिए फीडर के रूप में कार्य करेंगे।
- **मौजूदा और आगामी एक्सलरेटरों के लिए समर्थन (Support to existing and upcoming accelerators):** सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा कर भारत की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित संभावित स्टार्ट-अप्स को गति देने हेतु चयन करना और एक्सलरेट करना।
  - स्टार्टअप एक्सलेटर्स शिक्षा, मार्गदर्शन और वित्त-पोषण के माध्यम से अर्ली स्टेज, ग्रोथ-ड्रिवेन कंपनियों को सहायता प्रदान करते हैं।
- **एक्सलरेटरों की पात्रता:**
  - **इन्क्यूबेशन व्यवसाय में 3 वर्षों से अधिक का अनुभव** और उन्होंने **50 से अधिक स्टार्ट-अप्स का समर्थन** किया हो (कम-से-कम 10 को गैर-सरकारी निवेश प्राप्त हुआ हो) अथवा
    - ऐसे लक्षित त्वरक कार्यक्रम जिन्हें समृद्ध (SAMRIDH) के तहत वांछनीय गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध कम-से-कम 3 समूहों के परिचालन का अनुभव हो।
  - भारत में कार्यरत।
  - स्टार्ट-अप गतिविधियों के परिचालन हेतु **आवश्यक जगह और बुनियादी ढांचा।**
  - क्षमताओं के प्रदर्शन के संबंध में :
    - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के लिए स्टार्ट-अप्स का समर्थन करना।
    - वेंचर कैपिटलिस्ट/ एंजेल निवेशकों के साथ नेटवर्क/संबंध होना।
    - प्रमुख बिजनेस मेंटर्स से जुड़ा होना।

- गहन प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उत्पाद निर्माण करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्रेरित करने हेतु **संरचित समूह।**

- **समर्थन तंत्र**
  - MSH प्रॉमिसरी/SAFE नोट के माध्यम से **सरकार के योगदान के बदले स्टार्ट-अप्स में इक्विटी** धारण करेगा, जैसा कोई एक्सलरेटर करता है, जिसका उपयोग कार्यक्रम की स्व-स्थिरता के लिए किया जाएगा।
  - कार्यक्रम के समग्र कार्यान्वयन के लिए एक **परियोजना प्रबंधन इकाई** का गठन किया जाएगा।
  - यह प्रौद्योगिकी नवाचार, स्टार्ट-अप्स और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ावा देने वाले **MeitY के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने** के लिए MeitY के तहत एक स्थापित एक **नोडल इकाई है।**
  - यह MeitY के सभी ऊष्मायन केंद्रों (incubation centres), स्टार्ट-अप्स और नवाचार संबंधी गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक **राष्ट्रीय समन्वय तथा सुविधा और निगरानी केंद्र** के रूप में कार्य करता है।

15.3. राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission: NSM)

स्मरणीय तथ्य

उद्देश्य: राष्ट्र के स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
अंतर-मंत्रालयी पहल: MeiTY और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)
अपेक्षित लाभ: विज्ञान और इंजीनियरिंग के बहु-विषयक डोमेन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तेजी आएगी।
कार्यान्वयन: प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC) और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC)

अन्य उद्देश्य

64 पेटाफ्लॉप्स से अधिक संचयी संगणन शक्ति वाले 24 सुपरकंप्यूटरों का निर्माण करना एवं तैनात करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि**
  - इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत **70 से अधिक उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC) सुविधाओं** से युक्त एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना **हमारे राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों (R & Ds) को सशक्त बनाने की परिकल्पना** के साथ की गई है।
  - सुपरकंप्यूटरों को **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN)** पर राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड में जोड़ा जाएगा।
    - NKN **उच्च गति नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास वेधशालाओं को जोड़ता है।**
- **प्रमुख स्तंभ**
- **विकसित किए गए सर्वर:** सी-डैक ने एक **कंप्यूटर सर्वर "रुद्र"** और **हाई-स्पीड इंटरकनेक्ट "त्रिनेत्र"** को डिजाइन और विकसित किया है जो **सुपरकंप्यूटरों के लिए जरूरी प्रमुख उप- घटक हैं।**
- **NSM के तहत बड़े पैमाने पर एप्लिकेशन विकसित किए जा रहे हैं**

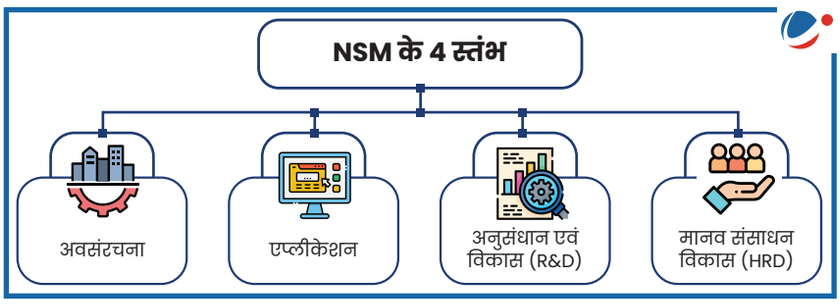

- **जीनोमिक्स और औषधीय खोज** के लिए NSM प्लेटफॉर्म।
- **शहरी मॉडलिंग:** शहरी पर्यावरण की समस्याओं (मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, वायु गुणवत्ता) के समाधान हेतु।
- भारत की नदी द्रोणियों के लिए **बाढ़ पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान प्रणाली।**
- तेल और गैस के अन्वेषण में सहायता हेतु **भूकंपीय इमेजिंग के लिए HPC सॉफ्टवेयर सेट।**
- **MPPLAB:** दूरसंचार नेटवर्क अनुकूलन।

- **फ्लॉप्स (फ़्लोटिंग-पॉइंट ऑपरेशन्स प्रति सेकंड: FLOPS):** यह माइक्रोप्रोसेसरों की गति की रेटिंग हेतु प्रयोग की जाने वाली एक सामान्य बेंचमार्क माप है।
  - 1 मेगाफ्लॉप = 1 मिलियन फ्लॉप्स
  - 1 गीगाफ्लॉप = 1 बिलियन फ्लॉप्स
  - 1 टेराफ्लॉप = 1 ट्रिलियन फ्लॉप्स
  - 1 पेटाफ्लॉप्स = 1 हजार टेराफ्लॉप्स
- **परम (PARAM) 8000** भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था।

15.4. आई.टी. हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना {Production Linked Incentive (PLI) 2.0 for IT Hardware}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **प्रोत्साहन की अवधि:** योजना अवधि के दौरान **6 वर्ष** तक।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)

अन्य उद्देश्य

इसका उद्देश्य **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करना है।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 2.0 योजना ने PLI - 1.0 की तुलना में प्रोत्साहन राशि और कार्यकाल में वृद्धि करते हुए **परिव्यय को दोगुना** कर दिया। उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) 1.0 की शुरुआत 2021 में की गई थी।
  - इसे **आवेदकों को अधिक अनुकूलता** प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह देश में आपूर्ति श्रृंखला को विकसित करने के लिए **दीर्घविधि की अनुमति** देता है।
- **आवेदकों की 3 श्रेणियां:**
  - **वैश्विक** कंपनियां,
  - **हाइब्रिड** (वैश्विक/ घरेलू) कंपनियां,
  - **घरेलू** कंपनियां।
- **पात्र उत्पाद:** भारत में विनिर्मित वस्तुएं और टारगेट सेगमेंट के अंतर्गत शामिल किए गए उत्पाद। टारगेट सेगमेंट उत्पादों की बिक्री पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- **आर्थिक प्रोत्साहन:** आधार वर्ष पर निवल वृद्धिशील बिक्री पर लगभग **5% प्रोत्साहन** दिया जाएगा।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी कैबिनेट **सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** द्वारा की जाती है।

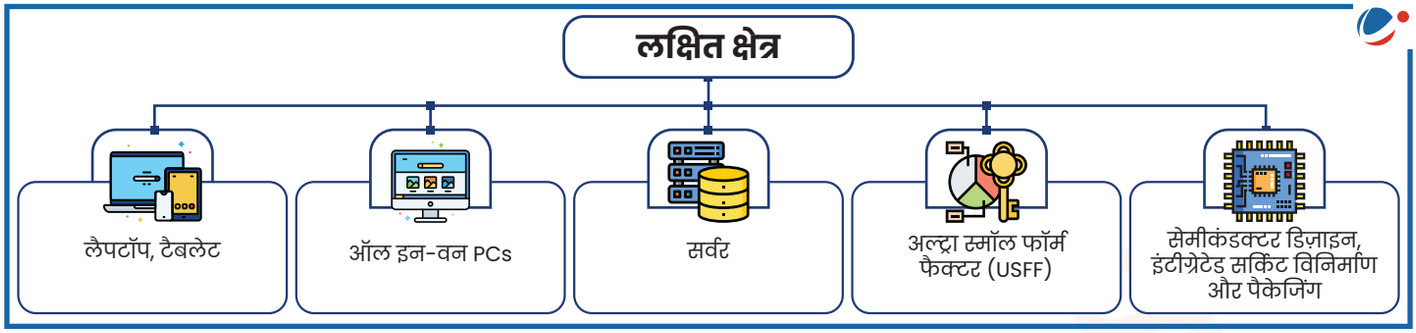

15.5. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 'उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन' योजना {PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR LARGE SCALE ELECTRONICS MANUFACTURING}

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनना।
- **परियोजना प्रबंधन एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)
- **अवधि:** दूसरे दौर के लिए, इसका कार्यकाल 01.04.2021 से 4 वर्ष के लिए लागू होगा।

अन्य उद्देश्य

मोबाइल फोन के विनिर्माण, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तथा **असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (ATMP) इकाइयों** सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से संबंधित **इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के क्षेत्र में व्यापक निवेश को आकर्षित** करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **अर्हता: भारत में केवल लक्षित खंडों के विनिर्माण में संलिप्त कंपनियों को ही** सहायता प्रदान की जाती है।
- **प्रोत्साहन: वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष) पर 4% से 6% का** प्रोत्साहन
  - आधार वर्ष के बाद 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्हता प्राप्त कंपनियों को भारत में विनिर्मित वस्तुओं और लक्षित खंडों के तहत कवर की गई वस्तुओं के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- **लक्षित खंड: मोबाइल फोन और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक।**
- **आधार वर्ष:** वित्तीय वर्ष **2019-20** को वृद्धिशील निवेश और विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री की संगणना हेतु आधार वर्ष माना जाएगा।

15.6. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

जीवन प्रमाण (JEEVAN PRAMAAN)

- **उद्देश्य:** पेंशनभोगियों को **जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत/दाखिल करने की ऑनलाइन** सुविधा उपलब्ध कराना तथा **जीवन प्रमाण-पत्र** प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और बाधारहित बनाना।
- **अपेक्षित लाभार्थी:** केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशनभोगी।

जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें?

- पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर जा कर या डाकिए के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जारी करवा सकते हैं।
- इसके लिए उन्हें अपने पेंशन खाते से संबंधित मूल विवरण प्रदान करना होगा:
  - पेंशन ID
  - पेंशन संवितरण विभाग
  - मोबाइल नंबर
  - पेंशन भुगतान आदेश
  - बैंक खाते का विवरण
  - आधार संख्या
- बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन के माध्यम से अपने अनुरोध को प्रमाणित करें।
- डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) शीघ्र ही आपके मोबाइल पर आपको भेजे गए प्रमाण ID के साथ जनरेट हो जाएगा। आपके प्रमाणपत्र का विवरण स्वचालित रूप से पेंशन विभाग में अद्यतित (Updated) हो जाएगा।

- **अन्य विशेषताएं:**
  - यह पेंशनभोगियों के लिए **आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित DLCs है।**
  - इसका उद्देश्य पेंशन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **पेंशन भोगियों को प्रत्येक वर्ष नवंबर में एक कागजी जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने** की आवश्यकता को **समाप्त करना** है।
  - DLC को सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs), बैंकों और सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित अलग-अलग **जीवन प्रमाण केंद्रों** के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, इसे कंप्यूटर/ मोबाइल/ टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है।

भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (Software Technology Parks of India: STPI)

- **पृष्ठभूमि: 1991 में** STPI को MeitY के अधीन एक **स्वायत्त सोसाइटी** के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** देश से **सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना।**
- **प्रमुख विशेषताएं**
  - STPI **सॉफ्टवेयर निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के दौरान 'एकल खिड़की (Singal window)'** के रूप में कार्य करता है।
  - STPI सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (IT/ITES) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए **सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STP)** योजना और **इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (EHTP)** योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।

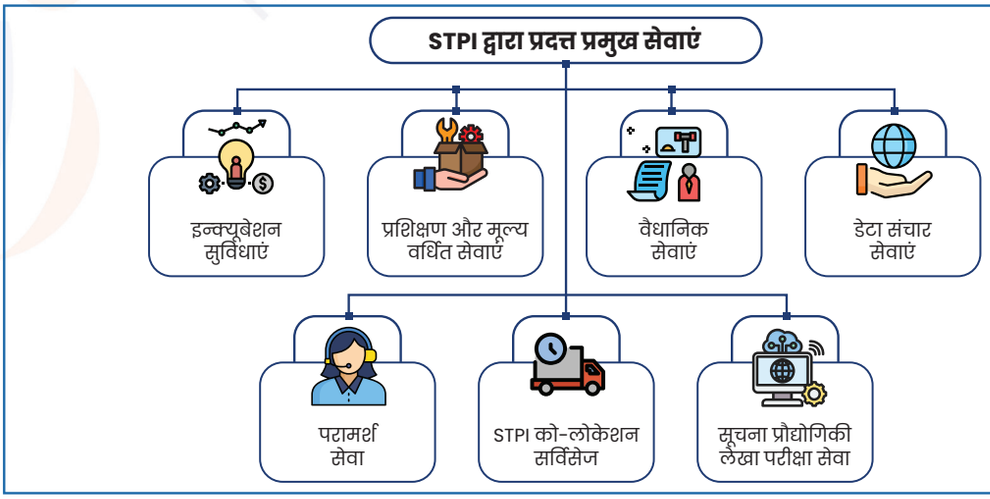

इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS)	• **उद्देश्य: देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारितंत्र को मजबूत करने** के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के घरेलू विनिर्माण के समक्ष आने वाली अक्षमता को दूर करना। • **अर्हता:** भारत में पंजीकृत संस्था तथा नई इकाइयों में निवेश और/ या मौजूदा इकाइयों की क्षमता के विस्तार हेतु। • **प्रोत्साहन:** इसके तहत **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं** की **चिह्नित** सूची के लिए **पूंजीगत परिव्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन** दिया जाता है। इन वस्तुओं में **इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की अनुप्रवाह मूल्य श्रृंखला** अर्थात इलेक्ट्रॉनिक घटक, अर्धचालक/डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, ATMP यूनिट्स आदि शामिल हैं।
प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan: PMGDISHA)	• **उद्देश्य:** प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। • **अर्हता मानदंड:** अर्हता प्राप्त परिवार अपने परिवार से एक व्यक्ति को नामनिर्देशित कर सकते हैं। • **आयु: 14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक। • **कोर्स की अवधि:** 20 घंटे (न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन) • **शिक्षा का माध्यम:** भारत की राजभाषाएं। • **शिक्षण स्थल:** निकटतम प्रशिक्षण केंद्र/ सामान्य सेवा केंद्र (CSC)। • **मूल्यांकन:** राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणन एजेंसी जैसे NIELIT, NIOS, IGNOU आदि द्वारा इसका स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकन किया जाता है।
स्त्री स्वाभिमान (Stree Swabhiman)	• **उद्देश्य:** ग्रामीण इलाकों में किशोरियों एवं महिलाओं के घरों के पास **किफायती और सुलभ सैनिटरी उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए एक टिकाऊ मॉडल** का निर्माण करना है।
इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष (Electronics Development Fund: EDF) नीति	• **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना • **उद्देश्य:** सक्रिय उद्योग की भागीदारी के साथ **नवाचार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) के एक जीवंत पारितंत्र** को समर्थन प्रदान कर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पारितंत्र का निर्माण करना। • इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित **"डॉटर फ़ंड्स"** का समर्थन करने हेतु **"फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स"** के रूप में स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी। • यह कोष इन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में **अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा** दे रहा है।
संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना {Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC 2.0) Scheme}	• **उद्देश्य: प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं** के साथ-साथ उनकी आपूर्ति श्रृंखला को **आकर्षित करने हेतु विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं के निर्माण** के लिए सहायता प्रदान करना। इससे भारत में इनकी इकाइयों को स्थापित करना आसान हो जाएगा। • यह योजना आपूर्ति श्रृंखला प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करके, आपूर्तिकर्ताओं के समेकन, बाजार में उत्पाद को खरीदने के लिए उपलब्ध कराने में लगने वाले समय में कमी करके तथा निम्न लॉजिस्टिक्स लागत आदि द्वारा **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मध्य संबंध** को सुदृढ़ करेगी। • **वित्तीय सहायता:** देश भर में **EMC परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs),** दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। EMC 2.0 योजना **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स (EMCs) और सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs), दोनों की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान** करेगी।
ज्ञान सर्कल वेंचर्स (Gyan Circle Ventures)	• ज्ञान सर्कल वेंचर्स भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) श्री सिटी का **प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर** है। IIITS का सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (CIEDI) एक सेक्शन 8 कंपनी है। • ज्ञान सर्कल वेंचर्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए **'प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास-टाइड 2.0' (TIDE 2.0)** इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। • **उद्देश्य:** यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले **इनक्यूबेटरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करके गहन तकनीकी उद्यमिता** को भी बढ़ावा देगा।

डिजिलॉकर (DigiLocker)

- **उद्देश्य:** डिजीलॉकर का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट को प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का 'डिजिटल सशक्तिकरण' करना है।
- **डिजिलॉकर, दस्तावेज़ों और प्रमाण-पत्रों के संग्रहण, साझाकरण एवं सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है।**

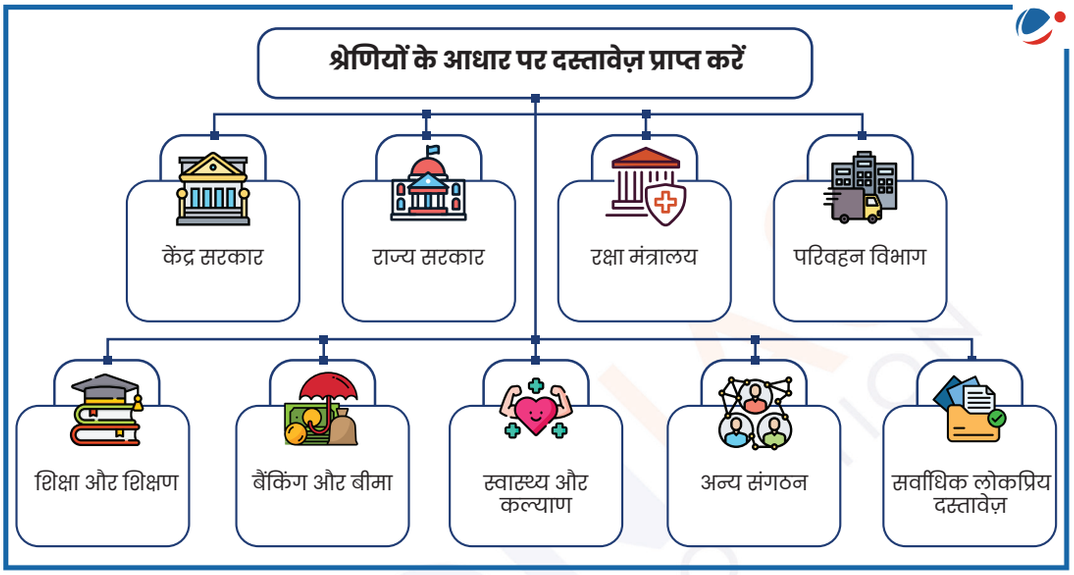

- डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके **आधार (UIDAI) नंबर से जुड़ा एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है।**
- सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले बिचौलियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 के नियम 9ए के अनुसार डिजिलॉकर सिस्टम में **जारी किए गए दस्तावेज़ों** को **मूल भौतिक दस्तावेज़ों के बराबर** माना जाता है।

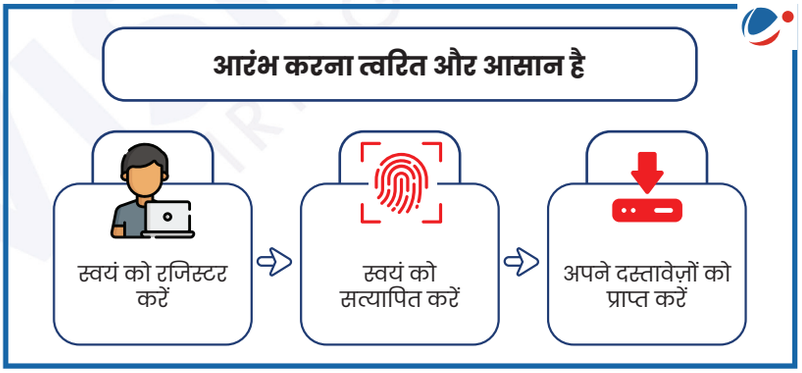

यूनीफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) (Unified Mobile Application for New-age Governance: UMANG)	• **यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत** आरंभ किए गए प्रमुख पहलों में से एक है। यह एक साझा, एकीकृत प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप है जो **सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एकल बिंदु सुविधा** प्रदान करता है। • **उद्देश्य:** कई मोबाइल ऐप्स को प्रबंधित करने में **उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को दूर करना** तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु वन-स्टॉप-सॉल्यूशन की सुविधा प्रदान करना। 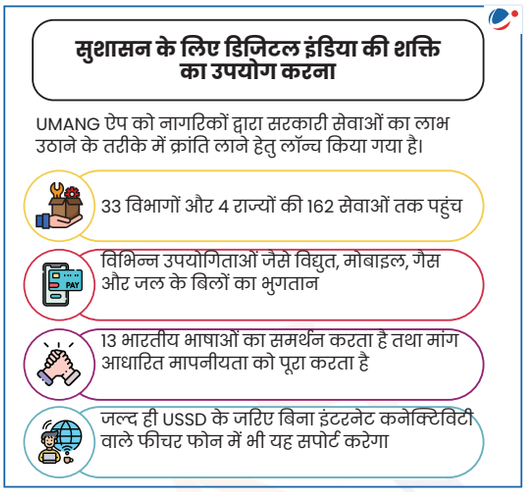
डिजिशाला (Digishala)	• **यह दूरदर्शन का एक निःशुल्क DTH चैनल है।** • **उद्देश्य: डिजिटल भुगतान** के विभिन्न तरीकों के बारे में **लोगों को शिक्षित और सूचित** करना।
साइबर सुरक्षित भारत पहल (Cyber Surakshit Bharat Initiative)	• **यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है तथा अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी** है। • **उद्देश्य:** सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISOs) और व्यापक IT समुदाय को **उनके डिजिटल अवसंरचना की रक्षा के लिए शिक्षित करना है। साथ ही, उन्हें भविष्य के साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार करना है।** • **संस्थापक भागीदार:** माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो जैसी प्रमुख IT कंपनियां। • **ज्ञान भागीदार:** सर्ट-इन (CERT-In), एनआईसी, नेस्कॉम (NASSCOM) एवं डेलोइट (Deloitte) और ईवाई (EY) जैसे कंसल्टेंसी फर्म।
ई-संपर्क (E-sampark)	• मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं SMS अभियानों के माध्यम से सरकार को प्रत्यक्षत: संपूर्ण देश **के नागरिकों से जोड़ना** है। • इसका उपयोग **सूचनात्मक और सार्वजनिक सेवा संबंधी संदेशों को साझा** करने के लिए किया जाता है। • यह सरकार को **कई कार्यक्रमों और पहलों के बारे में नागरिकों के साथ संवाद स्थापित** करने में सक्षम बनाता है।
सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट {Secure, Scalable & Sugamya Website as a Service (S3WAAS)}	• यह एक **ऑनलाइन सेवा है, जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए** सुरक्षित, मापनीय और सुगम **वेबसाइट बनाने हेतु विकसित किया गया है।** • यह **सरकारी संस्थाओं को वेबसाइटों के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों में से एक को चुनने में सक्षम बनाता है।** साथ ही, यह बिना किसी तकनीकी जानकारी के **कंटेंट को अनुकूलित और प्रबंधित** करने में मदद करता है। • **डिजाइन, विकसित, होस्ट और अनुरक्षित करने वाली संस्था:** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)। 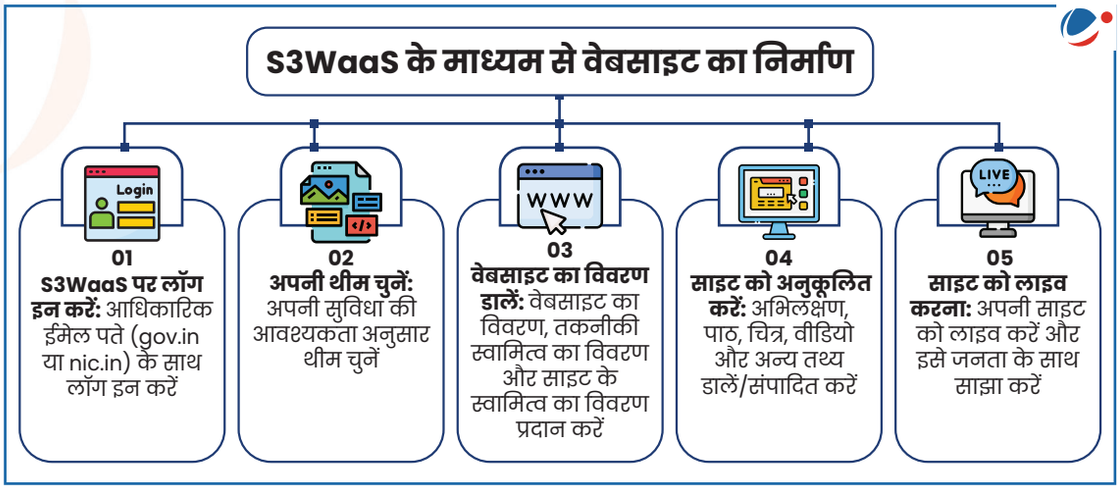

GI क्लाउड – मेघराज (GI Cloud – MeghRaj)	• मेघराज पहल के तहत **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** राष्ट्रीय क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रदत्त सेवाएं (नीचे दिए गए इन्फोग्राफिक का शीर्षक) • **सेवा के रूप में अवसंरचना (IaaS):** यह क्लाउड कंप्यूटिंग का एक रूप है। इसके तहत इंटरनेट पर आपको वर्चुलाइज्ड कंप्यूटिंग संसाधन जैसे सीपीयू, मेमोरी, एम्प्टी डिस्क स्टोरेज दिया जाता है जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम इनस्टॉल कर सकते हैं। • **सेवा के रूप में प्लेटफार्म (PaaS):** यह सर्वर सेटअप की चिंता किए बिना वेब एप्लिकेशन को प्रकाशित और चलाने के लिए प्री-इन्स्टॉल्ड वेब और डेटाबेस सर्वर प्रदान करता है। यह बेसिक सिक्योरिटी के साथ पहले से ही कॉन्फ़िगर होता है। • **सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (SaaS):** यह मांग आधारित सॉफ्टवेयर सेवा प्रदान करता है। SaaS सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल है। इसमें उपयोगकर्ता एप्लिकेशन या किसी भी घटक के अनुसमर्थन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। • **संग्रहण के रूप में सेवा (STaaS):** यह आवश्यकता आधारित भंडारण समाधान प्रदान करता है। यह पारंपरिक ऑन-साइट और समर्पित संग्रहण प्रणाली का एक विकल्प है। विविध भंडारण स्तरों को तैनात करने और प्रबंधित करने की जटिलताओं को कम करता है। • **होस्टिंग एनवायरनमेंट:** NIC क्लाउड सर्विसेज तीन अलग-अलग होस्टिंग एनवायरनमेंट यथा प्रोडक्शन स्टेजिंग और डेवलपमेंट प्रदान करती है ताकि PaaS और IaaS सर्विस मॉडल के लिए व्यावसायिक जरूरत के आधार पर आप अपने वर्चुअल मशीन (VM) को अलग-अलग रख सकें और उन्हें सही ढंग से प्रबंधित भी कर सकें।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल {National Information Centre-Computer Emergency Response Team (NIC-CERT)}	• NIC-CERT प्रखंड **साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की नोडल शाखा है।** • यह NIC की अवसंरचना पर लक्षित साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं के लिए **संबंधित हितधारकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करने वाला एकल बिंदु** है। • कार्य: यह साइबर खतरों के विरुद्ध NIC की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए **समय-समय पर खतरे संबंधी खुफिया सूचना, सुरक्षा अलर्ट/टिप्स और सलाह** जारी करता है।
प्रोजेक्ट साइबर शिक्षा (Project Cyber Shikshaa)	• **आरंभ:** माइक्रोसॉफ्ट तथा **डाटा सिक्यूरिटी काउंसिल ऑफ़ इंडिया (DSCI) द्वारा** • **उद्देश्य: साइबर सुरक्षा के उपयुक्त क्षेत्र में इंजीनियरिंग स्नातक महिलाओं को कौशल प्रदान करना है।**
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु विश्वेश्वरैया पी.एच.डी. योजना- चरण-II (Visvesvaraya PhD Scheme for Electronics and IT)	• **उद्देश्य:** देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (IT/ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. धारकों की संख्या में वृद्धि करना है। • **अवधि:** 2021 से 9 वर्ष तक • **लक्ष्य: 1000 पूर्णकालिक पीएचडी उम्मीदवारों, 150 अंशकालिक पीएचडी** उम्मीदवारों, **50 यंग फैकल्टी रिसर्च** फैलोशिप **और 225 पोस्ट-डॉक्टोरल फैलोशिप का समर्थन करना।** • **लाभ: 250 पूर्णकालिक पीएचडी अध्येताओं को 6 महीने के लिए एक बार सहायता प्रदान** किए जाने का प्रावधान है, ताकि वे अपने अनुसंधान परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने के लिए **विदेशों में प्रयोगशालाओं का दौरा कर सके।** • **पात्र संस्थान:** सभी IITs, NITS, IISc, IISERs, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी डीम्ड विश्वविद्यालय आदि।

16. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE)

16.1. सिक्योर हिमालय (उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करने संबंधी) परियोजना {Secure Himalaya (Securing Livelihoods, Conservation, Sustainable use and Restoration of High Range Himalayan Ecosystem Himalaya) Project}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: उच्च श्रेणी के हिमालयी पारितंत्र की आजीविका, संरक्षण, संधारणीय इस्तेमाल और पुनरुद्धार सुनिश्चित करना**
- **अंतर्राष्ट्रीय समर्थन:** वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)
- **अवधि:** 2017-2024
- **पार्टनर एजेंसी:** ट्रैफिक (TRAFFIC)

अन्य उद्देश्य

विस्तृत उच्च हिमालयी पारितंत्र में स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **वैश्विक परियोजना: यह "संधारणीय विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध की रोकथाम पर एक वैश्विक साझेदारी"** (वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम) का हिस्सा है। यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित है।
  - यह **वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard Ecosystem Protection Program: GSLEP)** में योगदान करता है। GSLEP 12 देशों की सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रकों की एक संयुक्त पहल है।
- **संधारणीय संरक्षण:** यह विस्तृत उच्च हिमालयी पारितंत्र में **अल्पाइन चरागाहों और जंगलों के संधारणीय प्रबंधन** को बढ़ावा देता है।
  - यह एंडेंजर्ड हिम तेंदुओं और **उनके पर्यावासों सहित वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण वन्यजीवों का संरक्षण** सुनिश्चित करता है।
- **आच्छादित क्षेत्र**
  - **ट्रांस और ग्रेटर हिमालयी क्षेत्रों** में ऊंचाई वाले परिदृश्य, जिनमें शामिल हैं:
    - चांगथांग (जम्मू और कश्मीर)
    - लाहुल-पांगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)
    - पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में गंगोत्री-गोविंद और दारमा-व्यास घाटी
    - कंचनजंगा-ऊपरी तीस्ता घाटी (सिक्किम)

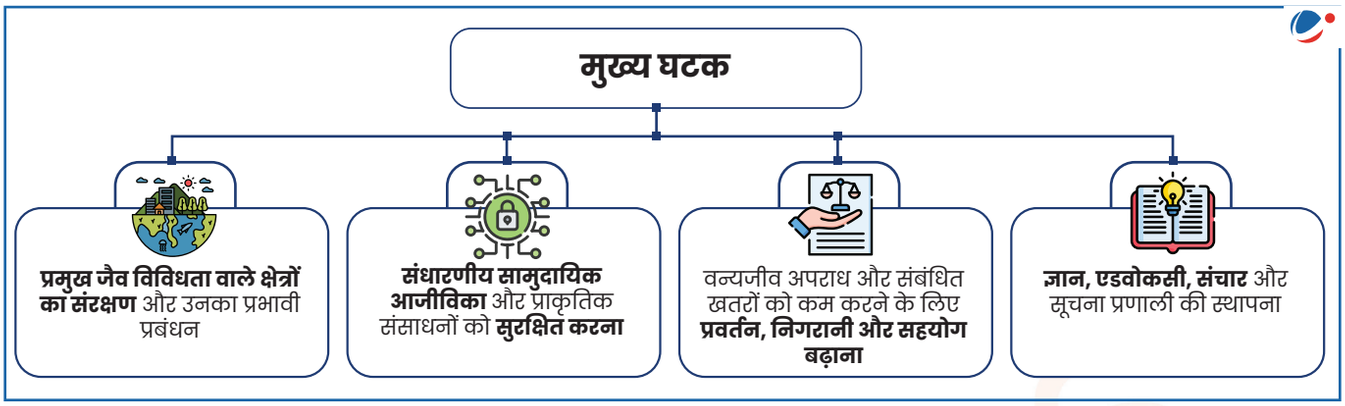

- **त्रि-आयामी रणनीति (Three pronged strategy):** यह योजना निम्नलिखित रणनीतियों का अनुसरण करती है:
  - वैकल्पिक और आजीविका के नए विकल्प प्रदान करना
  - वर्तमान आजीविका में वृद्धि करना
  - कौशल आधारित रोजगार के अवसरों का समर्थन करना

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)
- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ–साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 15,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक
प्रारंभ: 16 जून
अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

16.2. जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NATIONAL ACTION PLAN ON CLIMATE CHANGE: NAPCC)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: इसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाना।**
- **अवधि:** 2025-26 तक
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इन मिशनों को "संबंधित मंत्रालयों" द्वारा संस्थागत किया जाता है और जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद द्वारा समन्वित किया जाता है

अन्य उद्देश्य

इसके तहत देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और भारत के विकास पथ की पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: NAPCC** 2008 से लागू है। यह **उन उपायों की पहचान करता** है जो **जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सह-लाभ प्रदान करते हुए विकास उद्देश्यों को बढ़ावा** देते हैं।

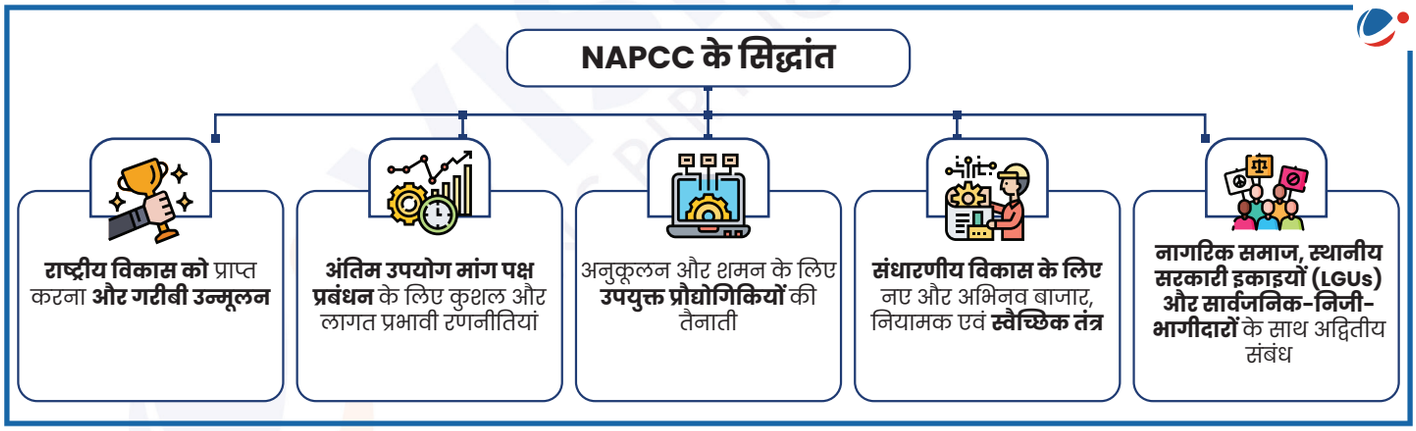

जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन

- **राष्ट्रीय सौर मिशन:** 2030 तक **280 गीगावॉट** की स्थापित सौर क्षमता हासिल करना।
- **संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (NMEE): विनियामक और नीति व्यवस्था को अनुकूल बनाकर** ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत करना।
- **सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन: ऊर्जा दक्षता में सुधार, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का प्रबंधन** और शहरी **सार्वजनिक परिवहन** को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय जल मिशन:** जल संरक्षण, **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** के माध्यम से अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना और **जल उपयोग दक्षता को 20% तक सुगम बनाना।**
- **हिमालयी पारितंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSHE):** पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए स्थानीय समुदायों को, विशेष रूप से पंचायतों को सशक्त बनाना।
- **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMGI):** कार्बन सिंक जैसी पारितंत्र सेवाओं को बढ़ाना। इसे राज्य के वन विभागों के तहत स्थापित संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से निम्नीकृत वन भूमि पर क्रियान्वित किया जाना है।

- **राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA):** फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से ताप प्रतिरोधी और वैकल्पिक फसल पैटर्न की पहचान करके भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना।
- **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन:** अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करना तथा इसके तहत जलवायु अनुसंधान कोष द्वारा समर्थित स्वयं का अनुसंधान एजेंडा भी होगा।

16.3. अन्य योजनाएं/ पहलें (Other Schemes/ Initiatives)

पर्यावरण संबंधी सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण एवं आजीविका कार्यक्रम (EIACP) {Environmental Information Awareness Capacity Building and Livelihood Programme (EIACP)}	• यह मिशन लाइफ के अनुरूप लागू की जा रही **केंद्रीय क्षेत्रक की उप-योजनाओं में से एक** है। • यह कार्यक्रम संपूर्ण देश में व्यक्तियों और समुदायों के बीच **जागरूकता बढ़ाने, उनका क्षमता निर्माण करने तथा संधारणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन देने** पर जोर देता है। • इसमें पूर्ववर्ती **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) योजना** के सर्वोत्तम कार्यात्मक पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NATIONAL CLEAN AIR PROGRAMME: NCAP)	• **उद्देश्य:** एक निर्धारित समय-सीमा में देश के सभी स्थानों पर अनुबंधित वार्षिक औसत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करना। • **लक्ष्य: 2025-26** (आधार वर्ष 2017) **तक पार्टिकुलेट मैटर 10 (PM10) के स्तर में 40% तक** की कमी या राष्ट्रीय मानकों (60 माइक्रोग्राम/ क्यूबिक मीटर) को हासिल करना। • **कवरेज:** 24 राज्यों के **131 शहरों को कवर** करता है। 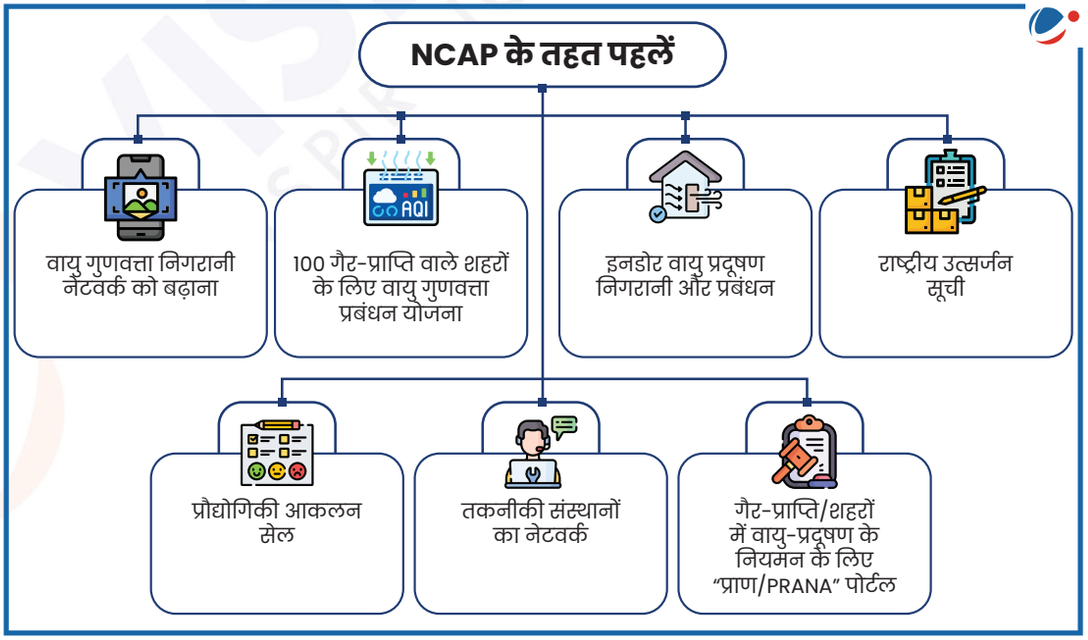

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों के मध्य जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (Climate Resilience Building among Farmers through Crop Residue Management)	• **उद्देश्य:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का मुकाबला करना। • **यह परियोजना पराली जलाने से निपटने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change: NAFCC)** के अंतर्गत शुरू की गई है। • **कवरेज: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान।**
हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GREEN SKILL DEVELOPMENT PROGRAMME: GSDP)	• **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत संधारणीय विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और प्रतिबद्धता रखने वाले **हरित कुशल श्रमिकों** को विकसित करना है। • **परिकल्पित और विकसित: इसे राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA)** के परामर्श से MoEF&CC के अंतर्गत परिकल्पित और विकसित किया गया है। • इसके तहत सभी पाठ्यक्रम **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप** हैं। • इसके तहत **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS) हब तथा रिसोर्स पार्टनर्स (RPs) के व्यापक नेटवर्क** का उपयोग किया जाता है। • **GSDP-ENVIS एक मोबाइल ऐप है,** जो देश के युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान (INDIA COOLING ACTION PLAN: ICAP)	• **उद्देश्य: समाज के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभ** सुनिश्चित करते हुए सभी के लिए **सतत कूलिंग (शीतलन) तथा ऊष्मा से राहत प्रदान** करने की व्यवस्था करना।
	• **शामिल क्षेत्रों में कूलिंग** की दिशा में एक एकीकृत दिशा प्रदान करता है-
	  ◦ **कूलिंग डिमांड में कमी,** रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और,
	  ◦ **20 साल की अवधि के साथ बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्प (इन्फोग्राफिक्स देखें)।**
	• प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों तरह के उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

परिवेश (आपसी परामर्श, गुणकारी और पर्यावरण एकल खिड़की के माध्यम से अग्र-सक्रिय और जवाबदेह सुविधा) {PARIVESH (Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)}	• यह पर्यावरण मंजूरी (EC), वन निकासी (FC), तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) निकासी, और वन्यजीव (WL) निकासी के लिए सिंगल विंडो है। • आवेदन जमा करने की **पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करना** और प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में ऐसे प्रस्तावों की स्थिति पर नजर रखना।

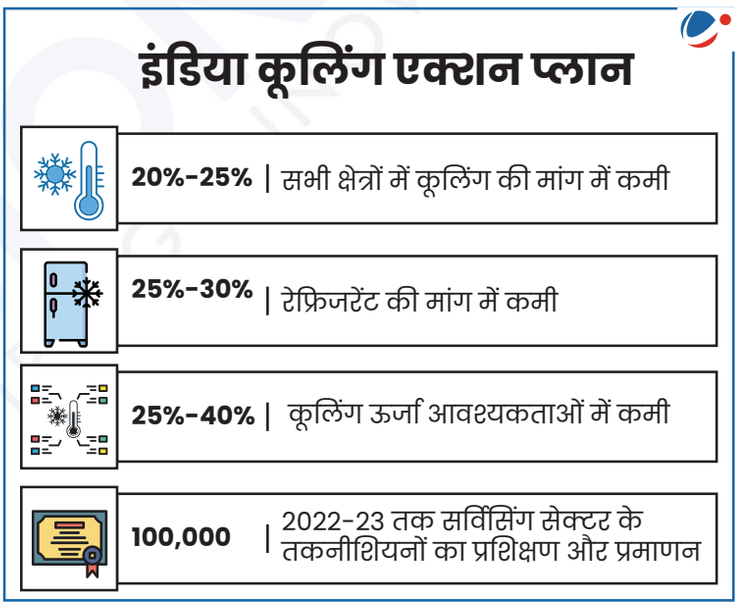

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास (Integrated Development of Wildlife Habitats)

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **वित्तीय सहायता:** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को यह वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के साथ-साथ इसके बाहर भी वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा और उनका संरक्षण कर सकें। साथ ही, गंभीर रूप से लुप्तप्राय (Critically Endangered) प्रजातियों की पुनप्राप्ति हेतु कार्यक्रमों को आयोजित भी कर सकें।

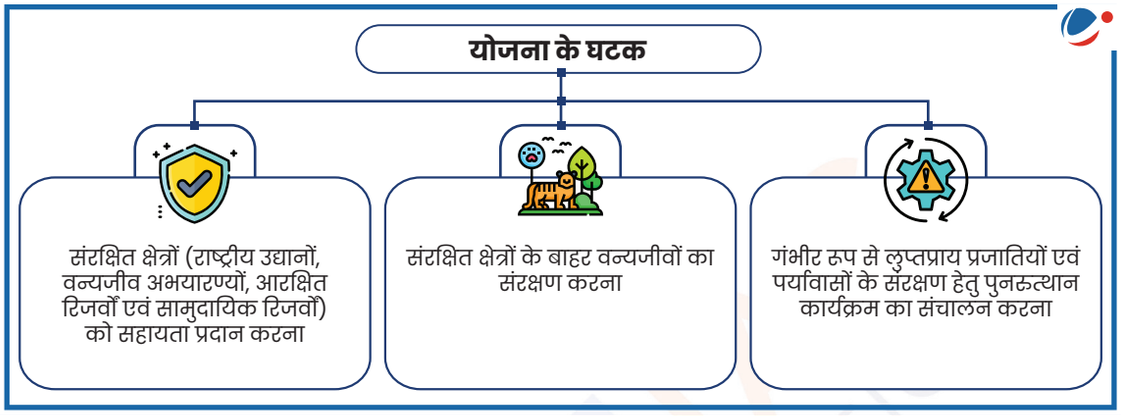

राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (National Mission on Himalayan Studies: NMHS)

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन
- **फोकस:** राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 के अनुसार स्थानीय समुदायों की आजीविका को बढ़ाना
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** हिमालयन नॉलेज नेटवर्क (HKN)

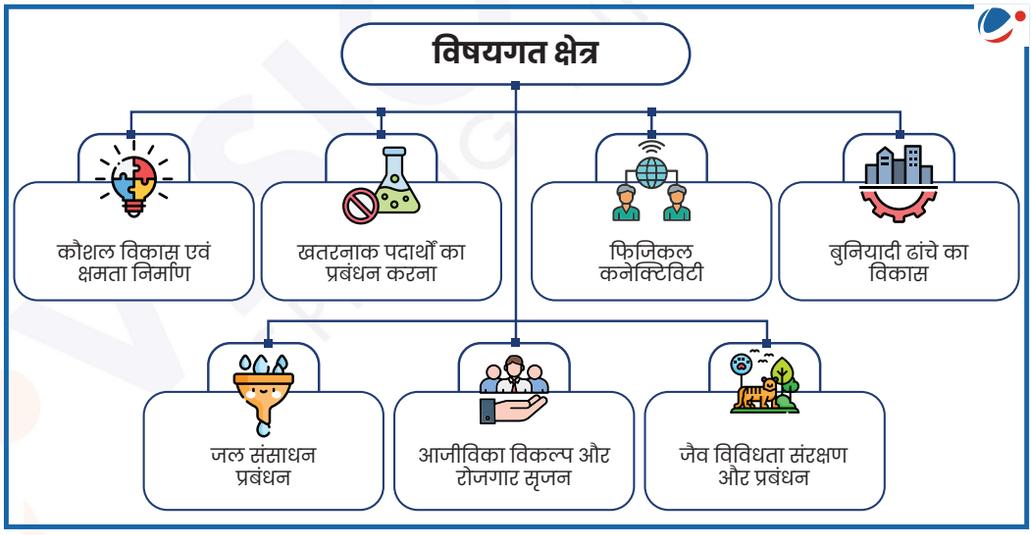

पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (Environment Education Awareness and Training: EEAT)

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
- **मुख्य कार्यक्रम**
  - **नेशनल ग्रीन कॉर्प्स (NGC) कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों और कॉलेजों में 1 लाख से अधिक इको-क्लब बनाए गए है। इससे छात्रों को शिक्षित करना और पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता फैलाना आसान हो जाएगा।
  - **राष्ट्रीय प्रकृति कैम्पिंग कार्यक्रम (NNCP):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के लिए देश के विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों/ नेचर पार्क/ टाइगर रिजर्व में फील्ड विजिट/ नेचर कैंप का आयोजन किया गया।

LeadIT (लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन) पहल	• **पृष्ठभूमि:** इसे **'संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, 2019'** में आरंभ किया गया था। • **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य विश्व को **विकार्बनीकृत करने में कठिन** और **ऊर्जा-गहन क्षेत्रों/ उद्योगों** को निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। • **प्रारंभ: भारत और स्वीडन** तथा कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर • **समर्थन: विश्व आर्थिक मंच** • LeadIT **उन देशों और कंपनियों** को एकत्रित करता है **जो पेरिस समझौते के उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।** • LeadIT सदस्य इस अवधारणा का समर्थन करते हैं कि **ऊर्जा-गहन उद्योग** निवल-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य से **निम्न-कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है और उसे अवश्य करना चाहिए।**

सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर 'कोलंबो घोषणा-पत्र' (Colombo Declaration on Sustainable Nitrogen Management)	• **नाइट्रोजन चुनौतियों पर कार्रवाई के लिए एक प्रस्तावित रोडमैप।**
	  ◦ **प्रस्तावित:** 2019 में श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया है।
	  ◦ **समर्थन:** इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा **समर्थन प्राप्त** है।
	  ◦ **उद्देश्य: 2030 तक नाइट्रोजन अपशिष्ट को आधा करना।**
	• कोलंबो घोषणा-पत्र' को **'अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन प्रबंधन प्रणाली (International Nitrogen Management System: INMS)'** के तकनीकी समर्थन से विकसित किया गया है। उल्लेखनीय है कि INMS, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNEP) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा समर्थित **अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल** की एक संयुक्त पहल है।

नगर वन योजना {Nagar van scheme}	• **इसे विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), 2020 को लांच किया गया था।**
	• **लक्ष्य: 2020-21 से 2024-25** की अवधि के दौरान देश में **400 नगर वन और 200 नगर वाटिकाओं** का विकास करना।
	• **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके अलावा, **वनों और हरित आवरण के बाहर अधिक से अधिक वृक्ष लगाना** है, जैव विविधता में वृद्धि करना है, शहरी और शहरों के बाहरी क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिक लाभ की दिशा में काम करना है।
	• **योजना के तहत-**
	  ◦ वन या तो **मौजूदा वन भूमि पर या शहरी स्थानीय निकायों** द्वारा **प्रस्तावित किसी अन्य खाली भूमि के अंतर्गत आएंगे।**
	  ◦ वन उद्यान स्थापित हो जाने पर उसका **रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।**
	• यह योजना **CAMPA अधिनियम या प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 के तहत** पूरी तरह से वित्त-पोषित है।

17. विदेश मंत्रालय (MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS)

17.1. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

भारत को जानो कार्यक्रम (KNOW INDIA PROGRAMME: KIP)	• **उद्देश्य:** भारत में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों से भारतीय प्रवासियों को परिचित कराना। • यह **प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का एक अभिविन्यास कार्यक्रम** (Orientation programme) है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा **आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति** आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। • **योग्यता:** इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा (अनिवासी भारतीयों को छोड़कर) शामिल हैं जिनकी आयु **18-30 वर्ष** के बीच है। ये युवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से **स्नातक** या **स्नातक के लिए नामांकित** और **अंग्रेजी में बोलने की क्षमता रखते** हैं। • **वरीयता:** इसमें गिरमिटिया देशों (मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका और जमैका) के भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को वरीयता दी जाएगी।
प्रवासी कौशल विकास योजना (PRAVASI KAUSHAL VIKAS YOJANA: PKVY)	• **उद्देश्य:** विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं प्रमाण-पत्र प्रदान करना। • **मंत्रालय: इस योजना में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय** के साथ विदेश मंत्रालय की साझेदारी है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) • यह **अल्पकालिक कार्यक्रम** (2 सप्ताह से एक महीने तक) है। इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो **सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ-साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते** हैं।
भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम {INDIAN TECHNICAL & ECONOMIC COOPERATION (ITEC) PROGRAMME}	• इस कार्यक्रम की **स्थापना 1964 में की गई** थी। ITEC अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए सबसे पुरानी संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक है। • यह एक मांग-आधारित व प्रतिक्रिया-उन्मुख कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य भारत और भागीदार राष्ट्र के मध्य नवीन तकनीकी सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की आवश्यकताओं को संबोधित करना है। • यद्यपि भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) **वास्तव में एक द्विपक्षीय कार्यक्रम** है, परन्तु इसके संसाधनों का उपयोग इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और G-77 जैसे त्रिपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है। • यह प्रत्येक वर्ष भारत में 100 से ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थानों में लगभग **10,000 पूर्ण रूप से वित्त-पोषित व्यक्तिगत प्रशिक्षण के अवसर** प्रदान करता है। • यह कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के विकास भागीदारी प्रशासन-द्वितीय प्रभाग द्वारा प्रशासित है। 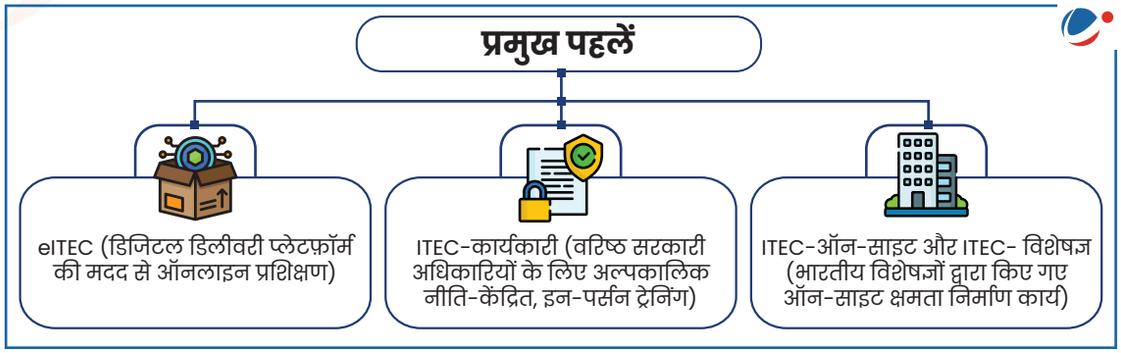

प्रोजेक्ट (ई-वी.बी.ए.बी.): ई-विद्याभारती (टेली-एजुकेशन) और ई-अरोग्यभारती (टेली-मेडिसिन) {Project (e-VBAB): e-VidyaBharti (Tele education) and e-ArogyaBharti (Tele medicine)}	• **उद्देश्य:** अफ्रीकी देशों को निःशुल्क टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना।

18. वित्त मंत्रालय
(MINISTRY OF FINANCE)

18.1. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) - National Mission for Financial Inclusion}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** वित्तीय सेवाओं जैसे कि वहनीय तरीके से एक बुनियादी बचत और जमा खाता, रेमिटेंस, ऋण, बीमा एवं पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- **ओवरड्राफ्ट:** 10,000 रुपये
- **दुर्घटना बीमा:** 2 लाख रुपये
- **फोकस:** प्रत्येक ऐसा वयस्क जिसका बैंक में खाता नहीं है।

अन्य उद्देश्य

- वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना।
- लागत को कम करने और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** इसे 2014 में शुरू किया गया था। यह वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए **राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन** है।
- **PMJDY के मूल सिद्धांत:**
  - **बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना** - बुनियादी बचत बैंक जमा (BSBD) खाता खोलना जिसके लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया, KYC में छूट, e-KYC, कैंप मोड में खाता खोलना, जीरो बैलेंस और जीरो चार्ज/ शुल्क की सुविधा।
  - **वंचितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना** - मर्चेंट लोकेशन (दुकानों आदि) पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, साथ में 2 लाख रुपये के निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना,
  - **वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्त प्रदान करना** - सूक्ष्म-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन एवं माइक्रो-क्रेडिट जैसे अन्य वित्तीय उत्पाद।

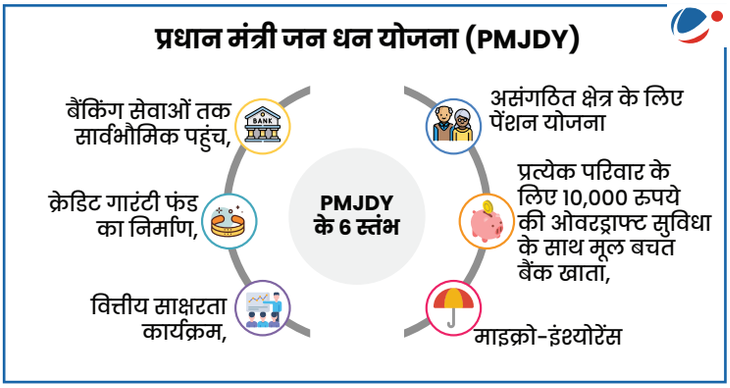

- **अपनाए गए दृष्टिकोण**
  - **खोले गए नए खाते** अब बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली में **ऑनलाइन खाते हैं।**
  - RuPay डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से ऑनलाइन **इंटर-ऑपरेबिलिटी के सुविधा।**

- **फिक्स्ड-प्वाइंट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट।**
- KYC की बोझिल प्रक्रियाओं के स्थान पर **सरलीकृत KYC/ e-KYC**

- **रूपे कार्ड बीमा:** 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों के लिए रूपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धि:**
  - **प्रत्येक पात्र व्यक्ति को 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा (बिना किसी शर्त के) प्राप्त होगी।** गौरतलब है कि योजना के तहत 10000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है लेकिन 2,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी शर्त के उपलब्ध है।
  - ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा **65 वर्ष** कर दी गई है।
- **चालू/सक्रिय PMJDY खाते:** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी PMJDY खाते में दो वर्ष से अधिक की अवधि तक ग्राहक कोई लेन-देन नहीं करता है, तो उस खाते को निष्क्रिय माना जाएगा।
- **जन धन दर्शक ऐप: नागरिक केंद्रित प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से** इस मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया है। यह देश में **बैंक शाखाओं, ATM, बैंक मित्रों, डाकघर जैसे बैंकिंग टच प्वाइंट्स का पता लगाने में सहायक है।**

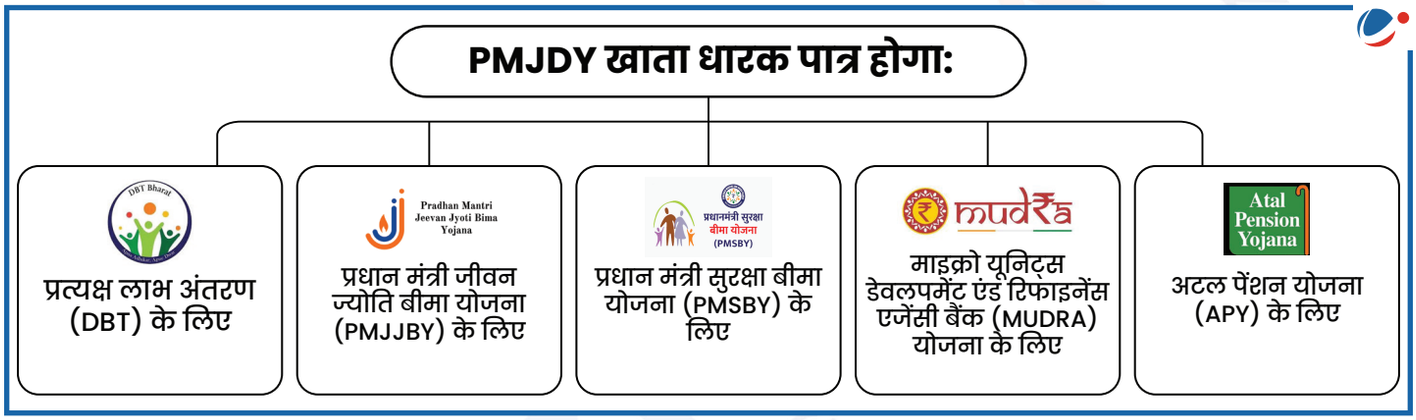

18.2. सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samriddhi Yojana: SSY)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य: बालिकाओं के कल्याण** को बढ़ावा देना।
- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था। यह योजना **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान** का एक भाग है।
- **लाभार्थी:** बालिका **(एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाएं)**
- **सीमाएं: एक बालिका** के नाम पर **केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।

अन्य उद्देश्य

बालिकाओं के लिए एक लघु निवेश विकल्प प्रदान करना, जिसका उपयोग माता-पिता द्वारा लड़की की शिक्षा और विवाह के खर्चों के भुगतान, आदि के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएं

- **खाता खोलना: डाकघरों और वाणिज्यिक बैंकों की अधिसूचित शाखाओं** में खाता खोला जा सकता है।
- **प्रति परिवार अधिकतम खाता:** इस योजना के तहत **एक बालिका के नाम पर केवल एक खाता** और **एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के नाम पर सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।
  - **जुड़वां/ तीन बच्चों (ट्रिपलेट्स) के लिए छूट: प्रथम या दूसरे प्रसव में** जुड़वां या तीन बच्चों **(ट्रिपलेट्स)** के जन्म की स्थिति में दो से अधिक बालिकाओं के नाम पर **सुकन्या समृद्धि खाता** खोला जा सकता है।।
    - हालांकि, यदि पहले प्रसव में ही दो से अधिक लड़कियां जन्म लेती हैं, तो जुड़वां/ तीन बच्चों **(ट्रिपलेट्स)** के बाद जन्मी लड़कियां सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगी।

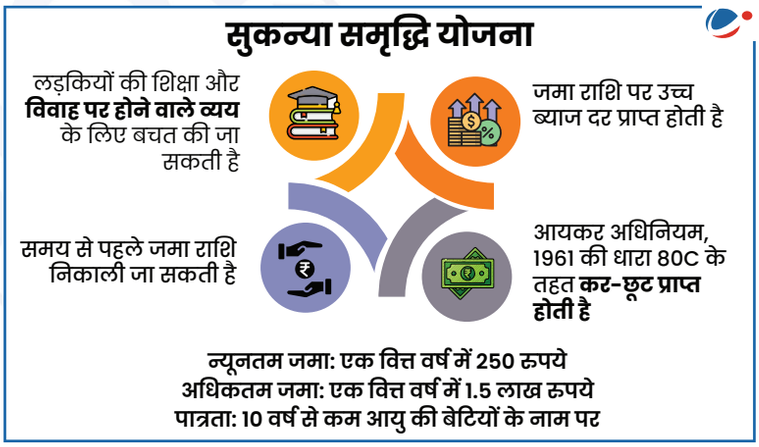

- **अकाउंट पोर्टेबिलिटी:** SSY खाते को **भारत में कहीं भी एक डाकघर/ बैंक से दूसरे डाकघर/ बैंक में स्थानांतरित** किया जा सकता है।
- **ब्याज दर:** जमा राशि पर ब्याज (सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर) की **गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी** और खाते में जमा की जाएगी।
- **योजना की परिपक्वता: खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद** या जिस बालिका के नाम पर खाता खोला गया है **उसकी शादी होने पर, जो भी पहले हो,** उस समय खाते से राशि निकाली जा सकती है।
- **समय से पहले खाता बंद करना: खाताधारक की मृत्यु** की स्थिति में या जब केंद्र सरकार संतुष्ट हो कि खाता जारी रखने से **खाताधारक को अनुचित कठिनाई** हो रही है, उस स्थिति में खाता बंद किया जा सकता है।
- **समय से पहले निकासी**: बालिका की उम्र **18 वर्ष** होने पर उच्चतर शिक्षा उद्देश्यों के लिए संचित शेष राशि का 50% तक परिपक्वता से पहले निकाली जा सकती है।
- **सुकन्या समृद्धि खाता योजना के अन्य लाभ**
  - 10 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका स्वयं भी खाते का संचालन कर सकती है।
  - योजना की परिपक्वता पर बालिका को भुगतान किया जाता है।
  - यदि खाता बंद नहीं किया जाता है तो परिपक्वता के बाद भी उस पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
  - भारत में कहीं भी हस्तांतरणीय है।

- खाता खोलने की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी होने तक खाते में राशि जमा की जा सकती है।

- **खाता खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज**
  - सुकन्या समृद्धि खाता खोलने का फॉर्म।
  - बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
  - पहचान प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देश के अनुसार)
  - निवास प्रमाण (RBI KYC दिशानिर्देशों के अनुसार)

18.3. स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand up India scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम बनाना।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **कवर किए गए उद्यम:** विनिर्माण, सेवाओं, कृषि से संबद्ध गतिविधियों या व्यापार क्षेत्र में **ग्रीनफील्ड उद्यम।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)**

अन्य उद्देश्य

कम-से-कम एक अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को विनिर्माण, सेवाएं या व्यापार क्षेत्रक या कृषि से संबद्ध गतिविधियों में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक बैंक शाखा से 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये के तक** ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएं

- **जमानत या कोलेटरल मुक्त कवरेज**
  - जमानत मुक्त कवरेज का विस्तार करने के लिए, भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFSI) की स्थापना की है।
  - हालांकि, सरकार योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है।
- **ऋण देने वाली संस्था:** वाणिज्यिक मानदंडों के अनुसार, **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाएं ऋण प्रदान करती हैं।**
- **ऋण सुरक्षा: प्राथमिक सुरक्षा** के अलावा, बैंकों द्वारा तय किए गए **CGFSI** की जमानत सुरक्षा (कोलेटरल) या गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया जा सकता है।
- **ब्याज दर (RoI):** ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा **प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर** होगी, जो आधार दर {(मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट: MCLR) + 3% परिपक्वता काल (Tenor) प्रीमियम) से अधिक नहीं होगी।
- **ऋण भुगतान: अधिकतम 18 महीने की अधिस्थगन अवधि (मोरेटोरियम) के साथ ऋण** को चुकाने की अवधि 7 वर्ष है।
- **स्टैंड-अप कनेक्ट सेंटर:**
  - **इस योजना में संभावित उधारकर्ताओं को हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है।**

अर्हता और बहिष्करण

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला।
2. ग्रीन फील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपलब्ध ऋण।
3. गैर-व्यक्तिगत उद्यम के लिए कम-से-कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए।
4. उधारकर्ता किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

- सिडबी और नाबार्ड के कार्यालयों को **स्टैंड-अप कनेक्ट** सेंटर के रूप में नामित किया गया है, जो आवश्यक सहायता की व्यवस्था करेंगे।

- **अन्य योजना के साथ जोड़ना: यह योजना केंद्र/राज्य सरकार की योजना के साथ जोड़ने (कन्वर्जेन्स) का भी प्रावधान करती है।**

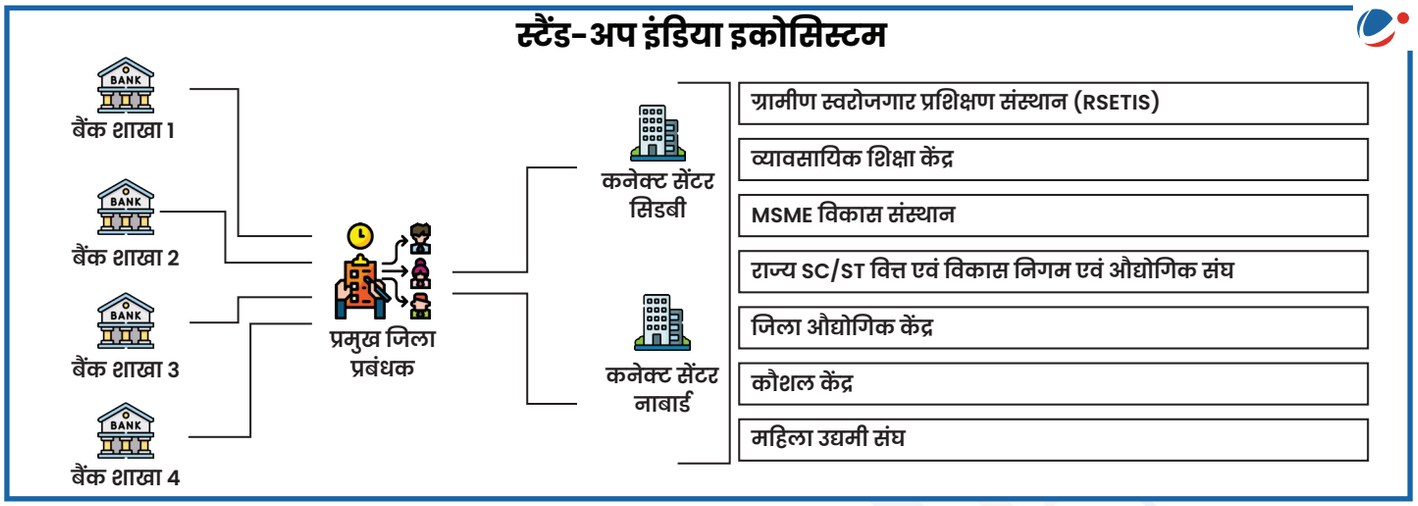

18.4. प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: PMVVY)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: यह एक बीमा पॉलिसी-सह-पेंशन योजना है, जो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करती है।**
- **अर्हता**: केवल 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के **वरिष्ठ नागरिकों** के लिए।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय जीवन बीमा निगम

अन्य उद्देश्य

वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और **बाजार की अनिश्चितताओं** के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज से अर्जित आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **गारंटीकृत पेंशन**
  - परिपक्वता पर मूलधन की वापसी के साथ **10 वर्षों के लिए पेंशन भुगतान की गारंटी।**
  - **अंशदान के आधार पर, 1000/- रुपये प्रति माह से लेकर 12,000/- रुपये प्रति माह तक सुनिश्चित पेंशन।**
- **निवेश की सीमा**
  - **न्यूनतम सीमा = 1.56 लाख रुपये**
  - **अधिकतम सीमा = 15 लाख रुपये**

- पेंशन की अधिकतम सीमा में **परिवार के सभी सदस्य शामिल होंगे।** परिवार में **पेंशनभोगी, उसका/उसकी जीवनसाथी और आश्रित** शामिल होंगे।

- **कर संबंधी लाभ:** इस योजना में मूलधन पर GST संबंधी छूट के अतिरिक्त अन्य **कोई कर संबंधी लाभ शामिल नहीं** है।
- **समय से पूर्व निकासी की अनुमति:** स्वयं या जीवनसाथी की गंभीर या लाइलाज बीमारी के मामले में मूलधन पर **2 प्रतिशत अर्थदंड** के साथ समय से पूर्व निकासी की अनुमति है।
- **ऋण संबंधी सुविधा:**
  - **इस योजना के तहत 3 पॉलिसी वर्ष पूरे होने के उपरांत ऋण संबंधी सुविधा उपलब्ध है।**
  - इसके तहत प्रदान किया जाने वाला अधिकतम ऋण, **क्रय मूल्य का 75% होगा।**
- **अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु:** यदि किसी निवेशकर्ता की 10 साल की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो **लाभार्थी को मूलधन वापस कर दी जाएगी।**

18.5. प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana: PMMY)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **उद्देश्य: एक समावेशी, संधारणीय और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करना।**
- **मुद्रा (MUDRA): यह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में और RBI के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकृत है।**
- **इच्छित लाभार्थी:** कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास गैर-कृषि क्षेत्रक में आय सृजन गतिविधि के लिए व्यवसाय योजना है और जिसकी **ऋण आवश्यकता 10 लाख रुपये से कम** है।

अन्य उद्देश्य

बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच सुनिश्चित करना। साथ ही, अंतिम व्यक्ति को भी वित्त प्रदान करने वाले वित्तदाताओं (last Mile Financers) द्वारा अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/ लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लाभार्थियों को ऋण**
  - **MUDRA (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड) सूक्ष्म/लघु व्यावसायिक संस्थाओं को ऋण देने में शामिल वित्तीय संस्थाओं (FIs) को सहायता प्रदान करता है।**
  - **इन वित्तीय संस्थाओं में वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)/ लघु वित्त बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)** शामिल हैं।
  - PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।
  - **RBI द्वारा बैंकों को अधिदेश दिया गया है कि वे संपार्श्विक प्रतिभूतियों (Collateral security) पर जोर नहीं दे।**

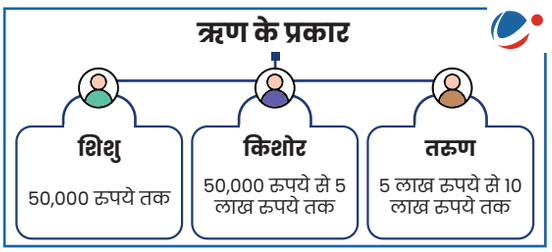

- **मुद्रा कार्ड**
  - **डेबिट कार्ड** को मुद्रा ऋण खाते के एवज में जारी किया जाता है।
  - इसे **एक से अधिक बार आहरण** और ऋण लेने हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि कार्यशील पूंजी की सीमा का लागत-कुशल तरीके से प्रबंधन किया जा सके और **ब्याज के बोझ को न्यूनतम रखा जा सके।**
- **क्रेडिट गारंटी**
  - संपार्श्विक संबंधी मुद्दे का समाधान करने और ऋण संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए, क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट को **"क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स फंड" (CGFMU)"** नामक एक कोष की स्थापना के साथ विस्तृत किया गया है।
  - इस योजना का प्रबंधन **'राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC)'** द्वारा किया जा रहा है।

18.6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NATIONAL PENSION SYSTEM: NPS)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** भारत के प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त आय प्रदान करना।
- **लाभार्थी: 18-65 वर्ष** के आयु वर्ग वाला **भारत का कोई भी नागरिक** (निवासी और अनिवासी दोनों)।
- **कवरेज:** सार्वजनिक, निजी और असंगठित क्षेत्रक के कर्मचारी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)।**

अन्य उद्देश्य

सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति पर आय प्रदान करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **कवरेज**
  - **01.01.2004** को या उसके बाद भर्ती हुए **केंद्र सरकार के कर्मचारियों** (सशस्त्र बलों को छोड़कर) **पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।**
  - पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य **सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को अपनाया है।**
- **योगदान**
  - **व्यक्ति** अपने सेवानिवृत्ति खाते में **योगदान करते हैं** और **नियोक्ता भी उस खाते में सह-योगदान कर सकते हैं।**
  - कोई व्यक्ति NPS के तहत केवल एक खाता ही खोल सकता है। हालांकि, वह व्यक्ति **अटल पेंशन योजना में दूसरा खाता खोल सकता है।**

दो प्रकार के खाते

खाते का प्रकार	विशेषता
टियर I खाता	**गैर-निकासी खाता:** यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत के उद्देश्य से खोला गया खाता है।
टियर II खाता	यह एक स्वैच्छिक बचत सुविधा है। इसका लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं, जिनके पास टियर-1 खाता है। सब्सक्राइबर कभी भी अपने इस खाते से बचत की राशि को निकाल सकता है। इस खाते पर **कोई कर लाभ नहीं मिलता है।**

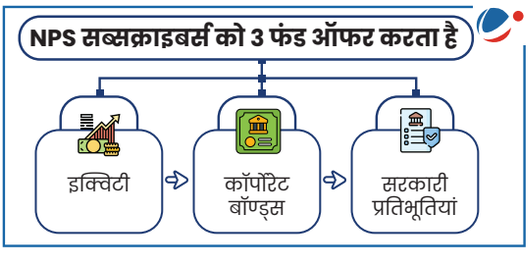

- **मार्केट लिंक्ड रिटर्न:** सेवानिवृत्ति की अवधि तक जमा किए गए योगदान पर **मार्केट लिंक्ड रिटर्न** प्राप्त होता है।
- **स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN):** इसके तहत एक **विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN)** आवंटित की जाती है। यह पोर्टेबल होती है और इसका इस्तेमाल **भारत में किसी भी स्थान से किया जा सकता है।**
- **आंशिक निकासी:** निकासी निम्नलिखित रूप से की जा सकती है-
  - NPS में शामिल होने की तिथि से कम-से-कम 3 वर्ष बाद ही निकासी की जा सकती है, किंतु **कौशल विकास, री-स्किलिंग या किसी अन्य स्व-विकास जैसी गतिविधि के लिए इससे पूर्व भी निकासी की अनुमति है।**
  - सब्सक्रिप्शन की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार निकासी की जा सकती है।
  - स्वास्थ्य, विवाह, घर और शिक्षा जैसी अनिवार्यताओं के लिए **अंशदान के 25% तक की निकासी** की जा सकती है।
- **प्रीमैच्योर एग्जिट: 10 वर्ष पूरे होने के बाद ही एग्जिट कर सकते है।** यदि कुल संचित निधि:
  - **1 लाख या इससे कम हो तो पूर्ण राशि की निकासी की जा सकती है।**
  - **1 लाख से अधिक हो:** संचित निधि का केवल **20%** एकमुश्त राशि के रूप में निकाला जा सकता है।
    - संचित निधि का 80% एक नियमित मासिक पेंशन प्रदान करने वाली **एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग करना होता है।**
- **60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर योजना से प्राप्त होने वाले लाभ**
  - संचित पेंशन निधि का **न्यूनतम 40%** मासिक एन्युटी या पेंशन के लिए उपयोग किया जाता है।
  - संचित पेंशन निधि का **शेष 60% सब्सक्राइबर को एकमुश्त** भुगतान किया जाता है।
- **कर लाभ**
  - NPS के तहत किया गया निवेश EEE के रूप में है। (योजना में शामिल होने, निवेश और परिपक्वता पर कर में छूट)
  - **NPS टियर-I में कर्मचारी का स्वयं का अंशदान निम्नलिखित के लिए पात्र है:**
    - आईटी अधिनियम की धारा **80 C के तहत 1,50,000 रुपये की कर कटौती उपलब्ध है।**
    - आईटी अधिनियम की धारा **80 CCD(1) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ प्राप्त हो सकता है।**
- **निकासी:**
  - NPS टियर-I से सब्सक्राइबर द्वारा किए गए **योगदान के 25% तक की अंतरिम/ आंशिक निकासी** कर मुक्त है।
  - **सेवानिवृत्ति के समय NPS टियर-I से कुल पेंशन निधि के 60% तक की एकमुश्त निकासी पर कर छूट प्राप्त** है।
    - **एन्युटी के लिए उपयोग की गई राशि का न्यूनतम 40% भी कर मुक्त है।**

18.7. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (Gold Monetization Scheme: GMS)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश में **अप्रयुक्त स्वर्ण को एकत्रित करना** और उसे उत्पादक उपयोग में लाना।
- **लाभार्थी:** चैरिटेबल संस्थान, व्यक्ति और संयुक्त जमाकर्ता।
- **कराधान लाभ:** GMS के तहत अर्जित आय **पूंजीगत लाभ कर, संपत्ति कर और आयकर** से मुक्त है।
- **जमा की जाने वाली मात्रा की सीमा: न्यूनतम 10 ग्राम रॉ गोल्ड।**

अन्य उद्देश्य

- **परिवारों और संस्थानों के पास उपलब्ध स्वर्ण को एकत्रित करके** उसे उत्पादक उपयोग में लाना।
- स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना।
- देश में रत्न और आभूषण क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** पूर्ववर्ती **'गोल्ड डिपॉजिट स्कीम' और 'गोल्ड मेटल लोन'** स्कीम को संशोधित तथा परस्पर संबद्ध करते हुए इसमें शामिल किया गया है।
- **योग्यता: निवासी भारतीय** (व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार या HUFs, प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म आदि) इस योजना के तहत स्वर्ण जमा कर सकते हैं।
  - दो **या दो से अधिक पात्र जमाकर्ताओं को संयुक्त रूप से जमा करने की अनुमति दी गई है।**
- **जमा की जाने वाली मात्रा की सीमा**
  - **न्यूनतम: 10 ग्राम कच्चा स्वर्ण** {स्वर्ण के बिस्किट, सिक्के, आभूषण (रत्न और अन्य धातुओं को छोड़कर)}
  - **अधिकतम:** कोई सीमा नहीं है।
- **अवधि**

	अल्पावधि बैंक जमा (Short Term Bank Deposit: STBD)	**मध्यम अवधि की सरकारी जमा (Medium Term Government Deposit: MTGD)**	**दीर्घावधि की सरकारी जमा (Long Term Government Deposit: LTGD)**
जमाएं	**बैंक की ऑन-बैलेंस शीट संबंधी देयता।**	**केंद्र सरकार की ओर** से बैंकों द्वारा **जमा स्वीकार किए जाते हैं।**	
अवधि	1 - 3 वर्ष	5 - 7 वर्ष	12 - 15 वर्ष
लॉक इन पीरियड	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष
निवेश पर लाभ (ROI) (जमा के समय स्वर्ण की कीमत के आधार पर)	जैसा बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए	2.25% वार्षिक	2.50% वार्षिक
मूल्य निर्धारण	• **मूलधन:** ग्राहक के विवेक के आधार पर स्वर्ण/नकद • **ब्याज:** स्वर्ण	• **मूलधन:** नकद • **ब्याज:** नकद	

- **नोट: रत्न और आभूषण क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में से एक है। सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 7% है।** साथ ही, देश के कुल **पण्य-निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 10-12%** है।

18.8 अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (SGB)	• SGBs **स्वर्ण को ग्राम में निरूपित करने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं।**
	• ये **भौतिक रूप में स्वर्ण रखने का एक विकल्प हैं।**
	• निवेशकों को **निर्गम मूल्य का भुगतान नकद में करना होता है और परिपक्वता पर बॉण्ड को नकद में भुनाया जाएगा।**
	• **अर्जित ब्याज: निवेशकों को अंकित मूल्य (Nominal Value) पर अर्द्ध-वार्षिक रूप से 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निश्चित दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा।**
	• भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) इस बॉण्ड को जारी करता है।
	• **पात्रता:** भारत में रहने वाले व्यक्ति {व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), ट्रस्ट, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान}।
	• **नो-योर-कस्टमर (KYC) मानदंड:** प्रत्येक आवेदन के साथ 'पैन नंबर' होना अनिवार्य है।
	• **अवधि:** बॉण्ड की अवधि **8 वर्ष** है। **बॉण्ड के जारी होने की तिथि से 5 वर्ष के बाद इसके पूर्व** नकदीकरण/ मोचन की अनुमति दी जाती है।
	• कर लाभ: **बॉण्ड पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य है।** किसी व्यक्ति को SGBs के मोचन से प्राप्त **पूंजीगत लाभ** को कर से **छूट प्रदान की गई है।**
	• **एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले निवेश की सीमाएं**
	  • **न्यूनतम:** एक ग्राम
	  • **अधिकतम:** किसी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किग्रा तथा ट्रस्टों और अन्य समान संस्थाओं के लिए 20 किग्रा।
	  • संयुक्त धारिता के मामले में **सीमा प्रथम आवेदक पर लागू होती है।**
	• **SGBs बेचने वाली अधिकृत एजेंसियां:** बॉण्ड को **राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित निजी बैंक, अनुसूचित विदेशी बैंक, नामित डाकघर, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL)** के कार्यालयों या शाखाओं के माध्यम से बेचा जाता है।	

बीमा योजनाएं (Insurance schemes)		
ब्यौरा	• **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**	• **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)**
प्रकार	**केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**	
प्रकृति	• **जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा)**	• **दुर्घटनाओं के लिए बीमा**
पात्रता	• **18 से 50 वर्ष** के आयु वर्ग के **नागरिकों (NRI सहित) के लिए** उपलब्ध है।	• 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के **नागरिकों (NRI सहित) के लिए** उपलब्ध है।
कवर किया गया जोखिम	• नामांकन के पहले 45 दिनों के बाद किसी **भी कारण से मृत्यु।**	• **दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता**
कवरेज	• **2 लाख रुपये (सावधि बीमा),** वर्ष-दर-वर्ष नवीकरणीय	• **आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये** • **आंशिक स्थायी दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये।**
शर्तें	**एक बैंक या डाकघर खाता और प्रीमियम के ऑटो-डेबिट को सक्षम करने के लिए सहमति।**	
लागू करने वाली एजेंसी	• **जीवन बीमा निगम** • **अन्य सभी जीवन बीमा कर्ता**	• सार्वजनिक क्षेत्रक की **सामान्य बीमा कंपनियां (PSGICs)** • अन्य सामान्य बीमा कंपनियां
प्रीमियम दर	• **436 रुपये वार्षिक**	• **20 रुपये वार्षिक**

अन्य योजनाएं	

अटल पेंशन योजना (APY)	• **उद्देश्य: असंगठित क्षेत्रक के लोगों के लिए न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना।**
	• **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**
	• **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
	• **पात्रता:** APY के तहत **18 से 40 वर्ष की** आयु के सभी बैंक खाताधारक शामिल हो सकते हैं।
	• **लाभ:** 60 वर्ष की आयु में **1000 या इसके गुणक के रूप में 5000 रुपए तक** की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी है। यह मात्रा योगदान के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
	• **स्वैच्छिक बाहर निकलना: सब्सक्राइबर कुछ शर्तों के साथ** योजना से बाहर निकल सकता है।
	• **सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर**
	  • **समय से पूर्व मृत्यु होने पर** (60 वर्ष की अवधि से पहले)
	  • उसका पति/पत्नी APY खाते में योगदान को जारी रख सकता/सकती है।
	• **60 वर्ष की अवधि के बाद मृत्यु होने पर**
	  • पति/पत्नी को पेंशन दी जाएगी।
	  • यदि पति/पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो संचित पेंशन निधि नामित व्यक्ति (Nominee) को दी जाएगी।

महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC)	• योजना की घोषणा **2023-24 के केंद्रीय बजट** में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है।
	• **योजना की मुख्य विशेषताएं**
	  • **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC) को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए** उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत **7.5 प्रतिशत की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर** प्रदान की जाएगी।
	  • MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से **एक वर्ष की समाप्ति** के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले **एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकाल सकती हैं।**
	  • इसके तहत निवेश की जाने वाली **न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये है तथा 100 के गुणक में कोई भी राशि** निवेशित की जा सकती है।
	  • इसमें **अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है।**

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)	• **उद्देश्य:** विभिन्न क्षेत्रकों/उद्योगों के नियोक्ताओं के वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक श्रमिकों को नियोजित करने के लिए प्रोत्साहित करना। • **पात्रता:** इसमें **EPFO के तहत पंजीकृत प्रत्येक संस्थान** और अक्टूबर 2020 से जून 2021 के बीच नियुक्त **उनके नए कर्मचारी** (15,000 / - रुपये प्रतिमाह से कम वेतन अर्जित करने वाले) या मार्च 2020 से सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले शामिल हो सकते हैं। • **भर्ती को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन:** इसके तहत **केंद्र** द्वारा दो वर्षों के लिए EPFO पंजीकृत संस्थानों के **कर्मचारियों और नियोक्ताओं, दोनों के भविष्य निधि** के देय हिस्से (प्रत्येक के वेतन का 12%) का या केवल कर्मचारियों के हिस्से का भुगतान किया जाएगा। इसका निर्धारण संस्थानों की रोजगार शक्ति के आधार पर किया जाएगा। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना (व्यवहार्य अंतराल वित्त-पोषण: VGF) {Scheme for Financial Support to PPP in Infrastructure Viability Gap Funding (VGF) Scheme}	• **उद्देश्य: सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से शुरू की गई अवसंरचना से संबंधित **परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु एकमुश्त या विलंबित अनुदान के रूप** में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	• **अवधि:** 2024-25 तक।
	• **उपयोजना-1**
	  • अपशिष्ट जल उपचार, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे **सामाजिक क्षेत्रकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।**
	  • पात्र परियोजनाओं में कम-से-कम **100% संचालन लागत** पुन: प्राप्त (Recover) होनी चाहिए।
	  • **केंद्र सरकार VGF के तहत कुल परियोजना लागत का अधिकतम 30% प्रतिशत उपलब्ध कराएगी** तथा राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक निकाय कुल परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध करा सकती है।
	• **उपयोजना-2**
	  • यह **निरूपण/सामाजिक क्षेत्रकों की प्रायोगिक परियोजनाओं** को सहायता देगी तथा ये परियोजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से हो सकती है।
	  • पात्र परियोजनाओं में कम-से-कम **50% संचालन लागत** पुन: प्राप्ति होनी चाहिए।
	  • केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर पहले पांच वर्षों के लिए पूंजीगत व्यय का **80% हिस्सा तथा संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत का 50% हिस्सा उपलब्ध कराएंगी।**
	  • **केंद्र सरकार** इस परियोजना में **कुल परियोजना लागत** का अधिकतम 40% हिस्सा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, यह पहले पांच वर्षों में वाणिज्यिक संचालन के लिए परियोजना की संचालन लागत का अधिकतम 25% भी उपलब्ध करा सकती है।

पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (Special Assistance to States for Capital Investment)	• इस योजना (2023-24 के बजट में घोषित) के तहत, **राज्य सरकारों को** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान **1.3 लाख करोड़ रुपये की अधिकतम राशि तक 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण** के रूप में **विशेष सहायता प्राप्त होगी।**
	• पूंजी निवेश/ व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना **पहली बार वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 में कोविड-19 महामारी** के मद्देनजर शुरू की गई थी।
	• **इस योजना के निम्नलिखित 8 भाग हैं:**
	  • 15वें वित्त आयोग की घोषणा के अनुसार, केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों को उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में 1 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
	  • नगरपालिका बॉण्ड्स और उन्हें जारी करने के लिए, इन बॉण्ड्स को ऋण योग्य बनाने हेतु **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में वित्तीय सुधार** किए गए हैं।
	  • शहरी क्षेत्रों में पुलिस थानों के ऊपर या उसके हिस्से के रूप में **पुलिसकर्मियों के लिए आवास** उपलब्ध कराए गए हैं।
	  • पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल अवसंरचना के साथ-साथ **बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय** की व्यवस्था की गई है।
	  • राज्य सरकारों द्वारा **केंद्र प्रायोजित योजनाओं** के लिए वित्त को समय पर जारी करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
	  • **पुराने वाहनों को हटाने के लिए** वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है।
	  • **शहरी नियोजन में सुधार** किया जा रहा है।
	  • **यूनिटी मॉल का निर्माण** किया जा रहा है।

किफायती एवं मध्यम आय वर्गीय आवास हेतु विशेष विंडो (SWAMIH/ स्वामी) कोष {Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH) Fund}	• **स्वामी कोष के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना पूरी** हो गई है। इस परियोजना के तहत लगभग **3000 परिवारों को किफायती घर** उपलब्ध कराए गए हैं। • यह एक **सामाजिक प्रभाव कोष** है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसे विशेष रूप से **दबावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा** करने के लिए बनाया गया है। ◦ यह कोष **वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित** है। इसका **प्रबंधन SBICAP वेंचर्स लिमिटेड** कर रहा है। • स्वामी कोष का उद्देश्य **दबाव ग्रस्त, ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA/ रेरा) द्वारा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त-पोषण** प्रदान करना है।

ई-अपील्स योजना (e-Appeals Scheme)	• **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने ई-अपील्स योजना, 2023 अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य **आयकर आयुक्तों के स्तर पर लंबित अपीलों को कम** करना है।
	• **ई-अपील्स योजना के बारे में:**
	  ◦ **पीड़ित कर निर्धारिती (assessee),** संयुक्त आयुक्त (अपील) की रैंक से नीचे के कर निर्धारण अधिकारी (Assessing officer) द्वारा पारित कुछ आदेशों के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर निर्धारिती यह अपील **संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष** कर सकता है।
	  ◦ इस योजना के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी व्यक्ति को **व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं** होगी।
	  ◦ हालांकि, **अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध** कर सकता है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोन के माध्यम से संपन्न किया जाएगा।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

19. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING)

19.1. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana: PMMSY)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** भारत में मात्स्यिकी क्षेत्रक के संधारणीय एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से **नीली क्रांति लाना।**
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना।**
- **दृष्टिकोण:** जहां तक संभव हो, **'क्लस्टर या क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण'** अपनाया जाना चाहिए।
- **अवधि:** वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक।

अन्य उद्देश्य

- **मत्स्य पालन की क्षमता का बेहतर तरीके से दोहन करना।**
- **मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण करना,** फसल कटाई के बाद की अवधि में प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना।
- मत्स्य **उत्पादन और उत्पादकता को** बढ़ाना।
- **सुदृढ़ मत्स्य पालन प्रबंधन** और विनियामकीय फ्रेमवर्क का निर्माण करना।
- **मछुआरों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों की आय दोगुना करना** और रोजगार पैदा करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **फोकस:** उत्पादन से लेकर उपभोग तक विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला और मत्स्य पालन क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना।
- PMMSY के **कुल निवेश का 42% मत्स्य पालन की अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण और अपग्रेडेशन** के लिए निर्धारित किया गया है।
  - इसके तहत फोकस क्षेत्रों में फिश हार्बर और लैंडिंग केंद्र, पोस्ट-हार्वेस्ट और कोल्ड चेन अवसंरचना, मछली बाजार और विपणन अवसंरचना, एकीकृत आधुनिक मछली पकड़ने वाले तटीय गांव और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करना शामिल हैं।
- **स्वच्छ सागर योजना:** इसके तहत प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:-
  - **जैव-शौचालय को बढ़ावा देना,**
  - मछुआरों की जहाजों के लिए **बीमा** कवरेज,
  - मत्स्य पालन प्रबंधन **योजनाएं,**
  - **ई-ट्रेडिंग/ मार्केटिंग,**
  - **मछुआरों और संसाधनों का सर्वेक्षण और**
  - **राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित डेटाबेस का निर्माण करना।**

PMMSY के उद्देश्य

- मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना।
- कृषि GVA में मत्स्यन क्षेत्रक के सकल मूल्य वर्धन (GVA) का योगदान बढ़ाकर 9% करना।
- निर्यात आय को दोगुना करके लगभग 1 लाख करोड़ रुपये करना।
- हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान को घटाकर लगभग 10% (वर्तमान में 25%) करना।
- मछुआरों और मछली पालकों की आय दोगुनी करना।

- **ब्रूड बैंकों का राष्ट्रीय नेटवर्क: मुख्य रूप से** गुणवत्तापूर्ण ब्रूड मछली के **स्रोत,** चयन, पालन-पोषण और रख-रखाव के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में विशिष्ट/ बहुप्रजातीय ब्रूड बैंकों की स्थापना करना।
- **एकीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क:** यह नेटवर्क बीमारियों, एंटीबायोटिक दवाओं और अवशेष संबंधी समस्याओं, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन के समाधान पर केंद्रित है।
- **एक्वापार्क:** इन्हें एक ही छत के नीचे सुनिश्चित, किफायती, गुणवत्तापूर्ण इनपुट आदि के साथ वन स्टॉप 'पार्क' के रूप में मत्स्य पालन और जलीय कृषि गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है।
- **केन्द्र प्रायोजित घटक के लिए फंडिंग पैटर्न:** केन्द्र और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच फंड की हिस्सेदारी 90:10 होगी, जबकि केंद्र और अन्य राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी 60:40 होगी।
- **प्रमुख पहलें**
  - **मत्स्य संपदा जागृति अभियान: पूरे भारत में पहुंच बढ़ाने और 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी'** सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
  - **रिवर रैंचिंग प्रोग्राम (River Ranching Programme)**
    - इसे भूमि और जल के विस्तार, गहनता के जरिए **मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता** को बढ़ाने तथा प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है।
    - **राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
  - **जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD) चरण-II:** यह कार्यक्रम जलीय रोगों के प्रसार का **शीघ्र पता लगाने और प्रबंधन** के लिए शुरू किया गया है।
  - **पेनियस इंडिकस (भारतीय सफेद झींगा) का आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम - चरण- I:** इसका उद्देश्य झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा स्थापित करना है।

19.2. प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना {Pradhan Mantri Matsya Kisan Samridhi Sah-Yojana (PM-MKSSY)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** मात्स्यिकी क्षेत्रक को औपचारिक क्षेत्र बनाना और मात्स्यिकी आधारित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन देना।
- **प्रकार:** यह एक "केंद्रीय क्षेत्रक योजना" है।
- **उप-योजना:** प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना।
- **योजना की अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक।

अन्य उद्देश्य

- असंगठित मात्स्यिकी क्षेत्रक का **क्रमिक औपचारीकरण** करना।
- मात्स्यिकी क्षेत्रक के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को **बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त या ऋण की सुविधा** उपलब्ध कराना।
- जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) बीमा खरीदने के लिए लाभार्थियों को **एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान** करना।
- मात्स्यिकी क्षेत्रक **में मूल्य-श्रृंखला की दक्षता में सुधार** के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्षित लाभार्थी**
  - **मछुआरे, मत्स्य (जलीय कृषि) कृषक, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता** या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सीधे मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में लगा हुआ है।
  - **स्वामित्व फर्म्स, साझेदारी फर्म्स** के रूप में **सूक्ष्म और लघु उद्यम,** भारत में पंजीकृत कंपनियां, सोसायटी, **सीमित देयता भागीदारी (LLPs), सहकारी समितियां, फेडरेशन; स्वयं सहायता समूह (SHGs),** किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और मत्स्य FPOs **ग्राम स्तरीय संगठन ।**
  - मात्स्यिकी और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े **स्टार्टएप्स।**
  - कोई अन्य लाभार्थी जिन्हें मत्स्य पालन विभाग द्वारा शामिल किया जाता है।
- **वित्त पोषण:** कुल परिव्यय **6000 करोड़** रुपये है, जिसमें से-
  - **50% वित्तपोषण सार्वजनिक वित्त द्वारा प्राप्त** होगा। इसमें **विश्व बैंक और AFD** (फ्रांसीसी विकास एजेंसी) द्वारा बाहरी वित्तपोषण भी शामिल है।
  - **50% का योगदान निजी क्षेत्र के लाभार्थियों द्वारा किया जाएगा।**
- **योजना के घटक (कार्यान्वयन रणनीति):**
  - **घटक 1-A:** मात्स्यिकी क्षेत्रक को औपचारिक गतिविधि बनाना तथा मात्स्यिकी से संबंधित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समर्थन प्रदान करना।
    - इस उद्देश्य के लिए एक **राष्ट्रीय मात्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP)** बनाया जाएगा और सभी हितधारकों को इस पर पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
      - NFDP **वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण सहित कई अन्य कार्य** करेगा।
  - **घटक 1-B: जलीय-कृषि (Aquaculture) बीमा** को अपनाने में मदद करना। इस योजना के तहत उपयुक्त बीमा उत्पाद तैयार

घटक 1-B के तहत बीमा प्रावधान

विस्तार:
- केवल एक फसल चक्र के लिए **बीमा खरीदने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।**
- **वंचित समूहों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन:**
  - SC, ST, और **महिला लाभार्थी अतिरिक्त** 10% प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

लघु कृषि क्षेत्र (खेतों) के लिए प्रोत्साहन
- **4 हेक्टेयर तक** के कृषि क्षेत्र वाले किसानों को **एकमुश्त प्रोत्साहन राशि** प्रदान करना।
- **प्रोत्साहन दर:**
  - प्रीमियम लागत का 40%,
  - अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
- **प्रति किसान अधिकतम प्रोत्साहन:** 1,00,000 रुपये

गहन जलीय-कृषि के लिए प्रोत्साहन:
- खेतों के अलावा जलीय कृषि के गहन रूप जैसे कि केज कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS), बायो-फ्लॉक, रेसवे जैसे फार्म्स को छोड़कर अन्य गहन जलीय कृषि को प्रोत्साहन।
- **प्रोत्साहन दर:**
  - प्रीमियम लागत का 40%,
  - अधिकतम 1,00,000 रुपये
- **अधिकतम यूनिट साइज पात्रता:** 1800 घन मीटर (m3)

किए जाएंगे और **कम से कम 1 लाख हेक्टेयर जलीय कृषि फार्म्स को कवर** किया जाएगा। **(इन्फ़ोग्राफिक देखें)**
- **घटक -2:** मात्स्यिकी क्षेत्रक की **मूल्य-श्रृंखला दक्षता** में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
- **घटक -3: मत्स्य और मत्स्य-उत्पादों के संरक्षण व गुणवत्ता आश्वासन** संबंधी प्रणालियों को अपनाना तथा उनका विस्तार करना।
- **घटक-4: परियोजना प्रबंधन, निगरानी और रिपोर्टिंग:** इस योजना के तहत परियोजना गतिविधियों के प्रबंधन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए **परियोजना प्रबंधन इकाइयां (PMUs)** स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

19.3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि {Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधता बढ़ाने में मदद करना।
- **प्रकार:** यह **एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना** है।
- **वित्तीय सहायता: पात्र संस्थाओं** को सावधि ऋण (टर्म लोन) प्रदान किया जाता है।
- **अवधि:** 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य

- **दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और उत्पाद विविधीकरण** में मदद करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के असंगठित क्षेत्र के दूध और मांस उत्पादकों की **दूध और मांस के संगठित बाजारों तक अधिक पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **उत्पादकों को अधिक लाभकारी कीमत प्रदान करना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस** उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **उद्यमिता का विकास और रोजगार पैदा** करना तथा दूध और मांस क्षेत्रकों से **निर्यात को बढ़ावा देना।**
- गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गीपालन को सस्ती कीमतों पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए **गुणवत्तापूर्ण केंद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।**

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि: आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज** के तहत 15000 करोड़ रुपये के परिव्यय से AHIDF की स्थापना की घोषणा की गई थी।

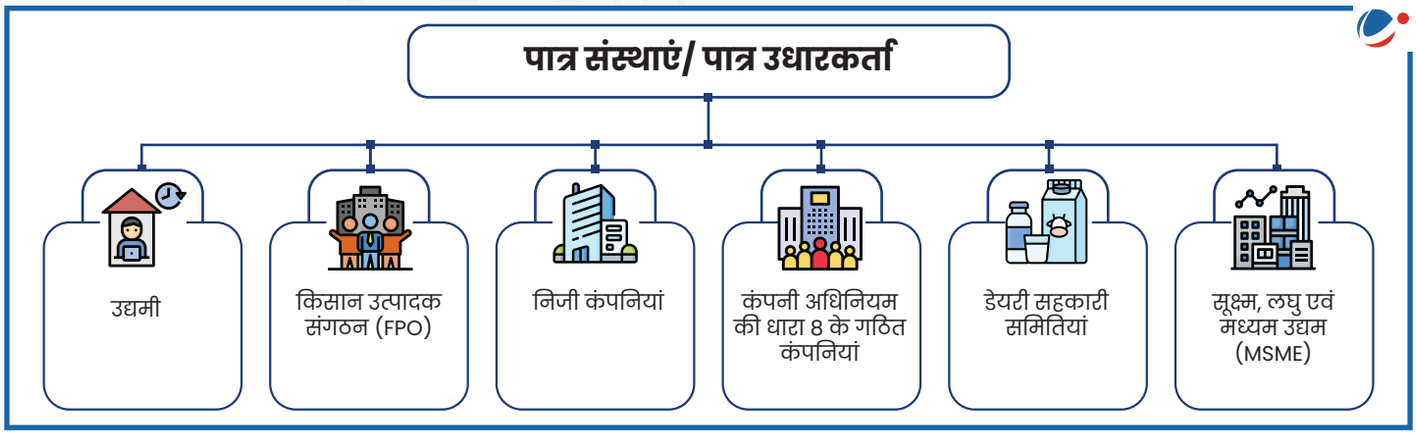

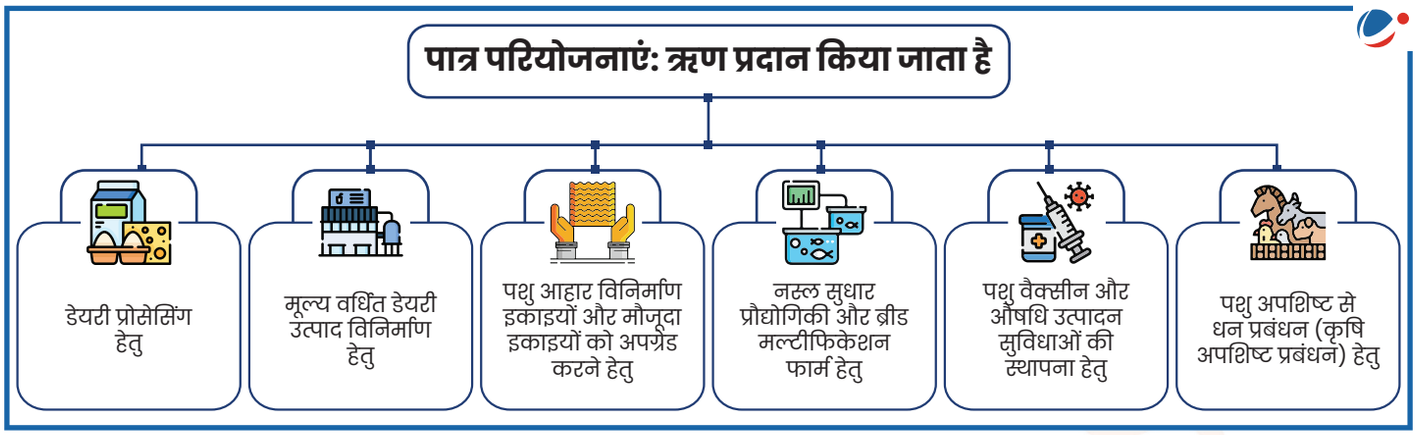

- **हाल ही में, इस योजना को** 29,610.25 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ **इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (IDF) के तहत** कार्यान्वित करने के लिए पुनर्गठित किया गया है।

- **ऋण की मात्रा:** व्यवहार्य परियोजनाएं प्रस्तुत करने पर परियोजना AHIDF के तहत अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के **90% तक ऋण के लिए पात्र** होगी।
  - **ऋण अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), नाबार्ड और NDDB द्वारा प्रदान किया जाता है।**
- **लाभार्थी द्वारा अंशदान**
  - सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए **10%**
  - मध्यम उद्यमों के लिए **15% तक**
  - अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए **25% तक**
- **ब्याज में छूट: इस वित्तपोषण सुविधा के तहत ऋण पर प्रति वर्ष 3% ब्याज की दर से छूट दी जाती है।**
  - पहले वर्ष में पशुपालन और डेयरी विभाग **(DAHD)** बैंकों को **अग्रिम रूप से 3% की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगा** और बाद में प्रत्येक वर्ष बैंक द्वारा मांग होने पर प्रत्येक लाभार्थी को बकाया राशि पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
- **ऋण पुनर्भुगतान की अवधि:** अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि ऋण वितरण की तारीख से **8 वर्ष** (शुरुआत में यह 10 वर्ष थी) **से अधिक नहीं होनी चाहिए,** जिसमें **मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की रियायत (मोरेटोरियम) भी शामिल है।**
- **जमानत (सिक्योरिटी):** बैंकों के वित्त से निर्मित परिसंपत्तियों को गिरवी रखने, भूमि और भवन को गिरवी रखने जिसके लिए ऋण सुविधाएं दी गई हैं, बैंक की नीति दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों आदि गिरवी रखना, प्रोपराइटर की व्यक्तिगत गारंटी, फर्म के साझेदार, आदि।
- **AHIDF का क्रेडिट गारंटी फंड:** भारत सरकार, **MSME और डेयरी सहकारी समितियों को सावधि ऋण के 25%** तक क्रेडिट गारंटी भी प्रदान करेगी।
  - **750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड** स्थापित किया गया है जिसका प्रबंधन NABARD द्वारा किया जाता है।
- **सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना:** आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ऑनलाइन पोर्टल है : **www.ahidf.udaymimitra.in**
- **अन्य योजना के साथ तालमेल (कन्वर्जेन्स):** इस योजना में अन्य मंत्रालयों या राज्य स्तरीय योजनाओं की पूंजी सब्सिडी योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- **उपलब्धि:** यह योजना डेयरी, मांस और पशु चारा क्षेत्रक में प्रसंस्करण क्षमता को 2-4% तक बढ़ाने में सफल रही है।

19.4. नीली क्रांति: समेकित मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन (Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**
- **लक्ष्य:** अंतर्क्षेत्रीय और समुद्री, दोनों क्षेत्रों में जलकृषि (Aquaculture) व मात्स्यिकी संसाधनों से उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाना।
- **कवरेज:** पूर्वोत्तर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी राज्य।
- **कमजोर वर्गों को समर्थन:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं तथा उनके सहकारी संस्थाओं को मत्स्यन और मत्स्य-पालन संबंधी गतिविधियों को अपनाने में सहायता करना।

अन्य उद्देश्य

- **उत्तरदायी और संधारणीय तरीकों से समग्र मत्स्य उत्पादन में वृद्धि** करना।
- **मत्स्य-पालन का आधुनिकीकरण करना तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा** सुनिश्चित करना।
- **रोजगार और निर्यात से आय सृजित करना तथा समावेशी विकास** सुनिश्चित करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **विज़न: नीली क्रांति का मिशन देश, मछुआरों तथा मत्स्य कृषकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है।**
- **वित्तीय सहायता:** इसके तहत मत्स्य-पालन और जलकृषि क्षेत्रक के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, मत्स्य उत्पादन और उससे संबंधित सभी गतिविधियां को भी सहायता दी जाएगी। इन गतिविधियों में मत्स्य ब्रूड बैंक, हैचरीज, तालाबों का निर्माण आदि शामिल है।
- **मिशन फिंगरलिंग:** देश में मत्स्य फिंगरलिंग (नवजात/छोटी मछली), झींगे और केकड़े के लार्वा की निश्चित स्तर तक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए **हैचरी और फिंगरलिंग पालन-पोषण तालाबों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।**
- **मत्स्य-पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (FIDF):**
  - इसकी स्थापना **7522.48 करोड़ रुपये** की कुल निधि के साथ की गई थी।
  - केंद्र सरकार मत्स्य-पालन

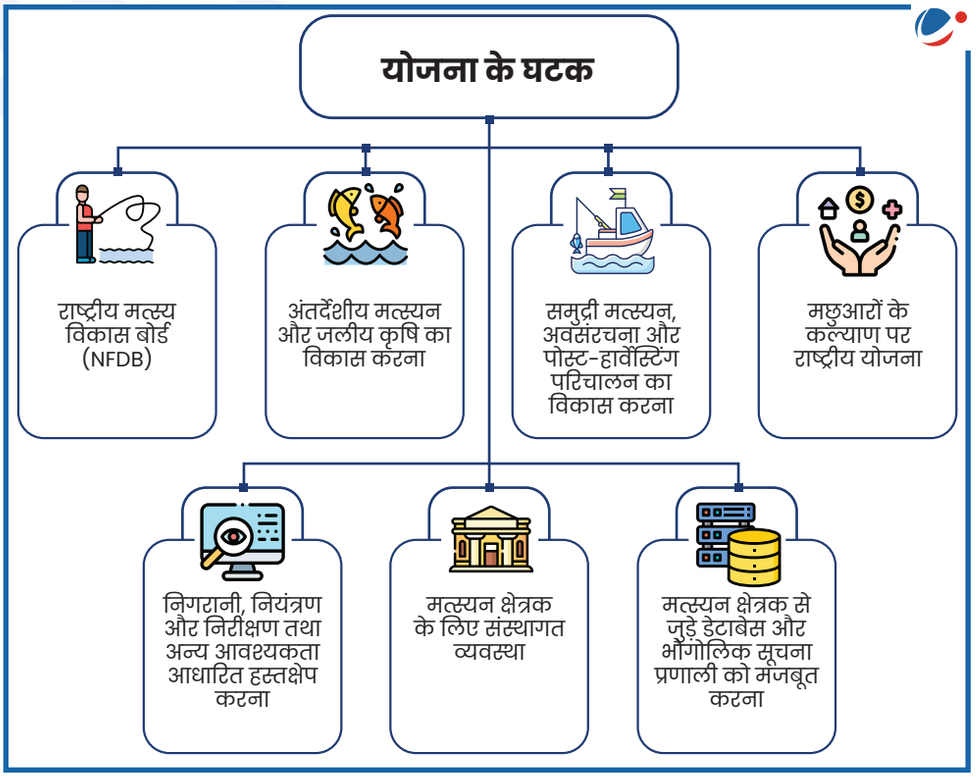

क्षेत्रक में अवसंरचना के विकास के लिए नोडल ऋण संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त प्रदान करने हेतु **3% प्रति वर्ष तक ब्याज अनुदान प्रदान करती है।**

- **अवधि: 2025-26**

19.5. राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission: RGM)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** स्वदेशी गोजातीय नस्लों का विकास और संरक्षण।
- **किसकी उप-योजना है:** राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना।
- **प्रमुख लाभार्थी:** लघु एवं सीमांत किसान, विशेष रूप से महिलाएं।
- **अवधि: 2021-22 से 2025-26 तक**

अन्य उद्देश्य

- **उन्नत तकनीकों का उपयोग करके** एक संधारणीय तरीके से **गोवंश की उत्पादकता में वृद्धि करना।**
- प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों की नस्ल के उपयोग को बढ़ावा देना।
- प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करके और **किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करके कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाना।**
- वैज्ञानिक और सर्वांगीण तरीके से **देसी गोवंशीय पशुओं एवं भैंसों के पालन व संरक्षण को बढ़ावा देना।**

प्रमुख विशेषताएं

प्रमुख घटक

- **उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले जर्मप्लाज्म की उपलब्धता**
  - बुल प्रोडक्शन प्रोग्राम
  - वीर्य स्टेशनों को समर्थन देना
  - IVF प्रौद्योगिकी को लागू करना
  - नस्ल गुणन फार्म
- **AI कवरेज का विस्तार करना**
  - ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय AI तकनीशियनों की स्थापना (MAITRIs) करना।
  - राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम (NAIP)
  - सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करना।
  - राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (लाइवस्टैक) का कार्यान्वयन करना।
- **स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना**
  - गौशालाओं, गौसदनों और पिंजरपोलों को सहायता प्रदान करना।
  - राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का संचालन करना।

फंडिंग पैटर्न

- भाग लेने वाले किसानों को प्रति इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) गर्भावस्था के लिए **5,000 रुपये** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **सेक्स सॉर्टेड सीमेन को बढ़ावा देने और नस्ल गुणन फार्म (Breed Multiplication Farm) की स्थापना** हेतु 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
- **अन्य घटकों के लिए 100%** अनुदान सहायता दी जाएगी।

- **कौशल विकास**
  - पेशेवरों को IVF तकनीक और अन्य उन्नत प्रजनन तकनीकों में प्रशिक्षित करना। इसके अलावा, AI तकनीशियनों/ पेशेवरों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- **किसानों को जागरूक करना**
  - इस योजना के तहत किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रजनन शिविर आदि का आयोजन किया जाता है। साथ ही, किसानों, सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियनों, डेयरी सहकारी समितियों आदि को पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- **मवेशियों और भैंस के विकास से संबंधित अन्य गतिविधियां**
  - मवेशी और भैंस के विकास के लिए गोजातीय प्रजनन और अन्य संबंधित गतिविधियों में अनुसंधान विकास तथा नवाचार करना।
- **निधीयन:** निधियां **सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों (IAs) को जारी की जाती है।**
- **राज्यवार रैंकिंग:** राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के बीच अच्छे प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देने के लिए राज्यवार रैंकिंग प्रदान की जाती है।
- **भागीदारी निगरानी: पंचायती राज संस्थाओं** को निगरानी के लिए समेकित किया गया है।
- **राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम {Nationwide Artificial Insemination Programme (NAIP)}**
  - कम लागत वाले ब्रीडिंग तरीकों का उपयोग करके दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए **गोवंश की सभी नस्लों को शामिल करने वाला एक अभियान मोड आनुवंशिकता उन्नयन कार्यक्रम है।**
  - **कृत्रिम गर्भाधान के तहत आने वाली प्रत्येक गाय एवं भैंस को टैग किया जाता है** और उन्हें पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (INAPH) डेटाबेस के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है।

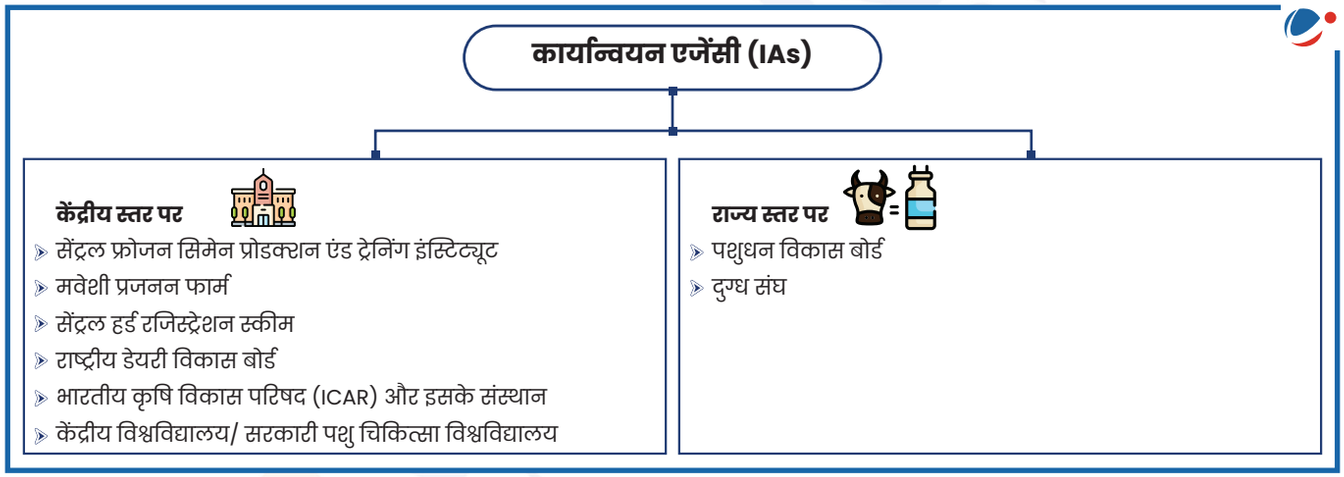

19.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme: NADCP)	• **उद्देश्य:** पशुओं, भैंसों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों की 100% आबादी का टीकाकरण करके खुरपका एवं मुंहपका रोग (FMD) व ब्रुसेलोसिस का नियंत्रण करना।
	• **लक्ष्य:** टीकाकरण करके **FMD को 2025 तक नियंत्रित करना** और अंततः **2030 तक उन्मूलन** करना।
	• **खुरपका एवं मुंहपका रोग (FMD):**
	  • फटे-खुर वाले पशुओं जैसे मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आदि में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक वायरल वैस्कुलर रोग।
	  • इसके कारण **दुग्ध उत्पादन में कमी, विकास दर में कमी, बांझपन, बैलों की कार्य क्षमता में कमी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके व्यापार पर प्रतिबंध तक लग जाता है।**
	• **ब्रुसेलोसिस:**
	  • **बैक्टीरियम ब्रुसेला एबोर्टस** के कारण मवेशियों और भैंसों का एक प्रजनन रोग।
	  • **बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, गाभिन अवस्था में देरी, बाधित स्तनपान** के परिणामस्वरूप बछड़ों की मौत, मांस और दूध के उत्पादन में कमी इस रोग के लक्षण हैं।
	  • **भारत में स्थानिक और हाल के दिनों में इसमें वृद्धि होती प्रतीत हो रही है।**

"राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" योजना	• **लक्ष्य: दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना** और संगठित दुग्ध खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना।
	• **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक
	• योजना के **दो घटक** है।
	  • **घटक 'क'**
	  ◇ **गुणवत्तापूर्ण दुग्ध जाँच उपकरणों के लिए अवसंरचना का निर्माण या उनका सुदृढीकरण** करना। साथ ही, सहकारी संस्थाओं/ स्वयं सहायता समूहों द्वारा चालित निजी डेयरी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादन संगठनों के लिए प्राथमिक शीतलन सुविधा उपलब्ध कराना।
	  • **घटक 'ख'**
	  ◇ **जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA)** द्वारा सहायता प्राप्त है।
	  ◇ इसे शुरुआत में उत्तर प्रदेश व बिहार में पायलट आधार पर क्रियान्वित किया जाना है।
	  ◇ **गांवों के दुग्ध उत्पाद को बाजार से जोड़ने के लिए आवश्यक डेयरी अवसंरचना के सृजन** की सुविधा करना और गांव से राज्य स्तर तक हितधारक संस्थाओं के **क्षमता-निर्माण को मजबूत करना।**

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission: NLM)	• **लक्ष्य: जुगाली करने वाले छोटे पशुओं, कुक्कुट पालन और सूअर पालन क्षेत्र तथा चारा क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास के माध्यम से** रोजगार सृजित करना।
	  • नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना।
	  • मांस, अंडे, बकरी के दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि।
	• **प्रमुख घटक**

ग्लैंडर्स के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan for Control and Eradication of Glanders)	• कार्य योजना के अनुसार, **संक्रमित पशुओं का शीघ्र ही हटा देना चाहिए।**
	  • नितांत आवश्यक होने पर, रोगी पशुओं को **उचित स्थान पर ले जाकर उन्हें मारा जा सकता है। साथ ही,** बंद वाहन में डालकर दूर कहीं **इनके शवों का निस्तारण किया जा सकता है।**
	  • पशुओं को मारने और शवों को निपटाने के समय सभी चिड़ियाघर-स्वच्छता (Zoo-sanitary) उपायों का पालन किया जाना चाहिए।
	ग्लैंडर्स:
	• यह **बैक्टीरियम बुर्खोल्डेरिया मैलेई (Burkholderia Mallei)** के कारण होने वाला एक संक्रामक तथा घातक रोग है। यह रोग अश्व प्रजाति (Equines) अर्थात् घोड़े, गधों और खच्चरों में पाया जाता है।
	• यह रोग **मनुष्यों** में भी हो सकता है।
	• इस रोग के लिए **फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है।**

20. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES: MOFPI)

20.1. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises: PMFME)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **कार्यावधि:** इसकी अवधि 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्ष निर्धारित की गई है।
- **इच्छित लाभार्थी:** मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, FPOs/ SHGs/ उत्पादक सहकारी समितियां
- **नोडल बैंक:** यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

अन्य उद्देश्य

विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य:** मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (MFPE) की 2,00,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।

समर्थन और फोकस के क्षेत्र

- प्रत्येक SHG सदस्य को 40,000 रुपये की **आरंभिक पूंजी** सहायता दी जाएगी।
- पूंजीगत निवेश के लिए **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी** 10 लाख रुपये की सीमा के साथ 35% तक दी जाएगी।
- कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 35% तक **क्रेडिट लिंक्ड अनुदान** सहायता।
- राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर 50% अनुदान के साथ **मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहायता।**

- **फोकस के क्षेत्र:** वेस्ट टू वेल्थ उत्पाद; लघु वन उत्पाद; आकांक्षी जिले
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP):** राज्य मौजूदा क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए **एक जिले से एक खाद्य उत्पाद (जल्दी खराब होने वाले उत्पाद सहित)** की पहचान करेंगे।
  - ODOP संबंधी उत्पादों के लिए **साझा अवसंरचना तथा ब्रांडिंग और विपणन के लिए समर्थन** प्रदान किया जाएगा।

- **क्षमता निर्माण और अनुसंधान:** सूक्ष्म इकाइयों के लिए **इकाइयों का प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, उपयुक्त पैकेजिंग और मशीनरी का निर्माण करना।**
  - राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के साथ MoFPI के तहत **NIFTEM तथा IIFPT द्वारा क्षमता निर्माण और अनुसंधान करना।**

PMFME योजना आरंभिक पूंजी मॉड्यूल

उद्देश्य
भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में कार्यरत शहरी स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्यों को सीड कैपिटल सहायता लेने को सुविधाजनक बनाना।
सीड कैपिटल: एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक आरंभिक पूंजी।

किसके द्वारा लॉन्च किया गया
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) MIS पोर्टल पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के सहयोग से MoFPI द्वारा लॉन्च किया गया है।

वित्तीय सहायता पोर्टल
PMFME योजना के तहत प्रति SHG सदस्य द्वारा 40,000 रुपये की आरंभिक पूंजी सहायता प्राप्त करने के लिए सीड कैपिटल पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है।

20.2. प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana: PMKSY)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** खेतों से लेकर खुदरा बाजारों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना।
- **छत्रक योजना (Umbrella Scheme):** चल रही योजनाओं और मंत्रालय की नई योजनाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया है।
- **संभावित लाभ: किसानों की आय दोगुनी करना, रोजगार सृजित करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना।**

अन्य उद्देश्य

- **खेत से खुदरा बिक्री केंद्र** तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ **आधुनिक अवसंरचना** का निर्माण करना।
- **किसानों को बेहतर रिटर्न** प्रदान करने और **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर** पैदा करने में मदद करना।
- **कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात** को बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

- **पृष्ठभूमि:** केंद्र ने 2020 तक कार्यान्वयन के लिए 2017 में अंब्रेला योजना **SAMPADA** (स्कीम फॉर एग्रो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ़ एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स) को मंजूरी दी थी।
  - बाद में इस योजना का नाम बदलकर **'प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (PMKSY) कर दिया गया और इसके कुछ घटकों को बंद कर दिया गया** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **PMKSY के घटक:**
  - **एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य वर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन):** खेत से लेकर उपभोक्ता तक **बाधा रहित कोल्ड चेन भंडारण अवसंरचना** की सुविधा उपलब्ध करवाना।

- इस अवसंरचना श्रृंखला की स्थापना **कंपनियों, स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), गैर-सरकारी संगठनों (NGOs)** आदि द्वारा की जाती है।
- योजनाओं के बीच आपसी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG) योजना** के तहत फलों और सब्जियों के लिए कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा रही है।

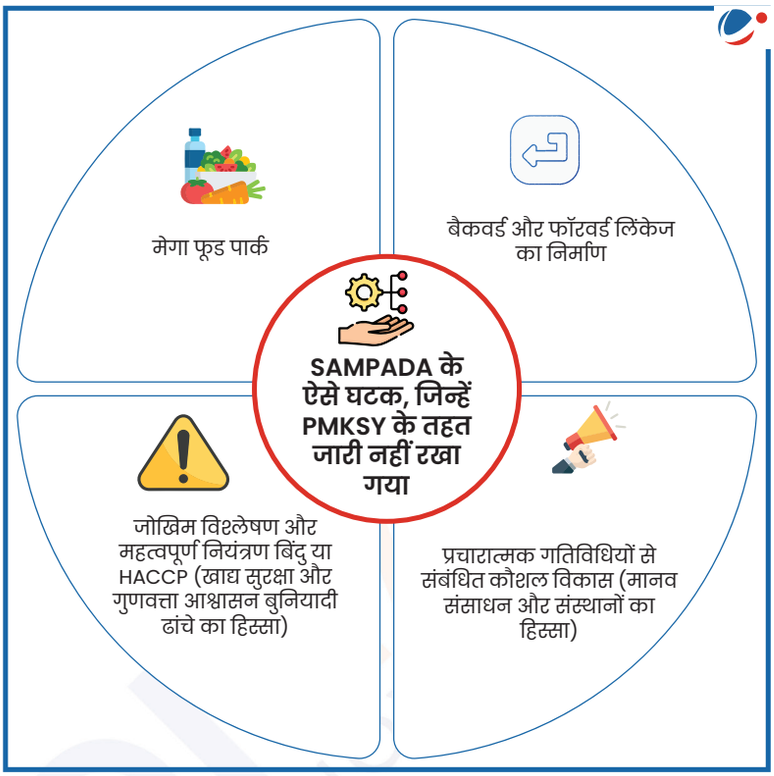

- **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (APC) के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण:** APC का उद्देश्य मेगा फूड पार्क के समान है, यानी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करना, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर।
  - योजना के तहत प्रत्येक APC में दो बुनियादी घटक होते हैं-
    - **बुनियादी इनेबलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर** (सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, जल निकासी, ETP आदि)
    - **कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर/ सामान्य सुविधाएं** (वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, IQF, टेट्रा पैक, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग आदि)
  - APC की स्थापना हेतु **कम-से-कम 50 वर्षों के लिए खरीद या पट्टे की कम-से-कम 10 एकड़ भूमि** की व्यवस्था करना आवश्यक है।
- **खाद्य प्रसंस्करण और प्रिजर्वेशन क्षमताओं का सृजन/ विस्तार (इकाई योजना):** इसका मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से प्रसंस्करण एवं प्रिजर्वेशन क्षमता का सृजन और मौजूदा प्रसंस्करण यूनिटों का आधुनिकीकरण/ विस्तार करना है।
  - यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ अपग्रेडेशन/ आधुनिकीकरण में लगे **केंद्रीय और राज्य PSUs/ संयुक्त उद्यम/ FPOs/ NGOs/ सहकारिता/ SHG's/ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों/ व्यक्तिगत स्वामित्व फर्मों जैसे संगठनों** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- **फूड सेफ्टी तथा गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FTL):** यह योजना खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में **गुणवत्ता नियंत्रण/ फूड सेफ्टी प्रयोगशालाओं के अपग्रेडेशन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहायता करती है। यह सहायता** HACCP/ ISO 22000/ FSSC 22000/ BRC/ SQF या किसी अन्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहल (GFSI) द्वारा अनुमोदित प्रमाणन योजना/ मानकों के जरिए की जाती है।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए QCI की पहलें

- QCI ने विश्व स्तर पर स्वीकृत **कोडेक्स मानकों** के आधार पर **"IndiaGHP"** और "IndiaHACCP" विकसित किया है।
- ये योजनाएं भारत के खाद्य श्रृंखला से संबंधित उद्योग को महंगे और समय लेने वाले विदेशी प्रमाण-पत्रों के बिना वैश्विक मानकों के पालन को अपनाने में मदद करेंगी। कई देशों ने निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है:
- मांस, मछली, डेयरी आदि जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए **हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट (HACCP)।**
- सभी खाद्य क्षेत्रों में **गुड हाइजीन प्रैक्टिस (GHP)।**

- **मानव संसाधन एवं संस्थान (HRI)- अनुसंधान एवं विकास (R&D):**
  15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 100 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।
  - इस योजना के तहत **पूर्ववर्ती कौशल विकास घटक** को बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे PMFME (सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का PM औपचारीकरण) योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
- **ऑपरेशन ग्रीन्स (OG):** केंद्रीय बजट 2018-19 में "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर इसकी घोषणा की गई थी।
  - प्रारंभ में यह योजना **टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP मूल्य श्रृंखला के विकास** के लिए शुरू की गई थी।
  - इस योजना के दो घटक हैं:
    - **दीर्घकालिक हस्तक्षेप - एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाएं:** केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत इसका दायरा बढ़ाकर जल्द खराब होने वाली 22 फसलों तक कर दिया गया।
    - **अल्पकालिक हस्तक्षेप:** 2020 के "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के तहत इसका दायरा TOP फसलों सहित सभी फलों और सब्जियों (यानी TOP से TOTAL) तक विस्तारित किया गया था।
- **योजना के बीच पुनर्विनियोजन:** मध्यावधि सुधार के आधार पर MoFPI के प्रभारी मंत्री द्वारा योजना के मूल आउटले के अधिकतम 25% का पुनर्विनियोजन किया जा सकता है।

- **प्रतिबद्ध दायित्व हेतु बचत का उपयोग:** किसी भी योजना के लिए किए गए बचत का उपयोग उस योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी के लिए किया जाएगा।
- **जागरूकता:** PMKSY की योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि हितधारकों को PMKSY के तहत पूरा लाभ मिल सके।

20.3. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry: PLISFPI)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना और मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों **में ब्रांडिंग का विस्तार करना।**
- **अवधि:** 2021-22 से 2026-27 तक।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)

अन्य उद्देश्य

वैश्विक पदचिह्न और रोजगार सृजन को बढ़ाने हेतु खाद्य विनिर्माण इकाइयों का समर्थन करना।

प्रमुख विशेषताएं

- **आवेदक:** सीमित देयता भागीदारी (LLP) अथवा भारत में पंजीकृत कोई कंपनी; सहकारिताएं; लघु और माध्यम उद्यम (SME) और अन्य आवेदक इस योजना के तहत कवरेज के लिए आवेदन कर रहे हैं।
- **मुख्य घटक:**
  - **चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना अर्थात्:**
    - पकाने के लिए तैयार/ खाने के लिए तैयार (RTC/ RTE) खाद्य पदार्थ, जिनमें मोटे अनाज आधारित उत्पाद,
    - प्रसंस्कृत फल और सब्जियां,
    - समुद्री उत्पाद,
    - मोज़ेरेला चीज़ शामिल हैं।
  - लघु एवं मध्यम उद्योगों के नवोन्मेषी/ ऑर्गेनिक उत्पाद जिनमें अंडे, पोल्ट्री मांस, अंडे उत्पाद भी ऊपरी घटक में शामिल हैं।
  - **मजबूत भारतीय ब्रांडों के उद्भव को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग हेतु समर्थन।**
- **योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली "निधि सीमित" है: अधिकतम प्रोत्साहन राशि पूर्व-अनुमोदित सीमा तक ही होगी।**
- **निगरानी**
  - **कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह** द्वारा केंद्र में योजना की निगरानी की जाएगी।
  - कार्यक्रम में **तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन और मध्यावधि समीक्षा तंत्र** का निर्माण किया जाएगा।
- **अन्य योजनाओं के तहत लाभ:** PLI योजना के तहत कवरेज प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी **अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी।**

20.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (OTHER SCHEMES/ MISCELLANEOUS INITIATIVES)

निवेश बंधु	• **यह एक निवेशक सुविधा पोर्टल है।** • **उद्देश्य: केंद्र और राज्य सरकारों की निवेशक** अनुकूल नीतियों, कृषि-उत्पादक समूहों, बुनियादी ढांचे और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में निवेश के संभावित क्षेत्रों के बारे में **जानकारी** प्रदान करना।
कोल्ड चेन, वैल्यू एडिशन और संरक्षण अवसंरचना के लिए योजना (Scheme of Cold Chain, Value Addition & Preservation Infrastructure)	• **उद्देश्य: बागवानी और गैर-बागवानी कृषि उत्पादों की फसल कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करना।** • यह योजना **फार्म गेट से उपभोक्ता तक** बिना किसी रुकावट के **एकीकृत कोल्ड चेन और संरक्षण अवसंरचना सुविधाएं** प्रदान करती है। • यह खेत स्तर पर कोल्ड चेन अवसंरचना के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ **प्रोजेक्ट प्लानिंग में लचीलेपन** की अनुमति प्रदान करती है। • यह **गैर-बागवानी, बागवानी, समुद्री उत्पाद (झींगे को छोड़कर), डेयरी, मांस और पोल्ट्री** के वितरण की सुविधा प्रदान करती है। • भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, SHGs, FPOs, NGOs आदि द्वारा इससे संबंधित **परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं।**

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

OUR ACHIEVEMENTS

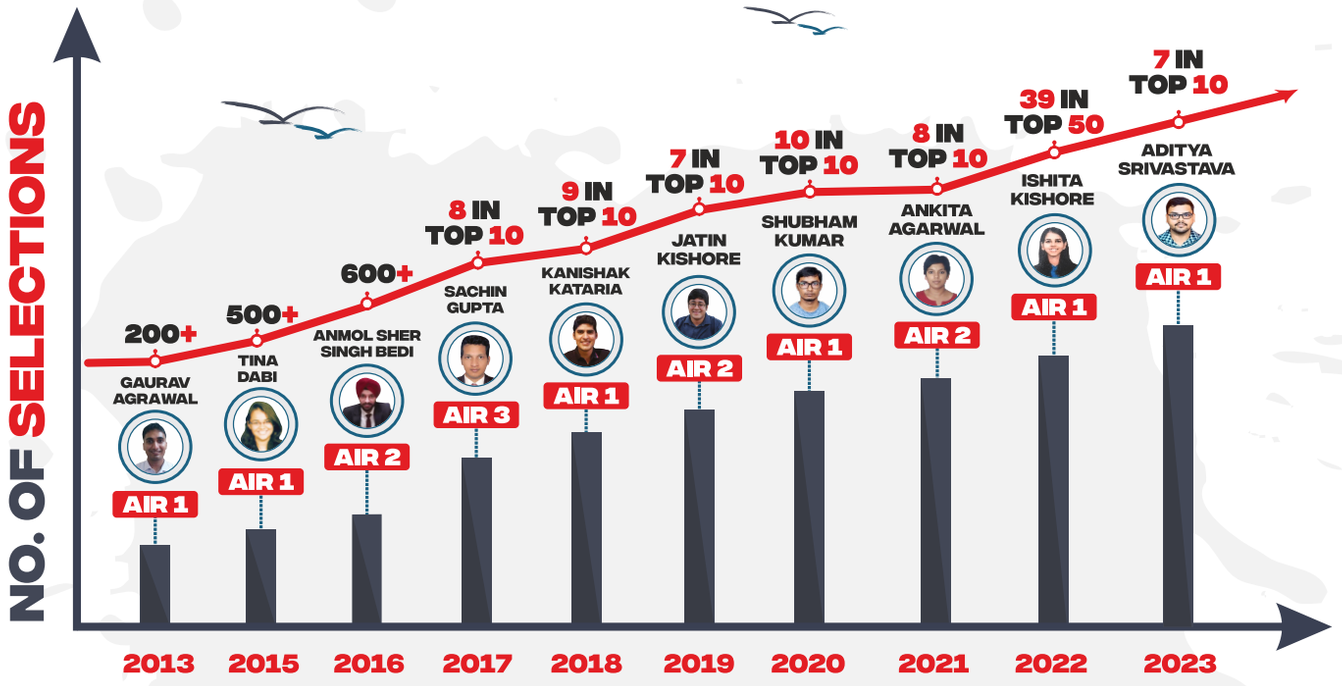

LIVE/ONLINE Classes Available

www.visionias.in

Foundation Course
GENERAL STUDIES
PRELIMS cum MAINS 2025

DELHI: 4 JUNE, 9 AM | 14 JUNE, 9 AM |20 JUNE, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 28 JUNE, 8:30 AM

AHMEDABAD: 20 JUNE | **BENGALURU:** 18 JUNE | **BHOPAL:** 25 JUNE | **CHANDIGARH:** 20 JUNE

HYDERABAD: 24 JUNE | **JAIPUR:** 11 JUNE | **JODHPUR:** 11 JUNE | **LUCKNOW:** 20 JUNE | **PUNE:** 5 MAY

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025

▶ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

DELHI: 14 मई, 9 AM | 11 जून, 9 AM | **BHOPAL: 23 जुलाई** | **LUCKNOW: 18 जुलाई** | **JAIPUR: 11 जून** | **JODHPUR: 11 जून**

Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

/visionias.upsc | /c/VisionIASdelhi | /c/VisionIASdelhi | /t.me/s/VisionIAS_UPSC

DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

Animesh Pradhan

TOPPERS' TALK

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

अर्पित कुमार

TOPPERS' TALK

UPSC 2025 के लिए व्यापक रणनीति

HEAD OFFICE
DELHI
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची